कुरुक्षेत्र

8वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता

योजना आयोग के निर्देशात्मक पत्र का मूल्यांकन

[illegible] की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप बदल दिया है । जो अर्थव्यवस्थायें पहले केंद्रीयकृत थीं, उन्हें मुक्त बाजार की शक्तियों और प्रतियोगिता के लिये खोल दिया गया है । मानव विकास के लिये आर्थिक व्यवस्था के ढांचे को नया रूप देने में जन-शक्ति का उपयोग रचनात्मक स्वतंत्रता और सक्रिय भागीदारी के जरिये सामने आ रहा है । इस परिवर्तन का जबरदस्त प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है । इतिहास के इस नाजुक और हलचल भरे काल में, हमें परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को तेजी से और रचनात्मक ढंग से ढालना होगा.... हमारे सामने अब केवल कठिन विकल्प हैं इसलिये अगर हमें कुछ त्याग भले ही करना पड़े पर हमें केवल सही रास्ता अपनाना चाहिये । कुछ मामलों में हमें आगे की सफलता के लिए आज को छोड़ना होगा और आज के फायदे के मोह में फंस कर आगे के नुकसान का जोखिम उठाने से बचना होगा । कामकाज, परिणाम और कार्यकुशलता को हमें अपनी दैनिक सोच और दैनिक जीवन में उतारना होगा । और इन अवधारणों को हमें अपनी प्रणालियों और अपनी संस्थाओं में भी प्रतिबिंबित करना होगा । इसके लिये हमें कुछ हद तक आत्मानुशासन और त्याग की भावना को अपनाना पड़ेगा । इन के बिना हम किसी महान उपलब्धि की आशा नहीं कर सकते ।......''

— प्रणव मुखर्जी

उपाध्यक्ष, योजना आयोग

(नई दिल्ली में 23 दिसम्बर, 1991 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की 43वीं बैठक में दिये गये उनके भाषण का अंश)

37, अंक 8 ज्येष्ठ-आषाढ़ शक 1914

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रमुख मासिक

सम्पादक	:	राम बोध मिश्र
सहायक सम्पादक	:	गुरचरण लाल लूथरा
उप सम्पादक	:	ललिता जोशी

विज्ञापन प्रबंधक	:	बैजनाथ राजभर
व्यापार व्यवस्थापक	:	जसवंत सिंह
सहायक व्यापार	:	
व्यवस्थापक	:	शकुन्तला
उत्पादन अधिकारी	:	के.आर. कृष्णन्
आवरण		
साज-सज्जा	:	अलका

एक प्रति : 3.00 रु० वार्षिक चन्दा : 30 रु०

फोटो साभार : फोटो प्रभाग एवं रमेश कुमार, ग्रामीण विकास मंत्रालय

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य, चित्र आदि भेजिए। अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने व अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

विषय सूची

आठवीं पंचवर्षीय योजना और ग्रामीण विकास **डा० गिरीश मिश्र**	2
नियोजित विकास की दिशा में आठवां कदम **वी.के. सभरवाल**	5
रोजगार सृजन ही एकमात्र विकल्प **सुन्दरलाल कुकरेजा**	11
समग्र विकास के लिए पंचायतों को प्रभावी बनाएं **डा. एल.सी.जैन**	15
निरक्षरता उन्मूलन की चुनौतियां **डा. हीरालाल बाछोतिया**	17
मानवीय विकास का आयोजन **प्रेम द्विवेदी**	21
सरकार की नई नीतियों का ग्रामीण विकास पर असर **शैलेन्द्र**	24
पेयजल योजनाओं में महिलाओं को अग्रणी बनाएं **राजीव पंछी**	28
अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना **डा. नारायण दत्त पालीवाल**	31
ग्रामीण विकास योजनाओं के नए आयाम **विजय शंकर**	35
स्वावलम्बन को उच्च प्राथमिकता **जगमोहन माथुर**	40
स्वस्थ राष्ट्र : समर्थ राष्ट्र **आशा शर्मा**	45
ग्रामीण विकास में निजी क्षेत्रों की भूमिका **डा. शशि प्रकाश शर्मा**	49
विषमताएं दूर करनी होंगी **बलराज मेहता**	53

प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी यही हो।

सम्पादकीय पत्र व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण विकास मंत्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें। दूरभाष : 384888

आठवीं पंचवर्षीय योजना और ग्रामीण विकास

□ डा० गिरीश मिश्र □

विकासशील विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां योजनाबद्ध विकास के कार्यक्रम पिछले चार दशकों से लगातार चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों का ही परिणाम है कि देश ने अपने पिछड़ेपन को काफी हद तक दूर कर एक आधुनिक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रगति की है। इतना ही नहीं, हमारा आर्थिक विकास जनतंत्र और आम सहमति के आधार पर हुआ है। इस दृष्टि से भारतीय नियोजन अनुपम है। पिछले चार दशकों में सात पंचवर्षीय योजनाएं सफलतापूर्वक सम्पन्न की गयी हैं और आठवीं योजना का आरम्भ हो चुका है जो 1997 के मार्च तक चलेगी।

यद्यपि योजनाबद्ध आर्थिक विकास की निरन्तरता बनी हुई है और आठवीं योजना उसमें उपयुक्त कडी का काम करेगी, फिर भी यह पिछली सब योजनाओं से कई दृष्टियों से भिन्न है। इसकी भिन्नता के मुख्य कारण देश के बाहर और अन्दर होने वाले अप्रत्याशित और तेज गति से होने वाले परिवर्तन हैं।

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद से चलने वाला भयंकर शीतयुद्ध जिसने दुनिया को दो परस्पर विरोधी गुटों में बांट दिया था, खत्म हो गया है। विश्व में समाजवादी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी है जिसका भारत जैसे देशों पर गहरा प्रभाव पडेगा। कहना न होगा कि पिछले चालीस वर्षों के दौरान भारत और सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोप के देशों के बीच बहुआयामी व्यापारिक एवं आर्थिक सम्बन्ध कायम हुए थे। इन सम्बन्धों के बिखर जाने से निश्चित ही भारत के आर्थिक विकास पर गहरा असर पड़ेगा।

उधर पश्चिमी यूरोप में आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। साझा मण्डी का विस्तार हुआ है और एक साझा मौद्रिक इकाई लागू करने की दिशा में प्रगति हो रही है।

भूतपूर्व सोवियत संघ में शामिल गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के सदस्य बन रहे हैं और उससे आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं। स्पष्ट है कि इन देशों की मांग को पूरा करने के कारण भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों को अब कि मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता की राशि में कटौती होगी। इतना ही नहीं, शीत युद्ध समाप्त हो जाने के कारण अनेकानेक देश अपने सैनिक खर्च में कमी कर सकते हैं, परन्तु भारत ऐसा बहुत हद तक नहीं कर पायेगा क्योंकि उसके पड़ोसी देशों के दृष्टिकोण नहीं बदले हैं।

उपर्युक्त परिवर्तनों का विश्व अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अनेक विकासशील देशों ने इनके परिणामों से निबटने के लिए अपनी आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन करना आरम्भ कर दिया है जिससे नयी परिस्थितियों में वे अपनी अर्थव्यवस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक बना सकें। हमारे पड़ोस में चीन बड़ी तेजी से संरचनात्मक सुधार के कार्यक्रम लागू करने लगा है। ऐसी स्थिति में भारत अपने को अलग-थलग कैसे रख सकता है ? उसे भी अपनी अर्थव्यवस्था को नयी परिस्थितियों के अनुरूप बनाना होगा।

देश के अन्दर 1990-1991 का समय बड़ा कठिन रहा। राजनीतिक अस्थिरता के कारण आर्थिक विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ। सातवीं योजना के 1990 में समाप्त होते ही भुगतान संतुलन की समस्या गम्भीर हो गयी और जून 1991 तक वह काबू से बाहर लगने लगी। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की दर घट गयी और कृषि उत्पादन में 1991-92 में कोई वृद्धि नहीं हुई। खाद्यान्न उत्पादन तो घट गया। औद्योगिक उत्पादन में भी गिरावट आयी जबकि मुद्रास्फीति की दर दुगुनी हो गयी। ऐसी स्थिति में जून 1991 में बनी नयी केंद्रीय सरकार को तुरन्त ऐसे कदम उठाने की जरूरत पड़ी जिन्हें हम अग्निशमनात्मक ही कह सकते हैं। साथ ही, विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन भी शुरु किये गये। 1980 के समूचे दशक में 5.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आर्थिक विकास के बावजूद राजकोषीय असंतुलन तथा भुगतान संतुलन की कठिनाइयों के कारण सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया के ठप्प हो जाने का खतरा पैदा हो गया था।

इस प्रकार देश और विदेशों में व्याप्त नयी परिस्थितियों और चुनौतियों को देखते हुए आठवीं योजना को तैयार किया गया है। वह अर्थव्यवस्था को एक नयी दिशा देगी और सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को समुचित संसाधन के आधार पर निर्धारित करेगी।

भारतीय नियोजन ने आरम्भ में ही 'बाजार' और प्रत्यक्ष राजकीय हस्तक्षेप का बड़ा अच्छा समन्वय किया है। यही कारण है कि समाजवादी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में जो गड़बड़ियां पैदा हुईं वे यहां नहीं देखी गयीं। लगभग सभी योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश कुल निवेश राशि के आधे से भी कम रहा है। यद्यपि सरकार ने कृषि क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं प्रदान की हैं फिर भी कृषि क्षेत्र में निवेश और उसका विकास निजी क्षेत्र के दायित्व रहे हैं।

आठवीं योजना बाजार की भूमिका को बढ़ाना चाहती है और इस कारण नियोजन की प्रकृति निर्देशात्मक न रहकर इंगित करने वाली होगी। उदाहरण के लिए हम कृषि क्षेत्र को ले सकते हैं। खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सरकार ने निश्चित किया है और इस लक्ष्य को जनसंख्या, आय में वृद्धि, निर्यात की आवश्यकता आदि को देखते हुए परिणामत्मक रूप दिया गया है। सरकार इसे प्राप्त करने के लिए वांछित स्थितियां जैसे सिंचाई की सुविधा, कृषि-ज्ञान का प्रचार-प्रसार, बिजली उन्नत बीज की आपूर्ति आदि उपलब्ध करेगी किन्तु कौन सी फसल लगायें, कैसे और कितनी जमीन पर खेती करें---ये सब निर्णय बिना सरकारी हस्तक्षेप के करोड़ों किसान करेंगे। आनेवाले वर्षों के दौरान निर्देशात्मक नियोजन का दायरा कम होगा और संकेतात्मक नियोजन का क्षेत्र बढ़ेगा फलस्वरूप सरकारी तंत्र और नौकरशाही का दबदबा घटेगा तथा निजी उद्यम और पहल को बढ़ावा मिलेगा। आठवीं योजना इस बात पर बल देगी कि सार्वजनिक सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निवेश करें जिनके लिए निजी निवेश सम्भव नहीं है। वर्तमान सार्वजनिक उद्यमों को बाजार की शक्तियों के अनुरुप अपने कामकाज को ढालना होगा और बजटीय सहायता पर अपनी निर्भरता समाप्त करनी होगी। हाँ, ऐसे उद्यम अपवाद के रूप में देखे जायेंगे जो गरीबों के इस्तेमाल के लिए वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न करते हैं।

आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी निराकरण है। चूँकि भारत में गरीबी मुख्य रूप से ग्रामीण आधारित है, इसलिए उसका निशाना तेज गति से ग्रामीण विकास है। गरीबी हटाने के लिए आठवीं योजना में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा। इसलिए जहां कहीं भी सार्वजनिक निवेश की बात आयेगी वहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि की कसौटी पर उसे कसा जायेगा। साथ ही जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करने पर जोर दिया जायेगा। कहना न होगा कि इसके बिना प्रति व्यक्ति आय और जीवनस्तर को ऊंचा उठा पाना कठिन होगा।

आने वाले पांच वर्षों के दौरान निरक्षरता को मिटाने और हर किसी को प्राथमिक शिक्षा देने पर बल दिया जायेगा। ऐसा होने पर हमारी बहुसंख्यक ग्रामीण जनता बाह्यजगत से सम्पर्क बना सकेगी और उसकी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि हो पायेगी जिससे उनकी अर्जन-शक्ति बढ़ेगी।

स्वच्छ जल का अभाव अनेक बीमारियों की जड़ है। हमारे गाँवों में अब तक सब नागरिकों को स्वच्छ जल नहीं उपलब्ध कराया जा सका है। आठवीं योजना का उद्देश्य स्वच्छ पेयजल की उपलब्धि के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना है।

यह मानवीय विकास आठवीं योजना का केन्द्र बिन्दु होगा। इसी सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, और खाद्य पदार्थों तथा आधारभूत ढांचे की सुविधाओं की उपलब्धि महत्वपूर्ण कदम होंगे। सरकार अपना ध्यान इन्ही मुद्दों पर केंद्रित करेगी।

कहना न होगा कि देश में बेरोजगारों की फौज लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले दो दशकों के दौरान रोजगार के अवसर 2.2 प्रतिवर्ष की दर से बढ़े हैं जबकि श्रमिक शक्ति में 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई है। फलस्वरुप बेरोजगारों की संख्या बढ़ती गयी है। पिछले वर्षों के दौरान उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में समुचित वृद्धि नहीं हुई है। स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी का चुनाव इसके लिए जिम्मेदार रहा है। इसलिए संवृद्धि की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी को रोजगार वृद्धि के साथ जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। अनुमान लगाया गया है कि प्रतिवर्ष एक करोड़ अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था हो यानी रोजगार की वार्षिक वृद्धि दर को तीन प्रतिशत किया जाय तो इस शताब्दी के अन्त तक बेरोजगारी को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकेगा।

इस दृष्टि से भौगोलिक एवं फसलों की दृष्टि से कृषि में विभिन्नता (diversification) लानी होगी। फसल उगाने तथा वनरोपण के लिए बंजरभूमि, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, लघु उद्योगों, ग्रामीण आधारभूत ढांचे आदि के विकास पर विशेष जोर दिया जायेगा।

हमारे यहां पूर्ण बेरोजगारी के साथ-साथ अर्ध बेरोजगारी और ऐसे बेरोजगारों की भी समस्या है जिन्हें बहुत कम कमाई हो पाती है। अनेकानेक लोगों को अपनी क्षमता और योग्यता के अनुरुप रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं। इस दृष्टि से आठवीं योजना परम्परागत और असंगठित क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने

तथा नयी एवं उन्नत प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करने और ऋण तथा बाजार की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर देगी। अर्ध बेरोजगारों को सड़क, नहर, भवनों आदि के निर्माण कार्य में पूरक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाये जायेंगे।

निरक्षरता निवारण की दृष्टि से 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के आयुवर्ग पर ही अधिक जोर दिया जायेगा। इसका अर्थ है कि करीब 11 करोड़ लोगों को साक्षर करना होगा। इसके लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा अन्य जागरुक लोगों की सहायता लेनी होगी। सबसे अधिक ध्यान राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा पर देना होगा।

देखा गया है कि उन्हीं राज्यों में निरक्षरता और जनसंख्या तेज वृद्धि की समस्या अधिक विकराल है जहां ग्रामीण विकास की गति धीमी रही है तथा भूमि एवं सिंचाई सुविधाओं का वितरण काफी असमान रहा है। इन राज्यों में ग्रामीण औरतों में निरक्षरता और पिछड़ापन काफी है। इस लिए ऐसे विशेष कार्यक्रम बनाने होंगे जो साक्षरता को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ें।

आठवीं योजना की सफलता का दारोमदार बहुत कुछ कृषि क्षेत्र पर ही होगा। कृषि उत्पादन इतना बढ़ना चाहिए कि खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता रहे, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का परिमाण बढ़े, ग्रामीण बाजार का आकार बढ़े तथा निवेश योग्य संसाधनों की मात्रा में वृद्धि हो। अब तक हरित क्रान्ति का प्रभाव देश के कुछ भागों तक ही सीमित रहा है जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध रही हैं। चूंकि देश का दो तिहाई भाग सिंचाई की सुविधाओं से वंचित रहा है और वहां खेती-बाड़ी मुख्य रुप से वर्षा पर निर्भर रही है इसलिए आठवीं योजना में बारानी खेती को सफल बनाने पर जोर देना होगा। कृषि पर विशेष ध्यान देने का एक अन्य कारण यह है कि हमारी दो तिहाई श्रमिक शक्ति उससे किसी न किसी तरह जुड़ी हुई है। कृषि विकास से इन लोगों की दशा में सुधार होगा।

हमारे यहां तिलहन का उत्पादन भरपूर नहीं होता इसलिए खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है। अगर तिलहन उत्पादन बढ़ता है तो निर्यात में कटौती होगी और विदेशी मुद्रा बचेगी।

हमारे देश में भूमि सुधार के अनेक कदम उठाये गये हैं परन्तु उनका पूर्ण रुपेण कार्यान्वियन नहीं हो पाया है। कुछ राज्यों में जोत की अधिकतम सीमा के निर्धारण से जितनी भूमि अधिशेष के रूप में प्राप्त होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। अनेक जगहों में प्राप्त जमीन का पुनर्वितरण नहीं हो पाया है। सैकड़ों मुकदमें न्यायालयों में वर्षों से लम्बित हैं। सरकार इस दिशा में विशेष कदम उठाने का संकेत दे चुकी है।

आठवीं योजना में जनवितरण की एक नयी व्यवस्था लागू की जायेगी जिसका लाभ ग्रामीण इलाकों को पहुंचे और दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यकता की वस्तुएं उचित मात्रा और उचित कीमतों पर उपलब्ध करायी जा सके। पिछले साल ही यह व्यवस्था शुरु की जा सकी है।

सरकार की नयी उदारीकरण की नीति के कारण सार्वजनिक निवेश, जैसा कि हम उपर कह चुके हैं, चुने हुए क्षेत्रों में ही किया जायेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था तथा अन्य उपायों से संसाधन जुटाना पड़ता रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। ये उद्यम लाभ कमायेंगे या अपना कारोबार बन्द कर देंगे। लाभ कमाने के लिए उन्हें अपनी कार्यकुशलता बढानी पड़ेगी तथा अपने माल की गुणवत्ता सुधारनी होगी। इसके दो परिणाम होंगे। पहला, घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा कम लेने से मुद्रास्फीति पर रोक लगेगी जिससे आम जनता को होने वाली परेशानी घटेगी। दूसरा, अब अधिकाधिक सार्वजनिक निवेश कुछ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ही जाएगा जिनमें ग्रामीण क्षेत्र का विकास और गरीबी का उन्मूलन शामिल है।

आठवीं योजना क्षेत्रीय विषमता और धनी-गरीब के भेद को कम कर देश की एकता और अखण्डता को मजबूत करने का प्रयास करेगी।

एम-112 साकेत,
नयी दिल्ली110017

आठवीं योजना

नियोजित विकास की दिशा में आठवां कदम

□ बी.के.सभरवाल □

नियोजित विकास की दिशा में सात पंचवर्षीय योजनाओं को सम्पन्न करने के बाद देश ने आठवां कदम, आठवीं पंचवर्षीय योजना के रूप में उठाया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च, 1990 को समाप्त हो गई थी। सामान्य स्थिति में आठवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 1990 को आरम्भ हो जानी चाहिये थी; लेकिन आठवीं योजना के प्रारुप को समयानुसार अन्तिम रूप न दिये जा सकने के कारण यह योजना 1 अप्रैल, 1992 से आरम्भ मानी गई है। इस देरी का प्रमुख कारण केन्द्र में सरकार की अस्थिरता एवं सत्ता में पार्टी का परिवर्तन। गत दो-तीन वर्षों में, आठवीं योजना के तीन प्रारुप तैयार हुए, लेकिन केन्द्र सरकार की अस्थिरता के कारण योजना के दस्तावेज को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। जब श्री पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में नई सरकार ने सत्ता सम्भाली तो 1990-91 तथा 1991-92 को वार्षिक योजनाएं माना गया और 1 अप्रैल, 1992 से आठवीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ करने का निर्णय हुआ। इस योजना के लिये दृष्टिकोण-पत्र का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद ने 23 दिसम्बर, 1991 की अपनी बैठक में किया। यहां यह बताना अनावश्यक नहीं होगा कि पंचवर्षीय योजना के निर्धारित कार्यक्रम में दो वर्षों की यह देरी पहली बार नहीं हुई। सन् 1966 से 1969 तथा पुनः सन् 1977 में भी योजना के निर्धारित कार्यक्रम में रुकावट आई थी। उन वर्षों के दौरान भी वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, ताकि नियोजित विकास के कार्यक्रम चलते रहें।

नई चुनौतियां

आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत विश्व में आए अनेकानेक महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में हो रही है। सोवियत संघ का विघटन, पूर्वी यूरोप में परिवर्तन, पश्चिमी यूरोप में साझा बाजार तथा विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर हो रहे आर्थिक सुधारों का हमारी योजना प्रक्रिया पर भी अपेक्षित प्रभाव पड़ा है। यूं तो गत वर्षों के विकास-प्रयासों ने हमारे देश को इतनी मजबूती दी है कि वह विश्व में हो रहे प्रमुख परिवर्तनों के संदर्भ में, आगामी दशक में उठने वाली चुनौतियों का कारगर ढंग से मुकाबला कर सके, लेकिन आठवीं योजना के दौरान उन गम्भीर आर्थिक समस्याओं से सतर्क रहना भी आवश्यक है जो वित्तीय असन्तुलन के कारण जन्म लेती हैं।

वर्तमान आकलन के अनुसार, 1980 के दशक के दौरान, अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष लगभग 5.5 प्रतिशत दर से वृद्धि हुई है, जबकि पिछले तीन दशकों के दौरान वार्षिक औसत वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत आंकी गई थी। निस्सन्देह यह एक उपलब्धि है। इस दशक में कृषि आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले नागरिकों के प्रतिशत में भी पर्याप्त कमी नोट की गई, लेकिन जिस ढंग से अर्थव्यवस्था वृद्धि के लिए पर्याप्त कमी नोट की गई, उसे स्वस्थ नहीं माना जा सकता। हालांकि गत दशक में पूंजी-उत्पादन अनुपात में आई कमी के फलस्वरूप योजनाओं में प्रस्तुत निवेश की तुलना में अपेक्षाकृत कुछ कम निवेश की आवश्यकता रही, लेकिन उस अपेक्षित स्तर के निवेश में भी कठिनाई आई। इस कम स्तरीय निवेश की वित्त व्यवस्था में भी घरेलू बचतों का भाग अनुमानित स्तर से अत्यधिक कम तथा विदेशी मुद्रा का भाग अनुमानित स्तर से अपेक्षाकृत अधिक रहा जिस अन्तराल के कारण बाहरी ऋण सर्विस में वृद्धि हुई। इसके परिणाम-स्वरूप गत वर्षों में विदेशी मुद्रा के भण्डार में बहुत अधिक ह्रास हुआ। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ऊंची ब्याज दरों पर उधार तथा घाटे की अर्थ-व्यवस्था से जो वित्त उपलब्ध करवाया गया उसके परिणाम भी गम्भीर हैं। उधार का एक भाग सरकारी खर्च के लिए भी प्रयोग करना पड़ा। इस सबके प्रभावाधीन सातवीं योजना के दौरना भुगतान सन्तुलन बुरी तरह लड़खड़ाया। सन् 1987-88 के सूखे का भी इस पर असर पड़ा। फलस्वरुप, 1988-89 से मुद्रास्फीति की दर में खतरनाक वृद्धि अनुभव की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना का आरम्भ कुशल श्रमशक्ति एवं उद्यम संसाधनों से आशा तथा अभूतपूर्व वित्तीय असन्तुलन से उत्पन्न निराशा से परिपूर्ण वातावरण में हुआ है।

वित्तीय असन्तुलन की स्थिति से उबरने के लिए सरकार ने रुपये का अवमूल्यन, उदारीकरण तथा नई औद्योगिक नीति जैसे कई कदम उठाये हैं, जिनका प्रभाव आठवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है।

उद्देश्य एवं प्राथमिकता

आठवीं योजना का मूल मन्त्र है : विकास कार्यक्रमों में जनता की पहल एवं सक्रिय भागीदारी। सरकार का योगदान मात्र प्रोत्साहक के रूप में होगा। इस योजना में जिन चार बातों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, वे हैं:

(क) सघन निवेश के लिए क्षेत्रों/परियोजनाओं का स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण।

(ख) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों/परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध करवाने की कारगर कार्यविधि।

(ग) देशभर में रोजगार के समुचित अवसर पैदा करके, स्वास्थ्य संरक्षण सुधार लाकर तथा व्यापक शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान करके सामाजिक सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित करना।

(घ) उपर्युक्त संगठन एवं प्रदाय प्रणालियों की स्थापना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामाजिक क्षेत्रों में निवेश का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए वे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

उपर्युक्त को कार्यरूप देने के लिए जिन उद्देश्यों को प्राथमिकता देने के लिए चुना गया, वे हैं :

(क) शताब्दी के अन्त तक लगभग पूर्ण रोजगार का लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा करना है। (ख) जनता के सहयोग से जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करना। (ग) सबके लिए प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना। 15 वर्ष से 35 वर्ष आयु वर्ग में निरक्षरता का पूर्ण उन्मूलन करना। (घ) सुरक्षित पेयजल का प्रावधान, सभी गांवों में तथा समूची आबादी के लिए रोग प्रतिरोधी टीके लगाने समेत प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराना। (च) कृषि के मामले में आत्मनिर्भरता के अतिरिक्त निर्यात के लिए और ज्यादा उत्पादन करना। (छ) ऊर्जा, परिवहन, संचार तथा सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना ताकि विकास की गति निर्विघ्न बढ़ती रहे। (ज) सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को पूर्णतः समाप्त करना।

उपर्युक्त से स्पष्ट होगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य मुद्दा है, मानव मात्र का चहुंमुखी विकास। 'मानव में निवेश' ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है और उसी को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए इन प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है। कार्य पद्धति के रूप में विकेन्द्रीकरण तथा पंचायती संस्थाओं के सहयोग की वकालत की गई है, लेकिन विडम्बना तो यह है कि देश में पंचायती संस्थाओं का सर्वथा अभाव है। कर्नाटक में जहां मण्डल स्तर पर ये संस्थाएं कार्य कर रही थीं, सत्ता परिवर्तन के साथ ही उन्हें भंग कर दिया गया। पंचायती संस्थाओं का सर्वथा अभाव आठवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है।

रोजगार के अवसर

आज बेरोजगारी की स्थिति ने देश में चिन्ताजनक रूप धारण कर लिया है। कानून व्यवस्था की स्थिति में आने वाली गिरावट तथा नक्सलवाद जैसी समस्याएं कहीं न कहीं बेरोजगारी की समस्या से भी जुड़ी हुई हैं। उपलब्ध श्रमशक्ति के विकास की प्रक्रिया में सकारात्मक निवेश के लिए रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी अनिवार्य है। गत लगभग 20 वर्षों में रोजगार के अवसरों में 2.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि आंकी गई जबकि श्रमशक्ति में लगभग 2.5 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 0.3 प्रतिशत की दर से बेरोजगारी का भार बढ़ा। सन् 2000 तक सबके लिए रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोजगार में लगभग 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि की आवश्यकता होगी। इसके लिए प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करने होंगे जिसके लिए कृषि में विविधता लाने तथा बंजर भूमि की आवश्यकता होगी। मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र में कृषि विकास के लिए कार्य करना आवश्यक होगा। हरित क्रान्ति में भी यह क्षेत्र कृषि उत्पादन की दृष्टि से पिछड़ा रहा है। इस क्षेत्र में कृषि विकास की सम्भावनाओं को साकार किया जाए तो उसी प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे जैसे हरित क्रान्ति के परिणामस्वरुप पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुभव किये गये। इस दिशा में सबसे बड़ी आवश्यकता है गांवों से शहरों के पलायन को रोकने की। हमारी कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था में रोजगार एवं कारोबार के अवसर भी ग्रामों में ही ज्यादा उपलब्ध होने की सम्भावना है। इसके लिए भी योजना के विकेन्द्रीकरण तथा पंचायती संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता होगी।

जनसंख्या नियन्त्रण

जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान स्थिति को कतई सुखद नहीं कहा जा सकता। हर वर्ष देश की आबादी में लगभग एक करोड़ अस्सी लाख की वृद्धि हो जाती है। हालांकि सत्तर के दशक के मुकाबले

अस्सी के दशक में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में मामूली कमी आई, लेकिन फिर भी स्थिति चिन्ताजनक बनी हुई है। वर्तमान दर से सन् 2000 तक देश की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक हो जाएगी। जनसंख्या की इस बढ़ती प्रवृत्ति को अगर रोका न गया तो आम जनता के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं हो पाएगा। इसके लिए केवल योजना बनाने की नहीं बल्कि सबल इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है जो जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए जन आन्दोलन चलाएगा। इस योजना के दौरान जन्म दर को प्रति हजार में 30.5 से घटा कर 26 तक लाने का लक्ष्य है। अभी तक का अनुभव बताता है कि जन संस्थाओं की भागीदारी के अभाव में अरबों की लगात के बावजूद जनसंख्या नियंत्रण में कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई। उत्तर प्रदेश, भारत के चार बड़े राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश), जहां देश की लगभग 40 प्रतिशत जनता रहती है, जनसंख्या नियन्त्रण के लिए अपेक्षा से बहुत कम सफलता मिली है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जन प्रतिनिधियों एवं जन संस्थाओं का सहयोग अत्यधिक आवश्यक है और उस सहयोग की प्रगति हो इस योजना की मुख्य लक्ष्य है।

निरक्षरता उन्मूलन

रोजगार के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि के लिए साक्षरता एक कारगार साधन है। साक्षरता जनसंख्या का भी एक प्रभावी साधन सिद्ध हो सकती है। अत: 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग में निरक्षरता उन्मूलन की ध्येयपूर्ति जनमानस के विकास के लिए अच्छी पृष्ठभूमि सिद्ध हो सकती है, लेकिन इस दिशा में काम अत्यधिक विशाल है। इस लक्ष्य को हासिल करने का तात्पर्य है लगभग 11 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना। इसके लिए धार्मिक लगन से कार्य करने की आवश्यकता है जिससे छात्रों, अध्यापकों तथा अन्य प्रेरित लोगों के सहयोग की जरुरत है। केरल, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल में जो लगभग 100 प्रतिशत साक्षरता की उपलब्धि प्राप्त की है, उपरोक्त राष्ट्रीय ध्येय को प्राप्त करने की आशा बंधती है, सभी इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करें। देश के विभिन्न प्रदेशों में साक्षरता की अलग-अलग स्थिति होने के कारण इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। आठवीं योजना में इसके लिए विशेष प्रबन्ध किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने के लिए ''वोकेशनल'' कार्यक्रम आरम्भ करने तथा सेकेण्डेरी स्तर तक कम्प्यूटर शिक्षा का विस्तार करने की भी योजना है। साक्षरता अभियान के लिए आवश्यक निवेश उपलब्ध कराने की दृष्टि से उच्च तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी भूमिका निभाने दी जा सकती है।

स्वास्थ्य संरक्षण की सुविधाएं

आठवीं योजना के अन्त तक सभी के लिए स्वास्थ्य का समग्र लक्ष्य रखा गया है। प्रयास इस बात का किया जाएगा कि रोगों को ठीक करने के लिए सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ ऐसा वातावरण तैयार किया जाए कि रोग पनपें नहीं। इस पद्धति के अन्तर्गत रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। रोगों की रोकथाम के लिए योग जैसी विधाओं को प्रचलित बनाने का विचार है। उपचार के लिए भी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी आदि कम खर्चीली तथा अधिक कारगर सिद्ध हो सकती हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोगों के उपचार के साथ-साथ रोगों की रोकथाम पर अधिक बल दिया जाएगा। शिक्षा का विकास भी इस दिशा में काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

इसे एक विडम्बना ही कहा जाएगा कि जब हम 'सबके लिए स्वास्थ्य' जैसे उद्देश्य की बात कर रहे हैं, उस समय भी देश के सभी गांवों में शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं। अप्रैल 1985 में देश के 5.60 लाख गांवों में से लगभग 1.62 लाख गांवों में पेयजल का एक भी स्रोत उपलब्ध नहीं था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 1.54 लाख गांवों में पेयजल का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध करवाया गया। इस प्रकार सातवीं योजना के अन्त तक बिना पेयजल स्रोत वाले गांवों की संख्या घटकर 8365 पर जा पहुंची। आठवीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ करते समय भी देश में ऐसे 2824 गांव मौजूद हैं जहां अभी भी पेयजल का कोई भी स्रोत उपलब्ध नहीं। इसके अतिरिक्त अनेकों ऐसे गांव हैं जहां पेयजल का मात्र एक ही स्रोत उपलब्ध है। अनेकों स्थानों पर कुएं ढके हुए नहीं तथा पेयजल उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं, जितना आवश्यक है। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रति 250 जनसंख्या के लिए 1.6 किलोमीटर के घेरे में कम से कम पेयजल का एक स्रोत अवश्य होना चाहिए। धीरे-धीरे इस मापदण्ड में भी सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए आठवीं योजना में विशेष कार्य करने

का संकल्प है। इसके अतिरिक्त पानी से फ्ल्यूराइड तथा खारेपन को दूर करने तथा पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी विशेष उपाय किए जा रहे हैं। पानी की गुणवत्ता और उपयुक्त मात्रा में उपलब्धि का स्वास्थ्य से सीधा सम्बन्ध है। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं सुनिश्चित किए बिना स्वास्थ्योपयोगी वातावरण सम्भव नहीं। इसीलिए आठवीं योजना के दौरान रोगों की रोकथाम को साथ-साथ सबके लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का भी ध्येय है।

स्वास्थ्य एवं पेयजल के साथ आवास भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां समस्या चुनौतीपूर्ण है और इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किए बिना विकास का लाभ जनता के गरीब तबके तक पहुंचना सम्भव नहीं। एक आकलन के अनुसार वर्तमान गति से, सन् 1981 से 2001 तक के बीस वर्षों में लगभग 2 करोड़ 33 लाख आवासीय इकाइयों की कमी होने वाली है। इस कमी के अतिरिक्त, ताजा मांग को पूरा करने के लिए लगभग 6 करोड़ 38 लाख आवासीय इकाइयों की आवश्यकता होगी। इनमें से 3 करोड़ 12 लाख आवासीय इकाइयां शहरी इलाकों में होंगी। आवासीय इकाइयों की इस महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करने के लिए इस योजना में सरकार ऐसा वातावरण बनाएगी कि लोग बिना किसी विशेष कठिनाई के आवास गतिविधियों को सम्पन्न कर पाएं। इसमें भले ही समय लग जाए, लेकिन दीर्घकालीन लक्ष्य सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। ये आवासीय गतिविधियां रोजगार के असंख्यों अवसर उपलब्ध कराने का भी सामर्थ्य रखती हैं।

कृषि उत्पादन

कृषि उत्पादन का हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से चोली दामन का साथ है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का ध्येय कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना मात्र नहीं, बल्कि उत्पादन को निर्यात के लिए भी बढ़ना है। फसलों और क्षेत्रों, दोनों के ही बीच असन्तुलन दिखाई देता है जिसे दूर करना इस योजना का लक्ष्य है। उदाहरण के लिए हरित क्रान्ति का लाभ उत्तर तथा उत्तर-पश्चिमी भारत तक ही सीमित रहा। अन्य क्षेत्रों में, विशेष कर पूर्वी क्षेत्रों में इसके विस्तार की आवश्यकता है। इस क्षेत्र की धरती उपजाऊ है, वर्षा की भी कमी नहीं। इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन विस्तार की काफी सम्भावनाएं हैं तथा यह विस्तार इस क्षेत्र की-अर्थ व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ रोजगार के अवसर जुटाने में भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तिलहनों का उत्पादन बढ़ाना भी आवश्यक है क्योंकि आज भी हमारी विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण भाग खाद्य तेलों को मंगवाने पर खर्च हो रहा है। हमारी दो तिहाई जनता आज भी कृषि पर निर्भर है तथा कृषि का विस्तार हमारी अर्थव्यवस्था के सुधार का एक सुदृढ़ आधार सिद्ध हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कृषि योग्य भूमि का विस्तार। भूमिहीन किसानों की समस्या का इसमें सीधा सम्बन्ध है जिन्हें राजनीतिक कारणों से पूर्णतया हल नहीं किया गया। भूमि सुधार नारे के बजाय यदि निष्ठा का प्रश्न बन जाए तो यह कार्य असम्भव नहीं।

बुनियादी ढांचे की मजबूती

बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्र में, जिसमें ऊर्जा, परिवहन, संचार तथा सिंचाई शामिल हैं, निजी पहल तथा सहनशीलता को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है। पहले इस क्षेत्र की आवश्यकतापूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र ही करता था। आठवीं योजना के अन्तर्गत भी सार्वजनिक क्षेत्र बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाता रहेगा, लेकिन अब बुनियादी क्षेत्रों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रयासों को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को भी पूंजी निवेश का अवसर मिल रहा है। आठवीं योजना के दौरान ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 31000 मेगावाट का ध्येय निर्धारित किया गया है। वर्तमान साधनों का क्षमता मात्र 22000 मेगावाट है। अतः आठवीं योजना के दौरान अतिरिक्त 9000 मेगावाट ऊर्जा के प्रबन्ध की आवश्यकता है। इस योजना के दौरान सम्बन्धित मन्त्रालय द्वारा लगभग 1,28,000 करोड़ सृजन की आवश्यकता आंकी गई जबकि योजना आयोग द्वारा उन्हें मात्र 83,000 करोड़ रुपये ही उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस अन्तर की पूर्ति के लिए निजी क्षेत्र को आमन्त्रित किया गया है। इसी तरह के प्रयास परिवहन, संचार एवं सिंचाई के क्षेत्र में किए जा रहे हैं।

बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए प्रमुख मुद्दों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

आठवीं योजना के अन्त तक देश की ऊर्जा की कमी पूर्णतया समाप्त करना। कुल स्थापित क्षमता में पनबिजली के लिए 40 प्रतिशत के न्यूनतम हिस्से को हासिल करना। पैट्रोलियम पदार्थों की खपत को नियोजित करना। इस दिशा में यह विचारणीय है कि भाप के इन्जन को बदल कर डीजल इन्जन लगाने की वर्तमान परम्परा में आवश्यक फेर बदल कर सीधा बिजली का इन्जन लगाने की योजना को बनाना आवश्यक है। साथ ही सम्बद्ध प्राकृतिक गैस

को जलाने की कार्रवाई को समाप्त करना भी ध्येय है। कोयले तथा लिगनाइट के उत्पादन-स्तर को बढ़ाना। सड़क परिवहन में निजी क्षेत्र के प्रवेश को उदार बनाना। विमान के जरिये पर्याप्त माल का आवागमन तथा जहाजरानी परिवहन क्षमता अन्तर्देशीय जल-मार्गों का विकास करना। सिंचाई के क्षेत्र में बड़ी और मझौली परियोजनाओं के समय और लागत में कमी लाना। अपेक्षाकृत अधिक सिंचाई दरों के माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं की लागत की वसूली। सिंचाई व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने के लिए ड्रिप जैसी आधुनिक युक्तियों को लगाने के काम का विस्तार करना।

सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा की समाप्ति

समाज के दलित वर्ग को सिर पर मैला ढोने जैसी कुप्रथा के अभिशाप से मुक्त करने के लिए आठवीं योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह कुप्रथा हमारे विकास के दावे के खोखलेपन का स्पष्ट प्रमाण है। इस कुप्रथा को पूर्णतया समाप्त करने के लिए निम्न कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं :

(क) शहरी इलाकों में हर मकान में फ्लश प्रणाली के शौचालयों की व्यवस्था को अनिवार्य बनाना।

(ख) उन लोगों को वैकल्पित रोजगार के अवसर उपलब्ध करना जो अभी तक सिर पर मैला ढोने की प्रथा के शिकार हैं।

इन कार्यक्रमों को आठवीं योजना के दौरान की सफलतापूर्वक लागू करना आवश्यक है ताकि समाज का यह प्रभावित वर्ग भी आम लोगों की तरह सम्मानपूर्वक सामाजिक जीवन जी सके। ये कार्यक्रम भी मानव में निवेश के प्रतीक हैं।

आर्थिक नीतियों में परिवर्तन अपरिहार्य

आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य, जिनकी संक्षिप्त चर्चा ऊपर की गई है, निस्सन्देह सराहनीय है, लेकिन इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक प्रबन्ध की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन अपरिहार्य है। यदि हमारे देश को वर्तमान दशा में ऐसे जीवंत अर्थ-व्यवस्था वाले देश के रूप में उभरना है जो अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था की चुनौती स्वीकार करने में सक्षम हो तो आर्थिक परिवेश और योजना की प्रक्रिया को बदलना होगा। इस दिशा में सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन योजना की प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्न परिवर्तन आवश्यक हैं :

(क) ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं को समाप्त किया जाए जिनका कोई आर्थिक औचित्य नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को भी इसी कसौटी पर परखने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इसमें सन्देह नहीं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने देश के औद्योगिक आधार को व्यापक बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, लेकिन इस क्षेत्र की कमजोरियों को अनदेखा करना भी कतई उचित न होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम उन अतिरिक्त संसाधनों को पैदा करने में असफल रहे हैं जिनका पुनर्निवेश किया जा सके। ज्यादातर इकाइयां घाटे में चल रही हैं और उन पर उस बहुमूल्य मुद्रा का अपव्यय हो रहा है जिनकी देश को अन्य विकास योजनाओं के लिए अत्यधिक आवश्यकता है। जिस सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक बुनियादें कमजोर हों, उससे बहुत अधिक आशाएं रखना स्वयं को धोखा देने के समान है। अतः यह आवश्यक है कि सार्वजनिक क्षेत्र सहित सभी योजनाओं/परियोजनाओं के उद्देश्यों को पुनः प्रभावित किया जाए तथा आर्थिक औचित्यहीन इकाइयों को बन्द करने पर विचार किया जाए। पुनर्रचना की इस प्रक्रिया के कारण श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव की उपेक्षा भी सम्भव नहीं। इसके लिए भी उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था पहले ही विचारनी होगी। पहले ही सरकार ने इस दिशा में कुछ कार्य किया है, लेकिन अभी अन्य कड़वे निर्णय लेने की आवश्यकता बनी हुई है।

(ख) हमारी योजना प्रक्रिया की यह एक सर्वविदित खामी रही है कि अनेकों योजनाएं आर्थिक या अन्य लक्ष्य सम्बन्धी उद्देश्यों के बजाय राजनीतिक दबावों के कारण आरम्भ की गईं। अधूरे मन से आरम्भ की गई ऐसी परियाजनाएं आवश्यक संसाधनों एवं वित्तीय सहयोग के अभावों में यहां-वहां बीच में अटकी पड़ी हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 6500-7000 करोड़ रुपये व्यय हो रहे हैं। लेकिन कार्यक्रमों में आपसी तालमेल के अभाव के कारण अपेक्षित लाभ नहीं हो पा रहे। इन सभी कार्यक्रमों को संगठित करने की आठवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में भरपूर वकालत के बावजूद सरकार ने जवाहर रोजगार योजना जैसी कुछ योजनाओं को संगठन से बाहर रखने की घोषणा करके योजना आरम्भ होने से पहले ही उसमें राजनीतिक सेंध लगानी आरम्भ कर दी है। ऐसी घोषणाएं सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह के समान हैं।

इस परिवर्तित रणनीति को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है कि सभी मन्त्रालय अपने द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की तथ्यात्मक समीक्षा करें तथा अनावश्यक योजनाओं को समाप्त करने का राजनीतिक साहस दर्शाएं। इसके बिना नियोजित विकास का

यह आठवां कदम भी पिछले सात कदमों से विशेष भिन्न नहीं सिद्ध हो पाएगा।

वित्तीय प्रबन्ध

कुल घरेलू उत्पाद के रूप में सातवीं योजना के दौरान औसत वृद्धि दर प्रति वर्ष 5.6 प्रतिशत हासिल हुई। कुछ प्रेक्षकों का विचार है कि आठवीं योजना में वार्षिक वृद्धि 6 प्रतिशत होनी चाहिए लेकिन संसाधनों की कमी तथा अन्य विषमताओं को ध्यान में रखते हुए यह सफलता की बात होती यदि आठवीं योजना में सातवीं योजना के दौरान हासिल वृद्धि को कायम रखा जा सके। 5.6 प्रतिशत वृद्धि दर के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय 4,00,000 करोड़ होगा जिसे पूरा करने के लिए सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा बचत के लिए दृढ़ संकल्प से कार्य करना होगा। पुराने अनुभव इस दिशा में अधिक आशा नहीं दिलाते। गत वर्षों में केन्द्र तथा राज्यों की सरकारों की कुल मिलाकर बचत ऋणात्मक ही रही है। इसके लिए बेहतर वित्तीय प्रबन्ध की आवश्यकता है जिससे राजस्व में वृद्धि और खर्चों में कटौती हो। खर्चों में कटौती के लिए रक्षा व्यय की समीक्षा भी शायद आवश्यक हो। यदि हम अच्छा वित्तीय प्रबन्ध न दिखा पाए तथा योजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक पंचायती ढांचा न खड़ा कर पाए तो समस्त घोषणाओं और उच्च उद्देश्यों के बावजूद आठवीं पंचवर्षीय योजना मानव में निवेश का सार्थक उदाहरण नहीं बन पाएगी।

सी-13, गुजरांवाला अपार्टमेन्ट
जे ब्लाक (आनंद कुंज के सामने)
विकासपुरी, नई दिल्ली110018

आठवीं योजना

रोजगार सृजन ही एक मात्र विकल्प

□ सुन्दरलाल कुकरेजा □

आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य देश को विकास के पथ पर आगे ले जाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो दिशा निर्धारित की गई है, वह भारत के ग्रामीण अंचल से होकर गुजरती है। विकास को गति देने के लिए जो साधन अपनाए जा रहे हैं वह ग्रामीण अंचल में रहने वाले करोड़ों लोगों की कठिनाइयों को दूर कर उनके जीवन स्तर में सुधार और समृद्धि लाने के ही उपाय हैं। इसके लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में देहाती क्षेत्र में आवश्यक और मूलभूत सुविधाओं-बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा व चिकित्सा के साधन तथा संचार माध्यमों का विस्तार करने के साथ-साथ इन क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार तथा आत्मनिर्भरता के अवसर पैदा किए जायेंगे ताकि ग्रामोद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों, कुटीर उद्योगों और शिल्प को प्रोत्साहन देकर स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां अपनाई जा रही हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना दो वर्ष के अन्तराल के बाद इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू हो गई है। इन दो वर्षों की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था विविध प्रकार के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संकटों से गुजरती रही है जिनका विकास के लक्ष्यों, साधनों और नीतियों पर, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर सीधा असर पड़ा। योजना की प्राथमिकताओं को बार बार बदलते सन्दर्भों में कई बार पुनः परिभाषित किया गया और तदनुसार नीतियों में भी परिवर्तन किए जाते रहे। मई 1991 के चुनावों के बाद बनी सरकार ने अपनी आर्थिक औद्योगिक व व्यापारिक नीतियों में ऐसे व्यापक परिवर्तन किए हैं जिनके विकास के रास्ते की बाधाओं को दूर करके भारत की कुशलता का पूरा उपयोग किया जा सके। इन्हीं नीतियों के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएं, कार्यक्रम और परियोजनाएं भी संशोधित की गईं और ग्रामीण विकास को देश के सर्वांगीण विकास का एक घटक बनाया गया है। इसीलिए इस योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को भी उतनी ही प्राथमिकता दी गई है जितनी मूलभूत संरचनाओं अथवा औद्योगिक विकास की परियोजनाओं को दी गई है।

ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करना है। गांवों में रहने वाले गरीब वास्तव में एक विशाल मानव संसाधन हैं। इस जनशक्ति का उपयोग किसी भी विकास कार्य के लिए वरदान के समान है, परन्तु अशिक्षा, निम्न उत्पादकता और मार्ग दर्शन के अभाव में यह वर्ग आयोजकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। भारत की 77 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और उनमें से अधिकांश नहीं तो बहुसंख्यक लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। इसलिए ग्रामीण विकास की दिशा में गरीबी को दूर करना एक अनिवार्य और तर्कसम्मत दिशा है। इस दिशा में पिछले वर्षों में जो प्रयास किए गए हैं, उनके यद्यपि अच्छे परिणाम निकले हैं और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में कमी आई है। 1961 में जहां भारत के 57 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते थे, वहां की आबादी में भारी वृद्धि के बावजूद इनकी संख्या घट कर 1990 में लगभग 30 प्रतिशत रह गई है।

इसलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जा रहा है और उसके लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। इस रणनीति के मुख्य तत्व सड़कों, सिंचाई, पीने के पानी, आवास आदि के मामले में ग्रामीण ढांचे में सुधार लाकर उत्पादकता में वृद्धि करना और कौशल के विकास, ऋण तथा बाजार में पहुंच दिला कर आमदनी में वृद्धि करना है। पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में अनेक सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर अमल के दौरान हुए अनुभव तथा चौथी, पांचवीं, छठी और सातवीं योजनाओं में विशेष रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों से राष्ट्रीय समताओं को बहुत शक्ति मिली है। उस सबका लाभ आठवीं पंचवर्षीय योजना में उठाने का प्रयास किया जा रहा है।

सबको रोजगार का लक्ष्य

आठवीं योजना में ग्रामीण अंचल का परिदृश्य बदलने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इस योजना में प्रति वर्ष एक करोड़ नए रोजगार पैदा करने की योजना बनाई गई है। वास्तव में आठवीं योजना का लक्ष्य भी यही रखा

गया है कि अगले दस वर्षों में अर्थात 2002 तक नौवीं योजना की समाप्ति पर देश में कोई भी बेरोजगार न रहे और सबके पास मजदूरी अथवा अपनी कमाई के साधन हों।

अनुमानतः देश में इन दिनों 2 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगारों की श्रेणी में आते हैं। इनमें से 1 करोड़ 70 लाख लोगों के पास तो कोई भी काम नहीं है जबकि 6 लाख लोगों को बहुत ही कम काम मिल पाता है। यह स्थिति आठवीं योजना के आरम्भ की है। आठवीं योजना की अवधि के दौरान इनमें 3 करोड़ 50 लाख तथा नौवीं योजना की अवधि में 3 करोड़ 70 लाख लोग इनमें और शामिल हो जाएंगे, अर्थात जब जब अगली शताब्दी में प्रवेश कर रहे होंगे तो देश में करीब 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिन्हें काम की तलाश होगी। यह एक भयावह स्थिति होगी और उसे दूर करने के लिए हमें अभी से रोजगार के अवसर जुटाने का प्रबंध करना होगा। आठवीं योजना में सबको काम और रोजगार देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए उसी प्रकार की नीतियां तैयार की गई हैं।

इसका अर्थ यह है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर वर्ष रोजगार के अवसरों में 2.8 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी करनी होगी।

आठवीं योजना में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि रोजगार केवल तात्कालिक या तदर्थ न हों, बल्कि उसमें उत्पादकता को भी बढ़ावा मिले। इसलिए यह प्रयास किया जाएगा कि जैसे जैसे विकास की गति बढ़ती रहे, लोगों को सार्थक रोजगार भी मिलता जाए। इसकी रणनीति के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जायेगा जिनमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।

इस दृष्टि से ग्रामीण विकास के लिए आठवीं योजना में कृषि के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। अनुमान है कि कृषि में 3 प्रतिशत की दर से उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके लिए पिछड़े इलाकों, वर्षा पर आधारित क्षेत्रों, और परती भूमि के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, यह आवश्यकता भी रेखांकित की गई है कि अनाज के अलावा अन्य क्षेत्रों, फलों, सब्जियों, मछली और मुर्गी पालन तथा ऐसे अन्य कामों को भी बढ़ावा दिया जाए जिनसे अधिक लोगों को रोजगार व आमदनी के साधन मिल सकते हैं।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ ही कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलना भी अत्यंत स्वाभाविक है और आठवीं योजना में इस तथ्य पर पूरा ध्यान दिया गया है। इससे जहां बेरोजगारों को काम मिल सकेगा, वहां विकास की गति भी तेज होगी और इन कृषि उद्योगों से जुड़े अनेक और धन्धे भी चल निकलेंगे। इनका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ग्रामीणों और किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य भी मिल सकेगा।

अनुमान लगाया गया है कि आठवीं योजना की अवधि में अगर कृषि उत्पादों के मूल्य का 5.6 प्रतिशत भी संवर्धन किया जा सके तो उससे प्रतिवर्ष 2.6 प्रतिशत की दर से रोजगार के साधन बढ़ाए जा सकते हैं। इससे प्रतिवर्ष 85 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। अगले दस वर्ष की अवधि में एक करोड़ लोग प्रतिवर्ष अतिरिक्त काम धन्धा पा सकेंगे। आठवीं योजना की अवधि में विशेष रोजगार कार्यक्रमों में भी आवश्यक संशोधन करके उन्हें जारी रखा जायेगा।

हथकरघा व हस्तशिल्प

कृषि उद्योगों के साथ साथ ग्रामोद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए भी आठवीं योजना में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लघु और छोटे उद्योगों को नया जीवन देने के लिए जो नई नीति संकल्प तैयार किया गया है, उसमें इन उद्योगों के साथ साथ ग्रामोद्योगों, विशेषकर हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। देश में कुल जितना कपड़ा तैयार होता है, उसका 30 प्रतिशत हथकरघा क्षेत्र से ही आता है। इस उद्योग को बढ़ावा देना न सिर्फ रोजगार की दृष्टि से, बल्कि सम्पूर्ण ग्रामीण विकास के लिए भी आवश्यक है। आठवीं योजना में यह व्यवस्था की गई है कि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए स्थानीय व क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर कार्यक्रमों की पुनः रचना की जायेगी और बुनकरों की सहकारी समितियों को सशक्त बना कर उन्हें ग्रामीण विकास में योगदान का प्रभावी माध्यम बनाया जायेगा।

इस सम्बंध में यह पाया गया है कि जनता कपड़ा योजना बुनकरों के हित की दृष्टि से लाभकारी नहीं रही है। इस योजना से बुनकरों को मात्र न्यूनतम आय का ही साधन मिल पाता था और उसके जीवन स्तर में सुधार की सम्भावना नहीं लगती थी। अतः यह निश्चय किया गया है कि आठवीं योजना के अंत तक इस योजना को धीरे धीरे खत्म किया जाए और इसके स्थान पर बुनकरों को पर्याप्त वित्तीय मदद देकर उनके करघों के आधुनिकीकरण का काम

शुरू किया जाए व उन बुनकरों को जो पुरातन ढंग से, लेकिन कम उत्पादक तरीके से काम करते आ रहे हैं, नई तकनीक का प्रशिक्षण व नए डिजाइन तथा रंग-आयोजना की जानकारी देकर अपना उत्पादन व आमदनी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस संदर्भ में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है।

इसी प्रकार हस्तशिल्प और कारीगरों द्वारा हाथ से की गई दस्तकारी के क्षेत्र में भी ग्रामीणों को नई तकनीकों की जानकारी व प्रशिक्षण की योजना आठवीं योजना में तैयार की गई है। योजना में इस पर बल दिया गया है कि भारतीय हस्तशिल्प ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व कमाई तथा व्यापार के क्षेत्र में निर्यात का प्रमुख स्रोत है, इसलिए इस क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन देने को आठवीं योजना में प्रमुखता दी गई है। ग्रामीण हस्तशिल्प की गुणवत्ता, व उत्पादकता में सुधार करके इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्रोत बनाने की परियोजना तैयार की गई है।

आठवीं योजना में इस बात को भी नजर अंदाज नहीं किया गया कि ग्रामीणों द्वारा उत्पादित माल का जब तक उचित रुप से विपणन नहीं होगा और बिचौलियों द्वारा उनका शोषण खत्म नहीं किया जायगा तब तक उनका जीवन स्तर नहीं सुधारा जा सकता। इसी उद्देश्य से आठवीं योजना की अवधि में इस पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा कि बुनकरों, कारीगरों व दस्तकारों को एक ओर उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रेरित किया जाय और दूसरी ओर उन्हें कच्चे माल सूत, धागे एवं रसायन, सुधरे हुए करघों व अन्य उपकरणों की आपूर्ति व आवश्यक ऋण की सुविधा भी पर्याप्त मात्रा में दी जाए ताकि गांव का गरीब अपने कौशल का उपयोग करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उनके माल की बिक्री के लिए राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों और प्रचार आदि द्वारा प्रयास किया जायेगा। इस पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा कि गांवों में जो माल बने, वह इतनी उत्तम किस्म का हो कि उसका निर्यात किया जा सके। यह सब करते हुए भी, भारत की प्राचीन शिल्प संस्कृति और पारम्परिक कला को बनाए रखने एवं शिल्पकारों की वंशानुगत चली आ रही निपुणता को बचाए रखने एवं बढ़ाने पर पूरा ध्यान दिया जायेगा।

ग्रामीण इलाकों में उद्योगों के विकास व विस्तार के लिए तकनीकी वित्तीय व्यवस्था, विपणन की सुविधाएं और साधन सामग्री तो जुटाई जा सकती है, किन्तु विकास का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक स्रोत मानव संसाधन है। गांवों में जनशक्ति का बाहुल्य है, लेकिन उसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा। इसीलिए आठवीं योजना की अवधि में ग्रामीण युवाओं को अपना रोजगार स्वयं करने की ओर प्रेरित करने और उसका प्रशिक्षण देने के लिए 'ट्राइसेम' योजना को अधिक तेजी से जारी रखा जायेगा। ट्राइसेम ग्रामीण विकास का एक अनिवार्य भाग है।

इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों के विकास कार्यक्रमों की भी आठवीं योजना में अनदेखी नहीं की गई है बल्कि इस कार्यक्रम को अधिक उत्साह से करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए अपनी आजीविका खुद कमाने और आय-उत्पादन के अवसर बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है और इसके लिए उन्हें विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। सातवीं योजना की अवधि में यह कार्यक्रम देश के 240 जिलों के चुने हुए खण्डों में चलाया गया। इसके लिए यह रणनीति अपनाई गई है कि आठवीं योजना अवधि के दौरान हर वर्ष 50-50 जिलों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यह भी योजना बनाई गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बचत तथा ऋण को प्रोत्साहन देने के लिए महिलाओं के वर्ग को गठित किया जाय और उन्हें उतनी ही रकम भारत सरकार से उपलब्ध कराई जाए जो इन कार्यक्रमों के लिए बजट में रखी गई है। आशा की जाती है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में इतनी शक्ति आ जायेगी कि वे विवेकपूर्ण प्रक्रिया के जरिए लैंगिक एवं अन्य सामाजिक आर्थिक भेदभाव व शोषण के विरूद्ध संघर्ष कर सकेंगी।

ग्रामीण ऊर्जा परियोजना

ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी अड़चन, ग्रामीण अंचलों में ऊर्जा की कमी या अभाव है। इसी कारण ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वन काटने पर मजबूर होते हैं जिसके दुष्परिणाम के रूप में भूक्षरण होता है और भूमि की उर्वराशक्ति का ह्रास होता है। इस समस्या का सामना करने के लिए आठवीं योजना में समन्वित ग्रामीण ऊर्जा परियोजना तैयार की गई है।

इसके अन्तर्गत, स्थानीय और क्षेत्रीय आधार पर ऊर्जा के पारम्परिक अथवा पुनः उपयोग योग्य साधनों का मिलाजुला विवरण तैयार किया जाता है और उनका उपयोग वैकल्पिक उपाय के रुप में किया जायेगा।

इससे एक ओर गांवों की ऊर्जा की आवश्यकता पूरी की जा सकेगी और उस पर खर्च भी कम लगेगा तथा कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए भी ऊर्जा मिल सकेगी। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी और प्रदूषण के खतरों को कम करने में मदद मिलेगी।

ग्रामीण ऊर्जा परियोजना सातवीं योजना में आरम्भ की गई थी और 250 ब्लाकों में अब तक इसका विस्तार किया जा चुका है। आठवीं योजना के पांच वर्षों में हर वर्ष 100 और ब्लाकों में इसका विस्तार करने की योजना है ताकि आठवीं योजना की अवधि में 500 ब्लाकों में इस परियोजना को लागू किया जा सके।

इसके लिए हर राज्य के स्तर पर और फिर हर जिले व ब्लाक के स्तर पर ऊर्जा विभागों का गठन किया जायेगा और ऊर्जा के ऐसे स्रोतों का पता लगाया जायेगा जिनका उपयोग करके पर्यावरण की रक्षा व आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। ऐसे कार्यक्रमों में सहायता व समन्वय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशिक्षण व अनुसंधान केन्द्र बनाए जायेंगे। इन परियोजनाओं से स्थानीय सामग्री से ही ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा विकास में गति लाना सम्भव होगा।

गांवों में सुधार व विकास की कोई भी परियोजना तब तक सफल नहीं हो सकती, जब तक इन गांवों को अन्य विकसित और व्यापारिक केन्द्रों के साथ नहीं जोड़ा जाता। इसके लिए परिवहन प्रणाली का विकास और ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण की महत्ता को कम नहीं किया जा सकता। इसीलिए आठवीं योजना में ग्रामीण सड़कों के विस्तार, सुधार और रखरखाव पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है और उसके लिए जहां तक सम्भव है, आवश्यक धन का आबंटन भी किया जा रहा है। इसी प्रकार गांवों में स्कूलों, अस्पतालों, पीने के पानी, सिंचाई सुविधाओं और आवास आदि पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

लेकिन कोई भी परियोजना या कार्यक्रम, केवल भौतिक सामग्री उपलब्ध करा देने से ही सफल नहीं हो सकती। उसकी सफलता के लिए उन लोगों का सक्रिय सहयोग और भागीदारी आवश्यक है जो उनका लाभ उठायेंगे। आठवीं योजना में जनता की भागीदारी और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग पर विशेष बल दिया गया है। वास्तव में, आठवीं योजना में विकास के अभियान को जन अभियान बनाने का प्रयास किया गया है। शिक्षा और खासकर प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, परिवार कल्याण, भू सुधार, भूमि के कुशल उपयोग लघु सिंचाई योजना, जल स्रोतों के बहेतर उपयोग वनों की रक्षा या ऐसा कोई भी काम जन सहयोग के बिना सम्भव नहीं है। जिन लोगों को सरकारी योजना का लाभ उठाना है, उन्हें स्वप्रेरणा और स्वेच्छा से इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आगे आना होगा। सम्पूर्ण विकास की यही कुंजी है।

विशेष संवाददाता
दैनिक हिन्दुस्तान
बी-7, प्रेस एन्कलेव
साकेत, नई दिल्ली-110017

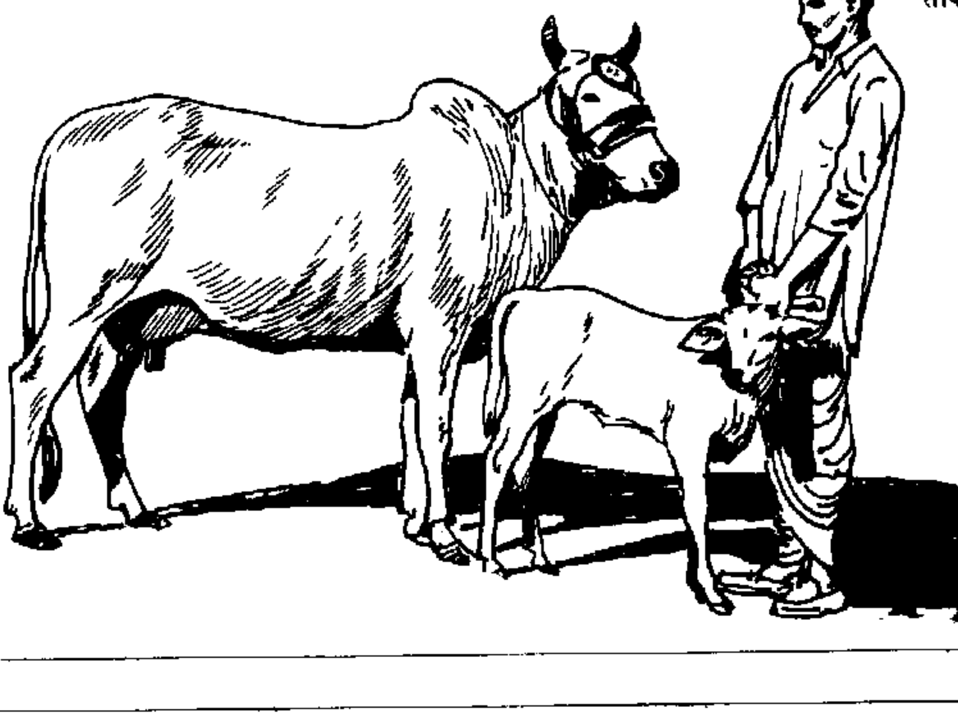

आठवीं योजना

समग्र विकास के लिए पंचायतों को प्रभावी बनाएं

□ डा० एल० सी० जैन □

आठवीं योजना में विकास कार्यों को समग्र रूप से नए मासले और नया जीवन प्रदान करने के लिए ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधि संस्थाओं अर्थात पंचायतों को आगे लाने की उल्लेखनीय परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 23 दिसम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठक में जो योजना दस्तावेज पेश किया है वह हमारी कुछेक सबसे पहली चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम प्रभावी नीति के रूप में सूक्ष्म आयोजना अथवा क्षेत्रीय आयोजना का पक्षधर है।

सर्वप्रथम, जनसंख्या वृद्धि दर, जिस पर 1981 और 1991 के बीच नियंत्रण पाने में हम असफल रहे हैं। योजना दस्तावेज में यह कहा गया है कि योजनाओं के कार्यान्वयन में सूक्ष्म स्तरीय आयोजना और क्षेत्रीय नीति न होने के कारण हम इस दिशा में असफल रहे हैं और असफल होते रहेंगे। बुनियादी स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, पेयजल और दूसरी कल्याण योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से अमल में लाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर नीतियां बनाना बहुत जरुरी है। जनसंख्या वृद्धि दर पर काबू पाने के लिए इन योजनाओं का प्रभावशाली कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है— केरल ने हमारे सामने ऐसा ही उदाहरण पेश किया है। दूसरे, इस बढ़ती आबादी में दो वक्त के पेट भरने की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारा कृषि उत्पादक आधार काफी छोटा है। योजना दस्तावेज के अनुसार, इसका एक मात्र विकल्प अपने कृषि उत्पादन आधार का विस्तार करना है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि हमारा तीन-चौथाई कृषि क्षेत्र जोकि शुष्क भूमि क्षेत्र है, उसे उत्पादन के लिए तैयार करके उसका इस्तेमाल किया जाना अति आवश्यक है। इसके लिए क्षेत्र विशेष में जल विभाजन के आधार पर गांवों के छोटे समूहों में जल विभाजन की छोटी-छोटी योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। शुष्क भूमि क्षेत्र में भूमि, जल और प्ररोहण की उचित देखभाल और वैज्ञानिक प्रयोग हेतु गहन आयोजना की आवश्यकता है। हम ऐसी भूमि से उत्पादन को कई गुणा करने के लिए अपेक्षित कृषि संबंधी तकनीकी तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। इससे न केवल हमारा उत्पादन कम हुआ है बल्कि लोगों को रोजगार भी कम मुहैया हो सका है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि शुष्क भूमि की उत्पादन क्षमता का विकास करने के लिए श्रम का व्यापक और साथ ही साथ गहन निवेश करना होगा। योजना दस्तावेज में इस बात पर बल दिया गया है कि निचले स्तर की संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाना होगा। ऐसा करके ही हम स्थानीय जनसंख्या के बढ़ने पर एक अंकुश लगा सकते हैं और इन्हीं परिस्थितियों में हम दिल-दिमाग और संसाधनों के साथ लोगों की पूर्ण भागीदारी की आशा कर सकते हैं।

तीसरे, गरीबी-योजना दस्तावेज में यह तर्क दिया गया है कि हालांकि हम गरीबी उन्मूलन की सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर प्रति वर्ष लगभग 6500 करोड़ रुपये से लेकर 7000 करोड़ रुपये तक खर्च करते हैं, लेकिन वे कोई प्रभाव डालने में सफल नहीं हो सकी हैं क्योंकि योजनाएं एक-दूसरे से अलग-अलग और अपूर्ण हैं इसलिए उनकी प्रभावशीलता कम है और इसी वजह से संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। एक केन्द्रीकृत प्रणाली, जो कि अफसरशाही की प्रणाली है, और जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, में भ्रष्ट प्रक्रियाओं की वजह से संसाधनों का दुरुपयोग होता है। इसलिए योजना में यह सिफारिश की गई है कि सभी योजनाओं का एक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में विलय कर दिया जाए और इस समय अलग-अलग कार्यक्रम के लिए निर्धारित धनराशि का एक योजना अथवा कोष में विलय कर दिया जाए और इस कोष में से राज्य सरकारों की मार्फत ग्राम पंचायतों को उनके अंश-अनुपात के आधार पर आबंटन किये जाएं। इस प्रयोजन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को चाहिए कि वह अपने बजट शीर्षों की राशि को गरीबी उन्मूलन की सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए एक साथ मिला ले। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इस विचार का समर्थन किया है लेकिन इस संकल्प की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि जवाहर रोजगार योजना और ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना

(डवाकरा) को एक साथ नहीं मिलाया जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा परिकल्पित उपायों को पहला आघात पहुंचा। इसके अतिरिक्त, योजना दस्तावेज में इस मामले में भी पंचायतों के महत्व पर पुनः बल दिया है।

लेकिन कोई पंचायतें है ही नहीं। पंचायतों के बारे में 77 वां संशोधन विधेयक अभी कागजों पर ही है और जहां पंचायतें काम कर रही थीं, और अच्छा काम कर रही थीं जैसे कि कर्नाटक में 2600 मंडल पंचायतें, उन्हें प्रशासकों द्वारा सुपरसीड कर दिया गया है। इस प्रकार की घटनाएं तो योजना दस्तावेज को पीछे की ओर ले जा रही हैं।

परिणाम स्वरुप, आठवीं योजना में सभी दिशाओं के समग्र विकास की योजनाओं की परिकल्पनाओं के बावजूद भी जनसंख्या, कृषि उत्पादकता, रोजगार और गरीबी उन्मूलन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किसी विशेष सुधार की आशा नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अगली बैठक का कार्य इन महत्वपूर्ण मानदण्डों के मार्ग में आने वाली बाधाओं की जांच करना और उन्हें दूर करना होना चाहिए यदि हम भुगतान संतुलन की समस्या के लिए जनसंख्या, उत्पादन और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्रों में धीमी गति से चलें और विदेशी निवेश की ओर भागें तो हम सतत आधार पर भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने में विफल होंगे इस ढांचे में परिवर्तन करने का अभियान एक तरफा रह गया है और यह योजना दस्तावेज की परिकल्पना के अनुरुप नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय विकास परिषद् के सम्मुख अगला कार्य गरीबी उन्मूलन के मुख्य क्षेत्रों में बहु-आयामी उन्नति के मार्ग पर बढ़ने के लिए आर्थिक सुधार उपाय करना होगा। इसमें सबसे पहले और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय जनसंख्या, उत्पादकता, और गरीबी तथा रोजगार होंगे।

अनुवाद; किरन गुप्ता
IV/1611, भोलानाथ नगर
दिल्ली-110032

आठवीं योजना

निरक्षरता उन्मूलन की चुनौतियां

□ डा० हीरालाल बाछोतिया □

यद्यपि बड़ी संख्या में लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं तथापि गांव हमारी विचारणा के केन्द्र बिन्दु बने हुए हैं। गांव में भी प्रौद्योगिकी पहुंच रही है। इस प्रौद्योगिक से समायोजन न सिर्फ साक्षरों को वरन् निरक्षरों को भी करना है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के द्वारा बच्चों की शिक्षा का लक्ष्य पूरा किया जाना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने में दृढ़ निश्चय के स्वर सुनाई भी दे रहे हैं किंतु पंद्रह साल से अधिक आयु के प्रौढ़ों को काम के लायक पढ़ना लिखना सिखाना प्रौद्योगिकी के साथ समायोजन तथा लोकतंत्र की सफलता के लिए यक्ष प्रश्न है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में तकनीकी विकास एवं संरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकताओं का सृजन विकास प्रक्रिया के प्रमुख तत्व रहे हैं। किंतु पर्याप्त जानकारी के अभाव में विभिन्न क्षेत्रों में निवेशों के पूरे लाभ उठाना संभव नहीं हो पाया। अत: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता गया है। नवीनतम अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एवं विकासों की जानकारी के लिए लोगों का शिक्षित होना जरूरी है। यही कारण है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना के अनुसार ''शिक्षा राष्ट्र के सुनियोजित विकास में बहुत अधिक महत्व रखती है अत: शिक्षा तंत्र को विशिष्ट कार्यों के लिये तेजी से बढ़ाना होगा, जिससे राष्ट्र योजना के माध्यम से अपना साँचा तैयार करे और वांछित दर पर उपयुक्त योग्यता के विभिन्न क्षेत्रों के कार्मिक उपलब्ध करा सके। शैक्षणिक प्रणाली के समान्य उद्देश्यों की प्राप्ति का योजना से काफी नजदीकी संबंध है, इसलिए कि यह व्यापक रुप से मानवीय शक्तियों की गुणवत्ता और समुदाय के सामाजिक परिवेश पर निर्धारित होता है। प्रजातांत्रिक ढाँचे में शिक्षक की भूमिका बहुत ही निर्णायक बन जाती है। यह प्रभावी रुप से तभी कार्य कर सकती है जबकि राष्ट्र से संबंधित मामलों में बहुसंख्यक जनसमुदाय की बौद्धिक प्रतिभागिता हो। प्रजातंत्र योजना की सफलता उत्साहपूर्ण सहयोग के विकास पर निर्भर करती है तथा लोगों के बीच अनुशासित नागरिकों की भावना जगाती है और साथ ही यह लोगों में उत्साह के लिए आह्वान करती है जिससे स्थानीय नेता जन्म लेते हैं। योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि शैक्षणिक कार्यक्रम लोगों को प्रशिक्षित करने में सहायक बनें, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जिम्मेदारियों को पहचानें और अपना आत्मसम्मान स्वयं रखें तथा वैधानिक सीमाओं के अंतर्गत अर्जनशील सहज बुद्धि से प्रभावकारी बनें। शैक्षणिक प्रणाली सांस्कृतिक आवश्यकताओं को भी संतुष्ट करे, जो कि स्वस्थ राष्ट्र के विकास के लिए बहुत जरुरी है। यह प्रणाली सृजनात्मक सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करे, उपयोग की क्षमता को बढ़ाए और कला, साहित्य तथा अन्य सृजनात्मक क्रिया कलापों की आलोचना करने का साहस जुटा सके। उपयुर्क्त उद्देश्यों को पूरा करने में व्यक्ति विशेष का विकास ही उसका पथ प्रदर्शन करेगा जो किसी भी शिक्षा प्रणाली का प्रथम एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए।''

अन्य विकासशील देशों के संदर्भ में यह देखा जा सकता है कि पिछड़े भागों में उचित शिक्षा और साक्षरता का विस्तार आर्थिक विकास के प्राथमिक चरणों में ही पूरा करने का प्रयास किया गया। औद्योगीकरण और तीव्र आर्थिक विकास 70-80 प्रतिशत जनसंख्या की साक्षरता के साथ जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। इस दृष्टि से सातवीं योजना में भी पर्याप्त बल दिया गया था। विवेकपूर्ण आधार पर प्रशिक्षित और शिक्षित विशाल जनसंख्या स्वयं आर्थिक विकास में तेजी लाने में एक परिसंपत्ति बन सकती है और वांछित निवेशों में सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सकता है।

जहां तक साक्षरता प्रसार का संबंध है, यह एक चुनौती भरा कार्य है। यद्यपि साक्षरता के प्रतिशत में स्वातंत्रोत्त्तर काल में निरंतर वृद्धि हुई फिर भी चुनौती अपनी जगह है। साक्षरता का प्रतिशत 1951 में 16.6 था जो 1981 में 36.2 तथा 1991 में 52.11 प्रतिशत के लगभग हो गया है। 1991 में यह प्रतिशत तब प्राप्त किया जा सका जब 5 साल के बालकों को न साक्षर न निरक्षर श्रेणी में रखा गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है कि रोजगार अवसरों का विस्तार तथा उपयोग और उत्पादकता में वृद्धि को शिक्षा सर्वाधिक प्रभावित करती है और विकास प्रक्रिया में शिक्षा एक निवेश है। यह निवेश सही समय पर होना चाहिए ताकि विकास के समग्र प्रयासों का पूरा फायदा उठाया जा सके। स्मरणीय है

कि 1964 में तेहरान में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में पारित किया गया था कि साक्षरता विकासोन्मुख होनी चाहिए तथा विकास की हर योजना का अंग होना चाहिए। किसी न किसी रूप में साक्षरता का संबंध विकास योजनाओं से रहा है किंतु औपचारिक स्वीकृति महत्वपूर्ण है।

1986 में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज में प्रौढ़ शिक्षा को प्रक्रिया और मंच दोनों माना गया है। प्रक्रिया के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों के लिए प्रभावी स्वदेशी यांत्रिकी का सृजन किया जाता है और मंच के माध्यम से इन वर्गों को जानकारी प्राप्त होती है तथा विकास की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है।

प्रौढ़ शिक्षा और विकास कार्यक्रमों के बीच एक प्रभावी कड़ी स्थापित करने की दृष्टि से शिक्षा नीति में सुझाए गये मार्ग इस प्रकार हैं —

1. आई०आर०डी०पी०और एन०आर०डी०पी० के लाभग्राहियों के लिए विशेष साक्षरता प्राइमर और अन्य पठन सामग्री का विकास किया जाए जिससे वे अपने अधिकारों और दायित्वों को समझ सकें।

2. प्रौढ़ महिलाओं के कार्यात्मक साक्षरता के संघटक को बनाए न रखने के कारण आई०सी०डी०ए० की प्रभावोत्पादकता को नुकसान पहुंचा है। इस कार्यक्रम को महिला कार्यात्मकता साक्षरता मंच (म.क.सा.म.) के रूप में पुन: शुरू किया जाएगा जो आई.सी.डी.एम. का एक एकीकृत भाग होगा।

3. अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए अन्य वर्गों के विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में जहां कहीं संभव होगा वहां साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के संघटन को शामिल किया जाएगा।

4. बाल कल्याण के कार्यक्रमों में साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो विधि द्वारा नियोक्ताओं से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने सभी कर्मचारियों के लिए साक्षरता और कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करे। कामगारों के विभिन्न वर्गों के लिए कल्याण निधियों का साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने के लिए उपयोग किया जाएगा और असंगठित कामगारों की विभिन्न स्कीमों पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

5. साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा में महिलाओं के विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को भी एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में शामिल किया जाएगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में योजनाकारों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा को विकास कार्यक्रमों से जोड़ना एक संकल्प के क्रियान्वयन के मार्ग को प्रशस्त करना है। किंतु साक्षरता कार्यक्रमों की सफलता के लिए कतिपय चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित करना परमावश्यक है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

साक्षरता और कार्यात्मकता

1. ये कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट रूप से स्थानीय होने चाहिए। ये स्मरण रखना उपयोगी होगा कि विभिन्न क्षेत्रों, भागों और राज्यों में लोगों और वर्गों की आवश्यकता में काफी अंतर है। अत: वर्ण्य विषय में आवश्यकताओं को आधार बनाना जरुरी है।

2. लोग केवल पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रखते उन्हें विशेष रुप से अपने काम धंधों और उनमें बेहतरी में रुचि होती है। अत: कार्यात्मकता (फैक्शनेलिटी) और साक्षरता में सहयोजन होना चाहिए।

3. सरकारी प्रयासों से क्रियान्वित कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों का सक्रिय सहयोग लिया जाना चाहिए।

4. रेडियो, टी.वी, वी.सी.आर. का उपयोग सूचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से और बड़े पैमाने पर होना चाहिए। द्रुतगामी साक्षर अधिगम प्रणालियों तथा शिक्षण अधिगम की सहायता से इस कार्यक्रम का परिष्कार किया जा सकता है।

साक्षरता और अनुसंधान

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन दिया जाना अपेक्षित है। इस दृष्टि से कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा संसाधन केन्द्रों द्वारा इसका सृजनात्मक उपयोग कर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को अधिक गतिशील बनाया जाना चाहिए।

सतत शिक्षा

सतत शिक्षा पढ़ने वाले समाज (रीडिंग सोसायटी) की स्थापना का लक्ष्य है। आज शिक्षा पर जिस अनुपात में खर्च किया जा रहा है, उसकी उपलब्धि अपेक्षित स्तर की नहीं है। विशेष रूप से ड्राप आउट के कारण अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा पर कुठाराघात हो रहा है। अत: निश्चित करना जरुरी है कि जो साक्षर बन जाएं वे पुन: निरक्षर न बन जाएं। प्रत्येक नवसाक्षर को नियमित अन्तराल

पर रुचिकर पठन योग्य नव साक्षर साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। गांवों के प्राथमिक विद्यालयों में भी नवसाक्षर साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि नव साक्षरों में पढ़ने की आदत बनी रह सके। यह तभी संभव है जब ऐसा साहित्य आसानी से उपलब्ध होता रहे।

जनशिक्षण निलयम

सतत शिक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में जन शिक्षण निलयम की स्थापना एक स्वागत योग्य कदम है। 4-5 गांवों (5000 जनसंख्या) के लिए एक जनशिक्षण निलयम स्थापित किया जाएगा जिसके कार्य निम्नानुसार होंगे—

क. साक्षरता तथा संख्या बढ़ाने के लिए सांध्यकालीन कक्षाएं।

ख. पुस्तकालय।

ग. सामान्य समस्याओं पर चर्चा मंडल।

घ. स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, कृषि जगत में नये विकास और पशुपालन, कृषिकर्म, ऊर्जा संरक्षण जैसी विधियों से संबंधित अल्पकालिक और सामान्य प्रशिक्षण।

च. मनोरंजन एवं सांस्कृतिक गतिविधियां।

छ. विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों संबंधी सूचनाएं मुहैया कराने का केन्द्र बनाना।

ज. सामुदायिक भवन, जहां पर सामुदायिक रेडियो, टी.वी. आदि उपलब्ध कराना।

जन शिक्षण निलयम एक ऐसा सामुदायिक केन्द्र होगा जिसमें समुदाय के अशिक्षित, अर्द्ध शिक्षित और शिक्षित लोगों को अपनी शिक्षा जारी रखने का अवसर मिलेगा। वह ऐसे परिवेश का भी निर्माण करेगा जिसमें अनपढ़ों को साक्षरता प्राप्त करने की प्रेरणा मिले। किंतु इसका विस्तार प्रत्येक ग्राम में किया जाए तभी साक्षरता को सर्वव्यापक बनाया जा सकता है।

विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ना

यह बारबार कहा गया है कि अन्य विकास कार्यक्रमों के लिए यह अनिवार्य बना दिया जाए कि साक्षरता कार्यक्रमों के कार्यों विषयों के लिए सक्रिय सहयोग दें और इन कार्यक्रमों में एक कड़ी का कार्य करें।

गुन्नार-मिरडल के अनुसार क्रियात्मक साक्षरता कई समस्याओं का निदान है। स्थानीय आयोजन, सहकारी आंदोलन तथा स्वशासन जैसे कार्यक्रम साक्षरता के बल पर ही आगे बढ़ते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी चाहे सरकारी प्रशासन में हो, चाहे कृषि अथवा उद्योग में, उसकी सफलता उच्च साक्षरता पर निर्भर करती है। साक्षरता संचार के द्वार खोलती है। कौशल निर्माण से लेकर चेतना निर्माण के सभी काम साक्षरता की धुरी पर ही चल सकते हैं।

किंतु अब तक की वास्तविकता यही है विकास के किसी भी अभिकरण से क्रियात्मक साक्षरता का कोई लेना देना नहीं रहा। दोनों को जोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इससे भी अधिक निराशाजनक स्थिति यह रही कि बीस सूत्री कार्यक्रम का हिस्सा होने के बावजूद प्रौढ़ शिक्षा को पढ़ना लिखना और गणित जानने तक सीमित रखा गया। सीखने वाले की आवश्यकता से इसे जोड़ने का कार्यक्रम भी नहीं चलाया गया। यह ज्ञातव्य है कि जो प्रौढ़ 15-20 साल की आयु तक बिना साक्षरता के अपना जीवन यापन कर चुके हैं उनके लिए अकेले क ख ग लिखने में कितनी दिलचस्पी होगी। अतः इसे आकर्षक बनाने के लिए समन्वय (कोरिलेशन) की तकनीक जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बुनियादी तालीम के लिए अपनाया था आज की आवश्यकता के अनुरूप परिमार्जित रुप में अपनाई जा सकती है। वह है साक्षरता को शिक्षार्थी की मूलभूत आवश्यकताओं पर चर्चा व नई जानकारी से जोड़ना। ऐसे प्रयत्न किए भी गए किंतु कालांतर में साक्षरता केवल तीन कुशलताओं लिखना, पढ़ना और संख्या ज्ञान तक सीमित कर दी गई।

महिला शिक्षा

विकास कार्यक्रमों की सफलता के लिए उनमें महिलाओं का योगदान परमाश्यक है। यह एक यक्ष प्रश्न है। महिला निरक्षरता की स्थिति भयावह है। आज हमारे यहां 70% प्रौढ़ महिलाएं निरक्षर हैं। आंकड़े बताते हैं कि सन् 2000 तक संसार के कुल प्रतिशत का 54% भारत में होगा जिनमें तीन चौथाई संख्या महिलाओं की होगी।

आज भी लड़कियों की तुलना में लड़कों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा द्वारा महिलाओं के सोच में परिवर्तन लाने की जरुरत है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा पर सर्वाधिक ध्यान देना अवश्यभावी है तभी सामाजिक परिवर्तन मूर्त रुप ले सकेगा। समाज में अन्याय और शोषण जैसी व्याधियों का शिकार महिलाएं ही हैं। प्रौढ़ साक्षरता के द्वारा इन्हें जागरूक और सक्रिय बनाना आवश्यक है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना

आठवीं पंचवर्षीय योजना ''लक्ष्य और दिशा'' में यह संकल्प व्यक्त किया गया कि लोगों को प्रेरित करने के लिए शिक्षा, आधुनिकीकरण और सक्षमता को बढ़ाना होगा। इस दस्तावेज के अनुसार - ''साक्षरता और शिक्षा*के क्षेत्र में भी काम विशाल है। 15-35 वर्ष के आयु समूह में कुल साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने का तात्पर्य है लगभग 11 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना। इसके लिए एक उद्देश्य (मिशन) बनाकर काम करना होगा जिसमें छात्रों, अध्यापकों और अन्य प्रेरित लोगों को शामिल करना होगा। ग्रामीण समुदायों विशेषकर शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों में लोगों को प्रेरित करने के लिए शिक्षा, आधुनिकीकरण और सक्षमता को बढ़ाना होगा। सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल करना होगा और इसके लिए पूर्णकालिक औपचारिक स्कूली शिक्षा तथा काम करने वाले बच्चों विशेष कर लड़कियों के लिए अंशकालिक अनौपचारिक प्रबंध करने होंगे। जनजातीय आबादी के लिए विशेष कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है ताकि देश के बाकी हिस्से से जनजातीय सदस्यों के अलग-अलग पड़ने को दूर नहीं किया जा सके तो कम अवश्य किया जा सके।

योजनाकारों द्वारा शिक्षा हेतु प्रावधान करना निश्चय ही राष्ट्र की इस विषय के प्रति गंभीरता का प्रतिबिंबन है। किंतु इस संकल्प को व्यवहार में मूर्त रुप देना बिल्कुल अलग बात है। पहले भी ऐसे संकल्प लिए गए किंतु निरक्षरता उन्मूलन एक अरण्य रोदन बना रहा है। इस बार वातावरण में पहले से कुछ भिन्नता है। अभी हाल में मिली सफलताएं इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं।आठवीं योजना के 'दिशा निर्देशन पेपर' में इन सफलताओं का उल्लेख है जिसमें केरल, तमिलनाडु तथा पं. बंगाल में कुछ जिलों में शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करना शामिल है। ये सफलताएं लोगों को शामिल करने और दृढ़ निश्चय के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। एक सफलता दूसरी सफलता के लिए संजीवनी शक्ति का कार्य करती है। किंतु निरक्षरता की असली चुनौतियां राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में खड़ी ललकार रही हैं। यदि इन समस्या ग्रस्त विशाल क्षेत्रों में उसी दृढ़ निश्चय का परिचय दिया जा सके तो ये लक्ष्य प्राप्त किए जा सकेंगे।

के-40 एफ, साकेत
नई दिल्ली-110017

आठवीं योजना

मानवीय विकास का आयोजन

□ प्रेम द्विवेदी □

जिस देश की 77 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है वहां आर्थिक प्रगति के लिए ग्रामीण विकास का महत्त्व स्वत: ही सर्वोपरि हो जाता है। भारतवर्ष के सामने निर्धनता उन्मूलन की समस्या सबसे बड़ी है। क्योंकि देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग गांवों में रहता है, अत: वहां पर गरीबी का भी प्रकोप अधिक है। यही कारण है कि देश के नियोजित विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान और विकास के लिए प्रारंभ से ही संगठित प्रयास किये गये। इन योजनाओं का लाभ भी हुआ है। इन प्रयासों से ही गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या वर्ष 1961 में 57 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1990 में 30 प्रतिशत हो गयी। लेकिन इसके बाद भी अभी गरीबी को समाप्त करने की चुनौती हमारे समाने बनी हुई है। इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय विकास के लिए गांवों में रहने वाले गरीब लोग एक अमूल्य मानवीय संपदा है और उनकी शक्ति का उपयोग देश की प्रगति और नवनिर्माण में सशक्त योगदान कर सकता है। यदि इस विशाल मानवीय संपदा को अपनी प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर मिले तो अर्थव्यवस्था को गतिशील और उत्पादक बनाया जा सकता है। पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में गांवों में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से हमें अनेक अनुभव मिले। इन्हीं के आधार पर इनके बाद की चार पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के कार्यक्रमों पर मुख्य रुप से बल दिया गया। इस प्रकार अब तक की सात पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की उपलब्धियां हमारे अंदर यह आत्म विश्वास उत्पन्न करने में सफल रही हैं कि हम आगे की चुनौतियों का सामना करने की स्थिति में हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना को एक अप्रैल 1990 से प्रारंभ होना था। लेकिन इसी अवधि में देश के राजनैतिक घटना चक्र में बड़ी तेजी से परिवर्तन हुए। इसके साथ वर्ष 1991-92 में देश में विकराल और अभूतपूर्व आर्थिक संकट छाया रहा। इसका सामना करने के लिए केन्द्र में वर्तमान सरकार ने तत्काल साहसी कदम उठाये। क्योंकि अव्यवस्था का संकट पिछले कई सालों से चली आ रही अनसुलझी आर्थिक समस्याओं और असंतुलनों के कारण उत्पन्न हुआ था, अत: अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधारों के लिए दीर्घकालीन एवं व्यापक संशोधनों और नीतिगत बदलाव की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से सरकार ने एक ओर घाटे पर अंकुश लगाया तो दूसरी ओर उद्योग व्यापार, आयात-निर्यात तथा निवेश नीतियों में व्यापक सुधारों द्वारा अर्थव्यवस्था को पुन: लीक पर लाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। लेकिन वर्तमान सरकार ने यह निश्चय कर लिया था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना एक अप्रैल 1992 से आरंभ की जायेगी।

योजना आयोग ने आठवीं योजना की दिशा और उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया। इसे पिछले वर्ष दिसम्बर में राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार कर लिया। इस दृष्टिकोण पत्र में यह कहा गया है कि आठवीं योजना का स्वरूप नये आर्थिक सुधारों और नीतियों के अनुरूप होना चाहिए तथा योजना आयोग को अब भविष्य की रुपरेखा और रणनीति के लिए व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। एक प्रकार से योजना आयोग की भूमिका पर ही नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता बदले आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य की एक तार्किक परिणति बन गयी। अब योजना आयोग की नियोजन में भूमिका सांकेतिक होगी जिसके अनुसार वह व्यापक लक्ष्य एवं दिशायें निर्धारित करेगा लेकिन योजनाओं के निर्माण एवं उनके संचालन के कार्य को विकेन्द्रित कर दिया जायेगा। इसका लाभ यह होगा कि योजनायें अधिक यथार्थ परक होंगी। उनमें स्थानीय आवश्यकताओं और साधनों का ध्यान रखा जायेगा एवं ऐसी योजनायें उन लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में अधिक सक्षम होंगी जिनके लाभ के लिए उनको बनाया गया है।

इन दिनों योजना आयोग आठवीं योजना तैयार करने के अंतिम चरण में है और शीघ्र ही इस योजना की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक आयोजित होगी। आठवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में इसके मुख्य उद्देश्य हैं :—

(1) पर्याप्त रोजगार का सृजन जिसका उद्देश्य यह होगा इस शताब्दी के अंत तक सभी को रोजगार उपलब्ध हो।

(2) सक्रिय जन-सहयोग और प्रोत्साहनों एवं निरुत्साहित करने वाले उपायों की प्रभावी योजना द्वारा आबादी में वृद्धि पर नियंत्रण।

(3) प्राथमिक शिक्षा को सर्व-सुलभ बनाना तथा 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में निरक्षरता को पूरी तरह मिटाना।

(4) सभी गांवों सहित सारी आबादी को स्वच्छ पेयजल तथा टीका लगाने की सुविधा सहित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना और सर पर मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन।

(5) खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता तथा निर्यात के लिए अतिरिक्त उत्पादन हेतु कृषि का विकास और विविधीकरण।

(6) ऊर्जा, परिवहन, संचार एवं सिंचाई जैसी सुविधाओं का विस्तार कर आधारिक संरचना को सुदृढ़ बनाना ताकि विकास की प्रक्रिया सशक्त हो तथा निर्बाध रूप से गतिशील रहे।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित इन प्राथमिकताओं से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास है। हाल ही में संसद में सरकार की ओर से यह कहा गया था कि आठवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण के कार्यक्रमों को जारी रखा जायेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम हैं। इन सभी का उद्देश्य रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही साथ लोगों को निर्धनता से मुक्त करने के लिए स्थायी आय के साधन उपलब्ध कराना है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि गरीब लोग अपने पैरों पर आत्मविश्वास और गरिमा के साथ खड़े हो सकें और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम उनके लिए केवल बैसाखी बन कर ही न रह जाये। पिछले साल में ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से लगभग पन्द्रह लाख परिवारों को सहायता दी गई थी जिस पर 1163 करोड़ रुपये से अधिक व्यय हुआ। इसी प्रकार डेढ़ लाख से अधिक ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत भी 2620.90 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी और अनुमान है कि इसमें 81.5 करोड़ श्रमदिवसों से अधिक के बराबर रोजगार सृजन हुआ होगा।

इन सभी कार्यक्रमों में इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है कि इनका लाभ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को एवं महिलाओं को विशेष रूप से मिले। समन्वित ग्रामीण वियकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वालों में आधे से अधिक लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। इनमें महिलाओं का प्रतिशत भी चालीस है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के हितों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। अभी यह कार्यक्रम देश के 240 जिलों में चल रहा है लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना में सभी जिलों को इसके अंतर्गत ले लिया जायेगा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के जो मूल्यांकन हुए हैं उनसे यह निष्कर्ष निकलता है, इसके अंतर्गत अनुदान अथवा ऋण के रूप में दी गयी सहायता गरीबों के लिए आय के स्थायी साधन जुटाने में उपयोगी सिद्ध हुई है। जवाहर रोजगार योजना में भी अब मजदूरी के अंश को बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।

आठवीं योजना के उद्देश्यों की पूर्ति में यह ध्यान रखा जायेगा कि निवेश की आवश्यकताओं को घरेलू संसाधनों से पूरा किया जाये तथा विकास के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को और बढ़ाया जाये। वास्तव में आठवीं योजना का मूल लक्ष्य ही यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए पूरे देश की मानवीय क्षमताओं को विकसित और समृद्ध किया जाये। इस प्रकार यह योजना मानवीय विकास के लिए ही रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल स्वास्थ्य सेवाओं आदि की सुविधाओं को बढ़ाकर देश को गरीबी और निरक्षरता से मुक्त करने का ही एक अभियान है। बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार के अवसर पिछले दो दशकों में 2.2 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़े हैं जबकि काम की तलाश में भाग-दौड़ करने वालों की संख्या में 2.5 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हुई। इसी लिए बेरोजगारों की संख्या हर साल बढ़ती गयी। बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में यह अनुमान लगाया गया है कि यदि अगले दस साल में सभी को रोजगार देना है तो औसतन एक करोड़ श्रम दिवसों के बराबर अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रत्येक वर्ष जुटाने होंगे। इसके साथ ही उन लोगों की ओर भी ध्यान देना होगा कि जिनके पास रोजगार तो है लेकिन वह या तो अपर्याप्त है या उससे आय इतनी कम है कि जीवन निर्वाह करना कठिन है। ऐसे लोगों को कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षित करना होगा। यह भी उपाय करना होगा कि किसी एक ही रोजगार से बंधे रहने की जगह नये रोजगार की ओर उन्मुख होने की योग्यता और प्रवृत्ति

जागृत हो।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और गरीबी का एक साथ सीधा कारण निरक्षरता तथा बढ़ती हुई आबादी है। यदि सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो आबादी की समस्या भी अशिक्षा और अज्ञान से ही जुड़ी है। आर्थिक-सामाजिक एवं मानसिक प्रगति के लिए शिक्षा एक अनिवार्य माध्यम है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता को दूर करने तथा शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार को आठवीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत महत्व दिया गया है। यदि गांवों में आर्थिक-सामाजिक न्याय सभी को दिलाना है और महिलाओं को समाज में अग्रणी भूमिका देना है तो शिक्षा की सुविधायें मात्र ही देने से काम नहीं चलेगा बल्कि लोगों में शिक्षा के प्रति उत्सुकता भी जगानी होगी। आठवीं योजना का लक्ष्य यह है कि 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के सभी लोगों को साक्षर बनाना। इसका सीधा अर्थ है कि ग्यारह करोड़ लोगों की निरक्षरता को दूर करना। इस दिशा में राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत अधिक काम करना होगा। साक्षरता के प्रसार के लिये उच्च कक्षाओं के छात्रों, अध्यापकों तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को भी योगदान करना होगा। आठवीं योजना में प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के लिये स्कूलों के माध्यम से औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही साधनों का उपयोग किया जायेगा। शिक्षा के माध्यम से लोगों में अपने भविष्य के प्रति नयी आंकाक्षायें जागृत होंगी और इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में एक नयी जागृति आयेगी। इसका प्रभाव पूरे ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को जीवंत बनाने में भी पड़ेगा।आठवीं योजना में शिक्षा के जनजातीय क्षेत्रों में प्रसार के लिये विशेष कार्यक्रम बनाये जायेंगे। इससे जनजातीय एवं गैर जनजातीय वर्गों के बीच असमानतायें कम होंगी तथा जनजातीय समुदाय देश की मुख्य धारा से जुडेगा।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आठवीं योजना का लक्ष्य यही है कि योजना की अवधि समाप्त होने तक यह सेवायें सभी को उपलब्ध हों। इसके लिये इन सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले तंत्र को इस प्रकार पुनर्गठित करना होगा कि समाज के वंचित लोगों को इन सुविधाओं को मिलने में कोई कठिनाई न हो। इसके लिये स्वास्थ्य सेवाओं के पूरे तंत्र को सामुदायिक आवश्यकताओं पर आधारित बनाना होगा। किसी भी समुदाय की मान्यताओं एवं सांस्कृतिक परंपराओं का ध्यान भी रखना होगा। इस दृष्टि से आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धतियां तथा योग आदि समाज को संभवतया अधिक स्वीकार्य हों क्योंकि उपचार के यह तरीके लोगों के लिये नये नहीं हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति से जुड़े लोग इस क्षेत्र में विशेष योगदान कर सकते हैं। लोगों को इन्ही स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से अपने परिवार के आकार का नियोजन करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं में रोगों के उपचार से अधिक रोगों से बचाव पर ध्यान देना होगा क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता लोगों को निरोग रखने में अधिक परिलक्षित होती हैं। जनसंख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आठवीं योजना का लक्ष्य— जन्मदर को 1989 की 30.5 प्रति हजार की दर से घटाकर 26 करना है।

योजना आयोग ने अपने दृष्टिकोण पत्र में कहा है कि प्रत्येक वर्ष निर्धनता उन्मूलन के लिए रोजगार कार्यक्रमों पर 6500 से 7000 करोड़ रुपये व्यय किये जाते हैं। अब ऐसा प्रतीत होता है कि यदि इन कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्यन को स्थानीय स्तर पर छोड़ दिया जाये तो यह कहीं अधिक प्रभावी और उपयोगी हो सकते हैं। विभिन्न मदों के अंतर्गत आबंटनों की राशि को एक जगह मिलाकर गांवों को आबंटित किया जाता सकता है। इस आबंटन के लिए मानदंड केन्द्र निर्धारित कर सकता है। प्रत्येक विकास खंड को यह दायित्व दिया जाना चाहिए कि वह अपने आधारित संरचना के विकास पर बल देते हुए विकास योजना बनाये। इससे स्थानीय संसाधनों का अधिक कारगर उपयोग हो सकता है तथा उससे ऐसी परिसम्पत्तियां भी बन सकती हैं जिनकी स्थानीय उपयोगिता और आवश्यकता है।

आठवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में योजना आयोग ने कई सुझाव भी दिये हैं। इनमें से एक सुझाव यह है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने योजना परिव्यय का नाम दे। योजना आयोग अन्य मंत्रालयों तथा राज्यों के भी ऐसे कार्यक्रमों का पता लगाये कि जिनको इसी कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जा सकता है। इससे लाभ यह होगा कि इससे रोजगार सृजन पर बल देने के साथ ही एक ऐसा बुनियादी ढांचा स्थापित हो जायेगा कि जो ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हो। इस कार्यक्रम में यह ध्यान रखा जायेगा कि जिला और विकास खंड स्तर पर इसके संचालन में अधिक से अधिक स्वतंत्रता हो।

आठवीं योजना का उद्देश्य एक ऐसे सामाजिक सुरक्षातंत्र का निर्माण है कि जो देश में सभी को रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवायें

शेष पृष्ठ 27 पर

आठवीं योजना

सरकार की नयी नीतियों का ग्रामीण विकास पर असर

□ शैलेन्द्र □

सातवीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1990 को समाप्त हो गयी। कायदे से सामान्य स्थिति में आठवीं योजना की शुरूआत एक अप्रैल 1990 को हो जानी चाहिये थी। लेकिन केन्द्र में सत्ता परिवर्तनों एवं मध्यावधि लोकसभा चुनाव आदि कतिपय अपरिहार्य कारणवश आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। श्री पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में केन्द्र में कांग्रेस (इ) की सरकार ने जब सत्ता संभाली तब 1990-91 और 1991-92 को वार्षिक योजनायें माना गया तथा एक अप्रैल 1992 से आठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू करने का फैसला किया गया। दिसम्बर 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने आठवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र का अनुमोदन किया। इसे ही अन्तिम प्रारूप का आधार माना गया।

ग्रामीण विकास पर नयी सरकार के नये दृष्टिकोण और आठवीं पंचवर्षीय योजना का नया असर पड़ेगा या यह आठवीं योजना कैसी होगी— इसका स्पष्ट संकेत प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव के सोचने के ढंग और उनके वक्तव्यों से मिलता है। देश की सबसे भयंकर समस्या है महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी दूर होगी उद्योग धन्धों से जिसके लिए सबसे जरूरी है बिजली और वह भी सस्ती। इसके फलस्वरूप उत्पादकता बढ़ेगी तब महंगाई पर काबू पाना संभव होगा। कई विकसित व विकासशील देशों के पास इतनी ज्यादा सौर ऊर्जा नहीं है जितनी भारत में है लेकिन विदेशों में इस ओर अनुसन्धान नहीं किया, पश्चिम की ओर ताकने की होड़ में हमने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब प्रधानमंत्री ने भारतीय वैज्ञानिकों को चुनौती दी है कि विश्व में अग्रणी स्थान रखने वाले प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक सौर ऊर्जा से सस्ती बिजली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने की दिशा में सफलता हासिल कर दिखायें ताकि भारत अपनी आवश्यकता पूरी कर अन्य विकासशील देशों को भी मुफ्त बिजली दे सके।

इसी तरह श्री पी.वी. नरसिंह राव ने नयी प्राथमिकतायें भी तय की हैं, जो 'न्याय के साथ विकास' की पुरानी नीति से व्यावहारिक रूप से मेल खाती हैं। अब तक की सभी योजनाओं में संसाधनों (धन) की कमी की गाज हमेशा शिक्षा व स्वास्थ्य के ऊपर गिरती रही है। इसलिए प्रधानमंत्री जी सखेद कहते हैं कि यही कारण है कि साक्षरता में हमारा देश सबसे पिछड़ा है। संभवतः सबसे पहले इस ओर युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का ध्यान गया जिन्होंने अलग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन किया और साक्षरता को मिशन बनाया तथा जन स्वास्थ्य की ओर विशेष-ध्यान दिया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावना में राजीव गांधी ने कहा था कि विकास का सम्बन्ध केवल कल-कारखानों, बांधों, सड़कों से ही नहीं है, इसका सम्बन्ध बुनियादी तौर पर लोगों के जीवन से है। इसका लक्ष्य है लोगों की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति।

साक्षरता मानव के विकास का एक बहुत ही जरूरी अंग है। यह अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का, नयी बातें सीखने का और ज्ञान व विज्ञान के आदान प्रदान का अत्यन्त जरूरी साधन है। साक्षरता यानि शिक्षा व्यक्ति की उन्नति तथा राष्ट्र के उत्थान की पहली शर्त है। देश को तेजी से आगे बढ़ाकर 21 वीं शताब्दी में ले जाने की धुन में राजीव गांधी ने पांच मिशनों का गठन किया था जिनमें से एक मिशन साक्षरता के प्रचार-प्रसार का है ताकि तकनीक व विज्ञान की खोज का लाभ समाज के उपेक्षित वर्गों एवं क्षेत्रों को मिले जो देश के विकास हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। राजीव गांधी ने इस तरह के अनेकानेक कार्यक्रम शुरू किये जिन्हें और अधिक उदारता के साथ अधिक व्यावहारिक बनाने की फिराक में लगे हैं श्री पी.वी. नरसिंह राव।

परिवर्तन

इस समय विश्व में बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे हैं जिनमें पूर्वी यूरोप में परिवर्तन के साथ सोवियत संघ का विघटन, पश्चिमी यूरोप में साझा बाजार तथा विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार शामिल हैं। साथ ही विरासत में मिली खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को पुनः सही पटरी पर लाने को विशेष प्राथमिकता देना अनिवार्य हो गया। इस तरह राष्ट्रीय व अन्तर्राष्टीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुये रुपये के अवमूल्यन, उदारीकरण, नयी औद्योगिक नीति आदि उपायों के अनुरुप आठवीं योजना में विभिन्न दृष्टिकोण अपनाये गये हैं।

इस योजना में चार बातों की ओर विशेष रुप से ध्यान दिया गया है: (एक) सघन निवेश के लिए क्षेत्रों व परियोजनाओं का स्पष्ट निर्जीकरण, (दो) इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए संसाधन की उपलब्धता, (तीन) देश भर में रोजगार के अवसर प्रदान करना, स्वास्थ्य व शिक्षा की सुविधा मुहैया करना एवं (चार) यह सुनिश्चित करना कि जिनके लिए कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उन तक उसका लाभ पहुंचे।

किसी ने ठीक ही कहा है कि यदि आप एक वर्ष के लिए योजना बनाना चाहते हैं तो फसल उगायें, यदि आप तीस वर्षों के लिए योजना बनाना चाहते हैं तो वृक्ष लगायें और यदि आप सौ साल की योजना बनाना चाहते हैं तो इन्सान बनायें। अपनी आठवीं योजना का मूल उद्देश्य है: रोजगार के पर्याप्त अवसर जुटाकर शताब्दी के अन्त तक पूर्ण रोजगार का लक्ष्य हासिल करना, जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, 15 से 35 आयु वर्ग में पूर्ण साक्षरता, देश के हर कोने में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, रोग-प्रतिरोधी टीके लगाने सहित प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधायें हर गांव में, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एवं पूर्ण स्वावलम्बन, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को पूर्णत: खत्म करना आदि।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकार ने विकास प्रक्रिया के जो तेज प्रयास शुरू किये हैं उनमें आम जनता की पहल व उनकी सक्रिय भागीदारी को भरपूर प्रोत्साहित करने का इरादा है। सरकार इसके लिए हर तरह की सहूलियत देगी। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की योजना अपनी व्यापकता और निवेश के मामले में चयनात्मक होगी।

उल्लेखनीय है कि संसाधनों के कुशल व समुचित उपयोग पर बल देना होगा। व्यापक तथा समेकित दृष्टिकोण अपनाना होगा। काम बहुत कठिन नहीं तो बहुत आसान भी नहीं है। कई क्षेत्रों में आम लोगों का अनुभव है कि ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता गया। उदाहरण स्वरुप बेरोजगारी व निरक्षरता घटने की बजाय बढ़ी है। इसमें जनसंख्या में निरन्तर हो रही वृद्धि का भी काफी योगदान रहा है।

पिछले बीस वर्षों के दौरान रोजगार में 2.2 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी हुई लेकिन श्रम शक्ति में अपेक्षाकृत अधिक 2.5 प्रतिशत की वृद्धि से बेरोजगारी का भार और बढ़ा है। सन् दो हजार तक सभी के लिए रोजगार का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हासिल करने के लिए प्रति वर्ष औसतन एक करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे जिसका अर्थ यह हुआ कि रोजगार में औसतन लगभग तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि से वृद्धि हो।

यह लक्ष्य हासिल करने के लिए कृषि में विविधता लाने, बंजर भूमि का विकास करने, ग्रामीण कृषि जन्य कुटीर उद्योग स्थापित करने आदि की जरूरत है। साथ ही हर साल आबादी में हो रही 180 लाख व्यक्तियों की बढ़ोतरी को रोकना होगा वरना सन् दो हजार तक हमारी आबादी 100 करोड़ से अधिक हो जायेगी। इस दर से जनसंख्या में वृद्धि से आम लोगों को सामाजिक व आर्थिक न्याय उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पायेगा। इसके लिए आठवीं योजना में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम बनाया गया है, जो आबादी को बढ़ने से रोकने हेतु सामूहिक आन्दोलन चलाये। इसी तरह 15 से 35 वर्ष के उम्र वालों को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य हासिल करने हेतु ग्यारह करोड़ लोगों को साक्षर बनाना होगा। शिक्षा, आधुनिकीकरण व सक्षमता को बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सन् 2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य का समग्र लक्ष्य रखा गया है। 2824 गांवों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराना अभी शेष है। इन सबके साथ भारत को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिस्पर्धात्मक और जीवन्त अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में भी इसी दशक में उभरना है। इसलिए योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसी योजनाओं या परियोजनाओं को समाप्त कर दिया जाये जिनका आर्थिक औचित्य नहीं है और अन्य योजनाओं व परियोजनाओं में तालमेल कर तथा उन्हें सुसंगठित बनाकर योजना व्यय को तर्क संगत बनाया जाये। अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर बल दिया जाये। कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाया जाये। सिंचाई सुविधा बढ़ाई जाये।

कार्यक्रम

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-स्तर वाले लोगों को उठाने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इनमें स्वरोजगार व वेतन रोजगार कार्यक्रमों के अलावा विशेषए क्षेत्रीय विकास व न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जायेगा। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना के साथ मिला दिया गया है। रेगिस्तान विकास, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास तथा पहाड़ी क्षेत्र विकास के अलग-अलग कार्यक्रम बनाये गये हैं। कुल मिलाकर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को ग्रामीण

विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में जारी किया जा रहा है। इसे केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में देश के सभी भागों में चलाया जा रहा है। इसके लक्षित समूह में लघु तथा सीमान्त किसान, कृषि मजदूर एवं ग्रामीण कारीगर शामिल हैं। इसके अन्तर्गत निर्धनतम लोगों को पहली बार में ही लाभान्वित करने की नीति है। यद्यपि गरीबी की रेखा 6400 रुपये की वार्षिक आय पर निर्धारित की गयी है परन्तु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन ग्रामीण परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य है जिनकी आय 4800 रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा से कम है। इसके साथ-साथ 3500 रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को पहले मदद दी जाती है। लाभान्वित होने वाले परिवारों में कम से कम 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति व जनजाति के होंगे।

इसके अलावा विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह निर्णय भी लिया गया है कि सहायता प्राप्त करने वालों में से कम-से-कम 40 प्रतिशत महिलायें हों। साथ ही कम से कम तीन प्रतिशत शारीरिक रुप से विकलांग भी सहायता लेने वालों में होनी चाहिये। सहायता देने में फालतू भूमि के आबंटितियों तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के ग्रीन कार्ड धारकों के परिवारों को भी प्राथमिकता दी जाती है। मुक्त बन्धुआ मजदूरों को भी सहायता देने में प्राथमिकता दी जाती है। आठवीं योजना के दौरान ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं का प्रतिशत तीस से बढ़ाकर चालीस किया गया है। महिला तथा शिशु विकास (ड्वाकरा) के अंतर्गत महिलाओं के अनौपचारिक ग्रुपों को ऋण देने की बैंकिंग प्रक्रियायें तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, (नाबार्ड) के माध्यम से एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गयी है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए तीस प्रतिशत रोजगार आरक्षित किये गये हैं। ड्वाकरा योजना के अंतर्गत आठवीं योजना के अंत तक देश के सभी जिलों को शामिल किये जाने का लक्ष्य है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की एक उप-योजना है इन्दिरा आवास योजना-जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा मुक्त हुये बन्धुआ मजदूरों के लिए नि:शुल्क मकान बनाये जाने की व्यवस्था है।

सच पूछिए तो 77 प्रतिशत ग्रामीण आबादी वाले इस विशाल देश में ग्रामीण गरीब लोग मानव संसाधन की बहुमूल्य सम्पदा हैं लेकिन निम्न उत्पादकता, अशिक्षा और गरीबी के कारण उनका समुचित सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सड़कों, सिंचाई, पेयजल, आवास आदि के मामले में ग्रामीण ढाँचे में सुधार लाकर उत्पादकता में वृद्धि करना, कार्य कुशलता बढ़ाना एवं ऋण तथा बाजार में पहुंच दिलाकर उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करना है। आठवीं योजना में ग्रामीण औद्योगीकरण के जरिये अवसर उपलब्ध कराने पर तथा तकनीक का स्तर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार लाने की खातिर उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के कार्यक्रम बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना करके राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने का उत्तरदायित्व पूरा किया है। स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका को विकास के क्षेत्र में सुदृढ़ करने, सहायता देने व बढ़ावा देने तथा विस्तृत रूप से सामुदायिक भागीदारी प्रदान करने की योजना में महत्वपूर्ण समझा गया है। ग्रामीण जन जागरुकता शिविरों के आयोजन का उद्देश्य गरीबों को शक्तिशाली आवाज उठाने वाले समूह के रूप में गठित होने में सक्षम बनाना है। इन महती कार्यों के व्यापक स्वरुप और देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुये आठवीं योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के आधार-भूत ढांचे में सुधार करने, मानव संसाधन विकसित करने तथा विभिन्न सेवाओं के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में निजी संसाधनों की मदद की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष का उद्देश्य ऐसा ही वित्तीय आधार तैयार करना है।

पंचायत

सरकार में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी तथा उन्हें निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशासन के अधिक विकेन्द्रीकरण की जरूरत को समझते हुये स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायती राज विधेयक पेश किया था ताकि सत्ता सही मायनों में आम जनता के हाथ में हो। आठवीं योजना में भी संकेत पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने की ओर है। साथ ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा कृषि उत्पादकता वृद्धि में भूमि सुधारों को प्रमुख कारक माना गया है क्योंकि जमीन का और समान वितरण करने संबंधी भूमि सुधार के उपाय काफी संख्या में ग्रामीण भूमिहीन लोगों को भूमि पर आधारित तथा अन्य पूरक आमदनी सुलभ कराने के वास्ते स्थायी परिसम्पति का आधार बन सकते हैं। भूमि सुधार नीति में शामिल किये गये कार्यक्रमों में प्रमुख हैं : बिचौलिया काश्तकारी की समाप्ति। काश्तकारी सुधार लागू करना जैसे— लगान का

विनिमयम, काश्तकारों और बटाईदारों की सुरक्षा का प्रावधान जिसमें अन्तिम लक्ष्य उन्हें स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना है, कृषि भूमि जोतों पर जमीन की अधिकतम सीमा लागू करना व भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा छोटे भूमिधरों को फालतू जमीन का वितरण, भूमि जोतों की चकबंदी, जमीन के दस्तावेज का रख-रखाव तथा कम्प्यूटर की सहायता से उसे अद्यतन बनाना। मगर इतनी बात भी साफ समझ लेनी चाहिये कि ग्रामीणों में पर्याप्त सफलता मिलना मुश्किल है। प्रसन्नता की बात है कि सरकार ग्रामीण गरीब लोगों के संगठन हेतु भी एक योजना पर सक्रियता व गंभीरता से विचार कर रही है।

कृषि विपणन, कृषि मंडियों के विनिमयन, उत्पादों का श्रेणीकरण व मानकीकरण, मण्डी सर्वेक्षण, अनुसन्धान, ग्रामीण गोदाम योजना, आदि की ओर भी योजना काल में विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही गांवों को मण्डियों से जोड़ने हेतु सड़कों की सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाये गये हैं। खासकर पर्वतीय, आदिवासी, तटीय तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में छितरी हुई आबादी के लिए सड़कों की सुविधा को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से जोड़ा गया है।

इन सभी कार्यक्रमों की निगरानी एवं समवर्ती मूल्यांकन की एक व्यापक पद्धति भी विकसित की गयी है। प्रभावी प्रबन्ध सूचना प्रणाली तैयार करने के लिए कम्प्यूटरीकृत ग्रामीण सूचना प्रणाली के सम्बन्ध में प्रायोगिक परियोजना के अनुभव के आधार पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों में लघु कम्प्यूटर विभाग स्थापित किये गये हैं।

आठवीं योजना के लिए मुद्रास्फीति नियन्त्रण भी महत्वपूर्ण है। किसी भी आर्थिक व्यवस्था के सुचारु व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु मूल्यों को एक हद तक स्थिर रखना जरूरी होता है लेकिन यहां तो गरीबों के हितों की रक्षा के लिए यह अनिवार्य है। इसी तरह नई तकनीक अपनाने में यथासंभव, जहां तक उत्पादन की हानि नहीं हो, श्रमिकों के रोजगार के अवसर की उपलब्धता पर गौर करना जरुरी है। अनुत्पादक कार्यों में रोजगार बढ़ाने का अन्ततः कोई लाभ नहीं होगा। परियोजनाओं में पूंजी का अधिक सदुपयोग और उसे शीघ्र पूरा करना लाभदायक सिद्ध होगा।

हमारा देश विकट संकट में फंसा हुआ है। यहां अधिक आमदनी नहीं है। इसलिए अधिक बचत नहीं है। चूंकि अधिक बचत नहीं है इसलिए उत्पादक कार्यों में अधिक लागत नहीं है और चूंकि उत्पादक कार्यों में अधिक लागत नहीं है इसलिए अधिक आमदनी नहीं है। आठवीं योजना की मूल समस्या इस संकट के घेरे को तोड़ना है। इसी से उसकी सफलता आंकी जा सकेगी। 1992 से 1997 तक की इस योजना पर देश का भविष्य भी काफी निर्भर करता है। इसलिए आज अनुपयोगी खर्च में कड़ाई से कटौती करने की सख्त जरूरत है।

पत्रकार
सियाराम कुंज,
सी 2 डी/ 69 ए,
जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

पृष्ठ 23 का शेष

तथा शिक्षा के व्यापक अवसर प्रदान कर सके। इसके साथ ही ऐसे संगठन तथा पद्धतियां भी विकसित होनी चाहिए कि सामाजिक क्षेत्र में किये गये निवेश के लाभ उन लोगों तक निश्चित रूप से पहुंचे कि जिन तक उनका पहुंचना लक्ष्य है। इस प्रकार गरीबी उन्मूलन, शिक्षा के प्रसार तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के द्वारा आठवीं योजना वास्तव में मानवीय विकास का ऐसा कार्यक्रम है कि जिसमें मानवीय गरिमा और अपेक्षाओं का आधार बनाया गया है।

बी ए -1.ई. डी डी ए फ्लैट्स
मुनीरका, नई दिल्ली

आठवीं योजना

पेयजल योजनाओं में महिलाओं को अग्रणी बनाएं

□ राजीव पंछी □

देश को स्वतंत्र हुए 45 वर्ष ने जा रहे हैं। नियमित विकास की सात पंचवर्षीय योजन पूरी हो चुकी हैं। लेकिन आज भी स्थिति यह है कि हम यह नहीं कह सकते कि यहां हर व्यक्ति को पीने का पानी उपलब्ध है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 1 लाख 62 हजार ऐसे गांव थे जिनमें पीने के पानी का कोई साधन नहीं था। इनमें से 1 लाख 54 हजार गांवों में 1985-90 के दौरान कम से कम एक जल स्रोत मुहैया करा दिया गया है और वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान 5,541 गांवों में पीने के पानी की सुविधाएं जुटाई गई हैं। इस प्रकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2824 गांव ऐसे रह गए हैं जहां पीने के पानी का कोई जल स्रोत नहीं है। लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार ही, नए सिरे से किए जा रहे एक अध्ययन से यह पता चलता है कि देश में अभी भी दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे एक लाख गांव/बस्तियां हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है।

पेयजल के बारे में दूसरी समस्या यह है कि जहां-जहां भी सरकारी प्रयासों और स्वयंसेवी संगठनों की मदद से जल स्रोत बनाए गए हैं, क्या वे नियमित और सुचारू रूप से काम कर रहे हैं ? क्या उनकी देखभाल करने, उनके खराब होने पर उनकी तुरंत मरम्मत करवाने का उत्तरदायित्व किसी को सौंपा गया है और क्या वह व्यक्ति/संस्था अपने उत्तरदायित्व को भलिभांति निभा रहा/रही है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर व्यावहारिक रूप से हमें सकारात्मक मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि ग्रामीण निर्धन लोगों को पीने का पानी मुहैया कराने में सरकारी प्रयास सफल हो रहे हैं।

हालांकि यह बात सत्य है कि देश की जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा पिछले 1 दशक से जो प्रयास किये जा रहे हैं और जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वे इस दिशा में विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रम हैं। सरकार द्वारा वर्ष 1990 में "स्वच्छ जल-2000" नामक एक विश्व सम्मेलन का भी आयोजन किया था जिसमें सन् 2000 तक विश्व के प्रत्येक प्राणी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार ने इसी पृष्ठभूमि के आधार पर ग्रामीण निर्धन लोगों तक पीने का पानी पहुंचाने का एक व्यापक आंदोलन छेड़ा है जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन नाम दिया गया है और यह परिकल्पना की गई है कि आठवीं योजना के अन्त तक देश के प्रत्येक प्राणी के लिए निर्धारित किए गए मानदंड के अनुसार न केवल न्यूनतम मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराया जाए बल्कि यह पानी खारेपन, अधिक लौह, गिनी कृमि जैसी बीमारियों से भी मुक्त हो।

जहां तक घरेलू पानी के प्रबंध और प्रयोग का संबंध है इसमें प्रमुख भूमिका महिलाएं ही निभाती हैं। उनके लिए पानी की व्यवस्था पहली प्राथमिकता है क्योंकि जब इस साधन की घर के आस-पास कमी होती है तो सबसे अधिक तकलीफ उन्हीं को उठानी पड़ती है। इसलिए जल सप्लाई के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस काम में महिलाओं को वास्तविक भागीदार बनाया जाए।

जल संसाधनों की आयोजना और प्रबंध में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करके ही देश में पानी जैसे महत्वपूर्ण साधन के संकट से पार पाया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि आठवीं योजना के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत किये जाने वाले प्रयासों में महिलाओं को अग्रणी बनाया जाए। जल सप्लाई कार्यक्रमों में महिलाओं को अधिकार देना अनिवार्य है ताकि ग्रामीण और निर्धन परिवार की महिलाएं परिवार को पीने का पानी मुहैया कराने की अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति पूरा कर सकें।

आवश्यकता इस बात की है कि जल सप्लाई साधनों का नवीकरण किया जाना चाहिए। भारत जैसे देश में जहां आज भी घरेलू कामकाज में महिलाओं की भूमिका प्रमुख रहती है महिलाओं को जल सप्लाई कार्यक्रमों में जिम्मेदारी सौंपना, उनके सामने आने वाली वास्तविक कठिनाइयों का अध्ययन करना और उनमें जागरूकता का सृजन करना, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जानकारी देना अति आवश्यक है।

अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल सप्लाई व स्वच्छता दशक ने सामुदायिक जल, जल आपूर्ति और सफाई प्रणालियों में महिलाओं को शामिल करने के महत्व के प्रति राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चेतना जगाई है। घरेलू स्तर पर पानी का इस्तेमाल करने वाली, पानी और स्वास्थ्य

का प्रबंध करने वाली महिलाएं ही हैं। पर सामुदायिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी में कोई खास प्रगति नहीं हुई। कारण यह है कि महिलाओं को मुख्यत: पानी का इस्तेमाल करने वाली तो माना जाता है पर अपने पर्यावरण को बदलने की उनकी क्षमता की अनदेखी कर दी जाती है। इस क्षमता का तभी इस्तेमाल हो सकता है जब परियोजना के बारे में औरतों को शुरू में ही जानकारी दी जाए और शुरू से ही उन्हें इसमें शामिल किया जाए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जमा किए 800 से अधिक योजनाओं के दस्तावेजों से पता चलता है कि कुशल और सुसम्बद्ध तरीके से महिलाओं को शामिल करने से वे इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

पिछले 15 वर्षों के दौरान महिलाओं और विकास के संबंध पर जोर दिया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को मान्यता दी गई है। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी कई रूपों में व्यक्त की जा रही है। इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि जल संसाधन प्रबंध भी शक्ति पाने का ही एक स्वरुप है।

गांवों के सामाजिक ढांचे में वर्ग, जाति तथा लिंग संबंधी भेद होते हैं और जल सहित विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता में असमानताएं बनी रहती हैं। इससे महिलाओं के रास्ते में और भी रुकावटें आती हैं। कामों, अधिकारों, शक्ति और ज्ञान के जो सांस्कृतिक बंटवारे हैं, उनसे भी महिलाओं की स्थिति नुकसान की ही रहती है। खासतौर से बिगड़े पर्यावरण वाले क्षेत्रों में महिलाओं को अपना काफी वक्त और ऊर्जा ईंधन, चारा और पानी जुटाने में खर्च करना पड़ता है। घर के लिए पानी जुटाने, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखने और घर के कामकाज के प्रबन्ध में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सर्वविदित है। औरतें ही निर्णय करती हैं कि पानी के किस स्रोत का कैसे इस्तेमाल किया जाए। कचरे को ईंधन और खाद के लिए जमा करना और इसका इस्तेमाल भी औरतें ही करती हैं। इस तरह जल आपूर्ति और सिंचाई संसाधनों की योजना बनाने, उनका रखरखाव करने में महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

सामुदायिक भागीदारी का अर्थ पुरुषों की समितियों में महिला सदस्यों को नाममात्र को प्रतिनिधित्व देना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि विकास प्रक्रिया के सामाजिक आयामों को भी समझना जरूरी है। कमजोर वर्गों, खासतौर से महिलाओं तक पहुंचाने के लिए टैक्नोलॉजी का उचित तरीका होना चाहिए ताकि स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने और भागीदारी में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जा सके।

"स्वच्छ जल-2000", विश्व सम्मेलन में कुछ सिफारिशें और सुझाव दिये गए थे इन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर कार्यान्वित किया जाना चाहिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन और इसके अन्तर्गत कार्य कर रहे मिनीमिशन तथा उप-मिशनों और त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम एवं राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि का आबंटन करते समय निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

कार्यक्रमों में एक निर्धारित राशि प्रायोगिक परियोजनाओं पर खर्च की जाए जिससे विभिन्न जल स्रोतों का नवीनकरण हो सके और फिर इसका व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन किया जा सके। ये प्रदर्शन महिलाओं की भागीदारी के लिए कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कराये जाने चाहिए ताकि इन प्रदर्शनों के अवलोकन के लिए अधिकाधिक महिलाएं शामिल की जा सकें।

कार्यक्रमों के अंतर्गत महिलाओं के लिए शिक्षा, सूचना और संचार व्यवस्था पर एक निर्धारित धनराशि आबंटित की जानी चाहिए क्योंकि जन-जागरूकता के लिए शिक्षित होना पहली अनिवार्यता है। इसी मद के अंतर्गत कुछ धनराशि को विशेष रूप से महिलाओं को छात्रवृत्ति देने, प्रशिक्षण देने, उन्हें औजार किटें देने आदि के लिए अलग रखा जा सकता है जिससे न केवल महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा बल्कि सही मायने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।

ग्राम पंचायतों में पीने के पानी के बारे में संस्थागत सुधार लाने की दृष्टि से प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहिए। इसमें उन समस्याओं का समाधान निकाला जाना चाहिए जो पानी की घरेलू जरुरतों को पूरा करने में महिलाओं के सामने आती हैं। इसके बाद इनके निवारण के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना जाहिए। ऐसा किये बिना हम पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के साथ अलगाववादी नीति से दूर नहीं कर सकेंगे और महिलाओं की उपेक्षा होती रहेगी। इसलिए स्वच्छता और पेयजल दोनों क्षेत्रों में देश में व्याप्त पारिस्थितिक असंतुलन का मुकाबला करने के लिए महिलाओं को योजनाओं के प्रबंध में अधिकार दिये जाने जरूरी है।

जलापूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करते समय क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को तो ध्यान में रखा जाता है परन्तु इसके साथ-साथ

उसी क्षेत्र की महिलाओं की समस्याओं, सुझावों और प्रस्तावों पर भी विचार किया जाना चाहिए और महिलाओं को रोजगार पर लगाकर पेयजल के साधनो जैसे कुएं और हैंडपम्प लगाए जाने चाहिए ताकि उन्हें मजदूरी मिल सके और उनके क्षेत्र में एक जल स्रोत बनने पर उसमें अपनत्व की भावना भी जागृत हो सकेगी कि ये कुआं अथवा हैंडपम्प हमारी अपनी मेहनत का प्रतिफल है। इस प्रकार की योजनाओं में लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिक विकास परिषद (कापार्ट) की मार्फत महिलाओं की स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सकता है।

महिलाओं की भागीदारी और उन्हें अधिकार देने का अर्थ है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे महिलाएं नेतृत्व के योग्य बन सकें और उनमें अपने समाज, पंचायत और उससे ऊपर के स्तरों पर नेतृत्व करने की क्षमता का सृजन हो सके। इसलिए महिलाओं की भागीदारी का अर्थ यह समझा जाना चाहिए कि समाज में निर्धन और कमजोर वर्गों की महिलाओं की आवाज को उठाने का अधिकार उनका प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं अथवा संस्थाओं को दिया जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार में अलग-अलग विभागों में महिलाओं के विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। परन्तु उनमें आपस में सामंजस्य का अभाव है। उनमें आपसी तालमेल होना, सभी कार्यक्रमों को एक-साथ लेकर चलना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और जल आपूर्ति कार्यक्रम को एक दूसरे का पूरक बनाना जरुरी है।

जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए। इससे स्थानीय कुशलता और हुनर का सही इस्तेमाल हो सकता है। महिलाओं को उनके परम्परागत साधनों में नए तथा कम लागत वाले वैज्ञानिक तरीकों के समावेश की जानकारी दी जानी चाहिए। ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी तभी सुनिश्चित हो सकेगी जब तक नवीनतम संसाधनों और संयंत्रों के बारे में उन्हें अद्यतन जानकारी और सूचना न दी जाती रहे।

पानी में व्याप्त प्रदूषण जैसे अधिक लौह, अधिक फ्लोराइड, खारापन और गिनी-कृमि आदि के बारे में महिलाओं को सजग करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किए जाने चाहिए। जिन क्षेत्रों में पानी में इस प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं वहां जब तक वैज्ञानिक तरीकों से इनका निवारण नहीं हो जाता तब तक के लिए पानी को घरेलू तरीकों से पीने योग्य बनाने के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

अनुसूचित जाति की महिलाओं को कुएं से पानी भरकर लाने में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चाहे हम छुआछूत और जाति-भेद को खत्म कर देने का ढोल पीट लें परन्तु आज भी वास्तविकता यही है कि गांवों में अनुसूचित जातियों की महिलाओं को कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं होती। इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्र सरकार ने सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति की मार्गदर्शिकाओं में यह प्रावधान किया था कि किसी भी गांव/बस्ती में पहला जल स्रोत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में होगा। इसी प्रकार 1990-91 में इन लोगों की 11000 बस्तियों में जल स्रोत मुहैया कराया गया था और बाबा साहेब आम्बेडकर जन्म शताब्दी कार्यक्रम के रूप में 1991-92 में 30,000 अनुसूचित जातियों की बस्तियों में पीने का पानी मुहैया कराया गया। आठवीं योजना के दौरान भी इसी प्रकार की वार्षिक योजनाएं बनाई जाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि इन योजनाओं के फलस्वरुप जो जल स्रोत इन लोगों की बस्तियों में बनाए जाएं उनके रख-रखाव और मरम्मत तथा बंदोबस्त आदि का काम इन्हीं वर्गों की महिलाओं को सौंपा जाए।

अन्त में, आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें सरकार का संकल्प पूरे ग्रामीण समुदाय को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का है, के दौरान स्वच्छ जल के इस्तेमाल में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर और अधिक तरजीह दिये जाने की आवश्यकता है। संस्थागत ढांचे में महिलाओं की अलग पहचान होनी चाहिए। उन्हें जल आपूर्ति, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रमों में अग्रणी बनाया जाना चाहिए। यदि महिलाओं को सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के प्रति जागरूक कर दिया तो वह अपने परिवार का पालन सही कर सकेंगी और देश की आने वाली पीढ़ियां शारीरिक रुप से निरोग होंगी।

53 नीमड़ी कालोनी,
दिल्ली-110052.

आठवीं योजना

अर्थव्यवस्था की पुर्नरचना

□ डा० नारायण दत्त पालीवाल □

स्वतंत्रता के पश्चात देश के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई। इन योजनाओं को चरणबद्ध रुप देने तथा आवधिक रुप से उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हुए भावी कार्यक्रम निर्धारित करने की दृष्टि से सात पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1990 को समाप्त हो चुकी थी परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1992 से प्रारंभ हुई और बीच की अवधि में दो वार्षिक योजनाएं चली। आठवीं पंचवर्षीय योजना ऐसे समय तैयार की गई जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जटिल थीं। अतः समसामयिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं, आर्थिक संकट एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के उत्पन्न परिवर्तनों के संदर्भ में ही योजनाओं और संकट एवं कार्यक्रमों को रुप दिया जाना समीचीन था। इसी को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसके दृष्टिकोण-पत्र का अनुमोदन किया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि देश जिस आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था, उससे जूझने और चुनौतियों का सामना करने की दिशा में नई आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। देश की आर्थिक-सामाजिक उन्नति तथा जन-सामान्य की समस्याओं को हल करने तथा जीवन-स्तर सुधारने एवं अर्थ-व्यवस्था को संतुलित रुप देने को दिशा में आठवीं पंचवर्षीय योजना का अत्यंत महत्व है। इस योजना के अंतर्गत जहां योजना-व्यय को तर्क संगत बनाने का प्रयास होगा वहीं उन कार्यक्रमों को समाप्त भी कर दिया जायेगा जिनका कोई आर्थिक औचित्य न हो। अतिरिक्त संसाधन जुटाने का भी ध्यान रखा जायेगा। जहां तक प्राथमिकताओं का प्रश्न है, रोजगार कृषि उद्यम, बिजली, सिंचाई, पेयजल योजनाएं, परिवहन, यातायात, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण, आवास, ऊर्जा, पर्यावरण, साक्षरता एवं शिक्षा आदि क्षेत्रों में बुनियादी तौर पर चरण बद्ध कार्यक्रम क्रियान्वित करके विकास के नए आयाम प्रस्तुत करने का प्रयास जारी रहेगा।

जब हम विकास की बात करते हैं और विशेषकर ग्रामीण विकास की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान उन लोगों की ओर जाता है जो आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। अतः जब तक हमारी योजनाएं समाज के पिछड़े हुए और कमजोर वर्ग के लोगों, गरीबी की रेखा से नीचे अभावों, आर्थिक संकट और निम्न कोटि का जीवन-स्तर बिता रहे लोगों के हित को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जायेंगी तब तक पंचवर्षीय योजनाओं का सही लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। देश में लगभग 23 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। स्पष्टतया इनकी संख्या हमारे गांवों में ही अधिक है। ऐसे लोगों की गरीबी हटाने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने का लक्ष्य आठवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष रुप से रखा गया है। एक समय था जब हमारे गांव आत्मनिर्भर थे। अब जनसंख्या वृद्धि तथा शहरीकरण के कारण गांवों की आर्थिक-स्थिति कमजोर होती जा रही है और कृषि-प्रधान होते हुए भी उन्हें जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं के वास्ते शहरी क्षेत्रों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इसीलिए कुटीर-उद्योग तथा गांवों की परिस्थितियों और संसाधनों पर चल सकने वाले लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का लक्ष्य भी रखा गया है। आशा की जा सकती है कि बदली हुई परिस्थितियों में कारगर योजनाओं और विकास कार्य से संबंद्ध सभी एजेंन्सियों के पारस्परिक तालमेल एवं कार्यक्रमों का प्राथमिकता के आधार पर सही कार्यान्वियन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार सुलभ होगा। यहां कुछ विशेष क्षेत्रों की चर्चा करना उचित होगा :

रोजगार

रोजगार की विभिन्न योजनाओं पर प्रतिवर्ष 6,500 करोड़ रुपये से लेकर 7000 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य सराहनीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या और जटिल है। सन् 2000 तक सभी के लिए रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। अतः इसकी प्राप्ति के लिए प्रति वर्ष रोजगार के एक करोड़ अवसर अनिवार्य हैं। रोजगार में औसतन प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत वृद्धि अपेक्षित होगी । पिछले दो दशकों में रोजगार 2.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा। अतः गांवों में स्वरोजगार की व्यवस्था का प्रयास होगा। ऐसी योजनाएं 1979 से चालू की गई। ग्रामीण युवकों को विशेष

प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होते हैं। 40 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए भी हैं। प्रशिक्षुओं को 300 रुपये प्रति माह प्रशिक्षण सहायता और प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को लगभग 600 रुपये के औजार भी दिए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम पर सातवीं योजना के दौरान 129 करोड़ रुपये खर्च किए गए। कुल 10 लाख ग्रामीण युवा प्रशिक्षित हुए तथा लगभग साढ़े चार लाख ने अपना रोजगार प्रारंभ कर लिया और लगभग सवा लाख मजदूरी से जीवन यापन कर रहे हैं। 1990 से 92 तक लगभग साढ़े तीन लाख और युवाओं ने लाभ उठाया है और लगभग 49 करोड़ रुपये का इसके लिए प्रावधान था। आठवीं योजना के अंतर्गत भी इसी प्रकार आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के, पिछड़े हुए और गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यक्रम बनाए गए हैं। यह लक्ष्य कृषि योजनाओं, छोटे पैमाने पर निर्माण कार्य, बंजर भूमि विकास, स्वरोजगार तथा विभिन्न उद्यमों की सहायता से रोजगार के अवसर पैदा कर पूरा होगा। ग्रामीण विकास के लिए 3,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया तथा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के लिए 2,046 करोड़ रुपये की व्यवस्था हुई। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय नवीकृत कोष से रोजगार योजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी इस समस्या के हल के लिए सराहनीय कदम है। इस कार्यक्रम से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गरीबी हटेगी और गांवों में खुशहाली आएगी। गरीबी की रेखा से नीचे वाले 19 लाख परिवारों की 1992-93 में सहायता भी की जाएगी।

जनसंख्या नियंत्रण

आठवीं योजना में मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया है।बढ़ती हुई जनसंख्या ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को असंतुलित कर देती है। हमारे देश में प्रतिवर्ष 180 लाख व्यक्ति कुल आबादी में जुड़ जाते हैं। यही हालत रही तो इक्कीसवीं शताब्दी में पहुंचने से पहले ही हमारी जनसंखया 100 करोड़ से ऊपर हो जायेगी। हमारे देश में लगभग 7 लाख गांव हैं। वहां वैसे ही गरीबी अभाव, भुखमरी, बेरोजगारी, निरक्षरता बीमारियां आदि हैं। बढ़ती हुई आबादी और अधिक कठिनाई पैदा कर देती हैं। अत: शिक्षा, जागरूकता, परिवार कल्याण आदि के द्वारा आठवीं योजना में जनसंख्या पर नियंत्रण के अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किए जायेंगे। महिला शिक्षा, विवाह की उम्र बढ़ाना, स्वास्थ्य व शिक्षा की उचित व्यवस्था आदि इस दिशा में सहायक होंगे। जनसंख्या संबंधी राष्ट्रीय नीति को कार्यरूप देना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। लोगों में जागरुकता पैदा करना और परम्परागत अंधविश्वास की समाप्ति भी आवश्यक है।

शिक्षा एवं साक्षरता

योजना के अंतर्गत लगभग 11 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के सभी लोगों को साक्षर बनाने की योजना है जिसमें छात्रों, अध्यापकों, स्वयंसेवकों, स्वैच्छिक संस्थाओं आदि की सहायता ली जाएगी। प्राथमिक शिक्षा सभी को देनी होगी। विद्यालयों की समुचित व्यवस्था तथा कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधाएं अपेक्षित होंगी। हमें केरल तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल में हासिल लगभग 100 प्रतिशत साक्षरता की सफलता से शिक्षा लेनी चाहिए। महिलाओं की तथा ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आठवीं योजना में पूर्णकालिक और अंशकालीन विद्यालयों द्वारा भी शिक्षा दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों का और विकलांगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। शैक्षिक योजनाओं का कार्यान्वयन सामाजिक एकता और न्याय की दृष्टि से किया जायेगा। पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष सुविधाएं अपेक्षित हैं। विज्ञान और तकनीकी उन्नति का लाभ सभी को मिले यह प्रयास किया जायेगा। जहां तक साक्षरता का प्रश्न है 1981 की जनगणना के आधार पर देश में साक्षरता 36.23 प्रतिशत थी लगभग 64 प्रतिशत शेष अशिक्षित लोगों में से ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत अधिक ही है और पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य पूरा करने के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। गांवों में विज्ञान, वाणिज्य तथा तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की व्यवस्था हर विकास खण्ड में हो तो रोजगारोन्मुख शिक्षा सुविधा बढ़ेगी। साधन-हीन, निर्धन, पिछड़े और कमजोर वर्ग के छात्रों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

कृषि एवं सिंचाई

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के परम्परागत तरीकों के स्थान पर वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीक अपनाने का प्रयास अपेक्षित है। उन्नत बीज, उचित उर्वरक, बंजर भूमि का विकास, फसलों की योजनाबद्ध बोआई, फल-संरक्षण, भू-परिरक्षण, चकबंदी, खादों एवं कीटनाशकों की व्यवस्था आदि अत्यंत आवश्यक हैं। देश में कार्यरत लगभग 35000

कृषि ऋण समितियां हैं उनको सही रूप में व्यवस्थित करके कृषि-व्यवस्था में सुधार एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। किसानों को नई तकनीकी जानकारी भी देनी होगी। कृषि के क्षेत्र में आठवीं योजना का लक्ष्य केवल आत्मनिर्भरता हासिल करना ही नहीं है वरन् उत्पादन बढ़ाकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करके निर्यात को भी बढ़ावा देना है। इससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी और विश्व के अनेक देशों से व्यापारिक संबंध भी बढ़ेंगे। यह सब सिंचाई के साधन बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने, बाढ़ नियंत्रण तथा कृषि के क्षेत्र में स्थानीय एवं क्षेत्रीय विकास योजनाओं को अमल में लाने से सुलभ होगा। देश में खेती योग्य भूमि का दो तिहाई भाग अभी सिंचाई सुविधा से वंचित है। वर्षा पर ही निर्भर रहने से उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और अनेक क्षेत्रों में तो साल भर की खेती तीन महीनों का खाना भी नहीं देती है। आज भी सूखे के प्रकोप से बचने तथा मरुभूमि-विकास के लिए योजनाओं पर पिछले 16 वर्षों में 1,223 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और ऐसी योजनाएं देश के 13 राज्यों तथा 615 विकास खण्डों में क्रियान्वित की गई हैं। इसका लाभ 707.5 लोगों को मिला है। सिंचाई के लिए 8.55 लाख हेक्टेयर भूमि में मिट्टी तथा नमी सुरक्षित रखने की योजना बनाई गई है। सिंचाई सुविधा 60 प्रतिशत और बढ़ाने का प्रयास है। वनीकरण और चरागाहों का विकास भी 13.97 लाख हेक्टेयर में किया जायेगा। इस योजना के लिए 1991-92 में 56 करोड़ रुपये का प्रावधान था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम पर पिछले 15 वर्ष में 350 करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च किया गया है। आठवीं योजना में इस दिशा में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। अकेले उर्वरकों पर किसानों को 500 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान है।

पेयजल योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गंभीर समस्या है। कई क्षेत्रों में लोगों को आठ-आठ दस-दस किलोमीटर से पीने के पानी लाना पड़ता है। कई स्थानों पर सप्ताह भर के लिए पानी जमा करना पड़ता है। देश में 1.62 लाख गांव ऐसे थे जहां जल-स्रोत का ही नहीं। सातवीं योजना के अंत तक ऐसे गांवों की संख्या कुल 8365 रह गई। आठवीं योजना में प्रति 250 व्यक्तियों वाली आबादी के लिए 1.6 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत जल-स्रोत उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाएगा। वैसे मार्च 1991 तक 5,77,670 गांवों को पूर्ण रुप से या आंशिक रूप से पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। शेष 41,066 गांवों में आंशिक सुविधा। 1992-93 के दौरान बाकी बचे उन गांवों को पेयजल सुविधा दी जाएगी जो ''कोई स्रोत नहीं'' श्रेणी में आते हैं। इसके लिए 1991-92 में 423 करोड़ रुपया रखा गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन योजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम चलाया गया। इस राशि में 250 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है जिसका प्रावधान ''कोई स्रोत नहीं'' वाले गांवों के लिए किया गया है। इस प्रकार जल आपूर्ति से ग्रामीण क्षेत्रों की कठिनाई का हल निकल सकेगा। ग्रामीण जल आपूर्ति पर 460 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।

स्वास्थ्य एवं पर्यावरण

सभी के लिए स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 10% और ग्रामीण जनसंख्या के लिए सफाई की व्यवस्था होगी। मैला ढोने की प्रथा यथा संभव समाप्त करने की भी योजना है। ''सभी के लिए स्वास्थ्य'' का लक्ष्य 2000 ई० तक पूरा करने की भी योजना है। बीमारियों की रोकथाम, मातृ-केन्द्र, शिशु कल्याण, टीका लगाने की सुविधा, स्वास्थ्य केन्द्रों व शिविरों की सुविधा, प्राथमिक उपचार योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम, दवाओं की व्यवस्था परम्परागत चिकित्सा एवं योग को प्रोत्साहन देने की योजना, आयुर्वेद को बढ़ावा और भारतीय चिकित्सा प्रणाली आदि द्वारा इस क्षेत्र में उपलब्धियों की पूरी आशा है। स्वास्थ्य एवं सफाई के लिए शिक्षा-प्रणाली में सुधार भी आवश्यक है। विभिन्न माध्यमों से स्वास्थ्य व सफाई के प्रति सजगता का प्रसार भी अपेक्षित है।

ठीक इसी प्रकार के कार्यक्रम पर्यावरण के सुधार एवं संतुलन के लिए चलाए जा रहे हैं। संचार माध्यमों, शिक्षा संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल और पर्यावरण संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लानी होगी। वनों द्वारा हरियाली बढ़ाने, वृक्षारोपण तथा नदियों की सफाई का काम भी करना होगा। स्वास्थ्य सफाई और पर्यावरण संबंधी योजनाएं प्रदूषण की रोकथाम के लिए हर स्तर पर लागू करने का प्रावधान है।

आवास व्यवस्था

शहरी क्षेत्र हो अथवा ग्रामीण आवास संबंधी आवश्यकता विकास की दिशा में चुनौती है। एक अनुमान के अनुसार सन् 2001 तक लक्ष्य पूरा करने का प्रयास है। ताजा मांग पूरी करने के लिए 6 करोड़ 38 लाख इकाइयों और शहरी क्षेत्रों के लिए 3 करोड़ 12

लाख आवास इकाइयों की मांग पूरी करनी होगी। आवास स्थलों के साथ-साथ बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था का प्रयास भी होगा। ''सभी के लिए आवास योजना'' के अंतर्गत गरीबों, कमजोर वर्ग के लोगों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों और विकलांगों का विशेष ध्यान रखा जायेगा। खेतिहर मजदूरों, कामगारों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का ध्यान भी रखना होगा।

लघु एवं कुटीर उद्योग

ग्रामीण विकास और अर्थतंत्र के संतुलन में घरेलू उद्योगों का बड़ा महत्व है। इनके माध्यम से आर्थिक संकट दूर होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और उपभोक्ता वस्तुओं संबंधी आवश्यकता कम खर्चे पर पूरी हो सकती है। आठवीं योजना में इन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जायेगा और इनके द्वारा गांवों की आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया जायेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिक की सहायता से जहां बड़े उद्योगों द्वारा आंतरिक आवश्यकता की पूर्ति के साथ निर्यात को बढ़ावा मिलता है वहीं छोटे उद्योग आंतरिक बाजार में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का काम करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। सरकारी सहायता, आर्थिक अनुदान और सरकारी ऋण व्यवस्था द्वारा इस दिशा में कारगर सहायता की योजना है।

विविध

समन्वित ग्रामीण विकास योजना द्वारा गांवों की उन्नति के कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में आठवीं योजना के अंत तक आत्म निर्भरता का प्रयास है। प्रत्येक विकास खण्ड में एक समेकित ग्रामीण ऊर्जा परियोजना कार्यान्वित करने का लक्ष्य है। विद्युत-शक्ति के लिए नए स्रोतों और संसाधनों का प्रयास होगा। संचार माध्यमों का विस्तार भी अपेक्षित है। आठवीं योजना में प्रत्येक गांव में बिजली की व्यवस्था के साथ साथ टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सड़कों का निर्माण तेजी से होगा। ग्रामीण क्षेत्रों तक दूरदर्शन और रेडियो-केन्द्रों का विस्तार भी अपेक्षित है। यातायात की सुविधा के कार्यक्रम भी तेजी से लागू होंगे। समाज सुधार के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जनता की सुविधाओं की व्यवस्था का प्रयास होगा। सरकार द्वारा जन कल्याण और विकास के लिए किए जा रहे कार्यों में और नीतियों के कार्यान्वयन में जन-सामान्य का सहयोग उपलब्ध करने का प्रयास, स्वैच्छिक संगठनों और गैर-सरकारी एजेंसियों का सहयोग सुलभ कराने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करने के प्रयास भी होंगे। विकास कार्यक्रमों को गांव के स्तर पर, विकास खंड, जिला-स्तर, राज्य स्तर पर स्थानीय अपेक्षाओं के अनुकूल लागू करना होगा। राष्ट्रीय-स्तर पर कार्यान्वयन पर बल दिया जायेगा। अनावश्यक व्यय पर अंकुश, सार्थक निवेश, योजनाओं और कार्यक्रमों का आवधिक मूल्यांकन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के लिए समुचित परिव्यय, केन्द्र और राज्यों के बीच आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन में पारस्परिक तालमेल, समन्वय और अपनी भूमिका निभाने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना आदि विकास कार्यों को बढ़ावा देंगे।

उपसंहार

कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आठवीं योजना का लक्ष्य नई परिस्थितियों और आर्थिक उलझनों के बीच देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित कर चुनौतियों का सामना करना है। हर क्षेत्र के लिए समुचित प्रावधान, कार्यक्रमों का समयबद्ध कार्यान्वयन, नीतियों का समुचित अनुपालन तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में अर्थ व्यवस्था की पुनर्रचना द्वारा जनता के जीवन-स्तर में सुधार और सामाजिक-आर्थिक विकास का मांग प्रशस्त करने का प्रयास आदि आठवीं योजना के बुनियादी मुद्दे हैं। आठवीं योजना में 5.6% वृद्धि दर के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 400,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के संदर्भ में बचत के लिए सरकार को सुदृढ़ प्रयास करने होंगे। इसके लिए सुनियोजित आर्थिक सुधारों और आर्थिक नीतियों की आवश्यकता है। विकास की इस धारा में जनता की भागीदारी, संबंद्ध एजेंसियों और अधिकारियों की गहन रुचि, धन का सदुपयोग, वास्तविक कठिनाइयों की पहचान व ईमानदारी से हल का प्रयास, संसाधनों की खोज व उनका सही उपयोग, केन्द्र और राज्य के बीच तालमेल, मुद्रास्फीति पर अंकुश, निर्यात को उत्पादन बढ़ाकर बढ़ावा देना, बचत के उपाय करना और अनावश्यक व्यय की रोकथाम, सामाजिक-आर्थिक जागरूकता और योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के सही प्रयास अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे और गांवों को विकास की राह पर बढ़ने का अवसर सुलभ होगा।

एच-19/60 सेक्टर 7,
रोहिणी, दिल्ली-85

आठवीं योजना

ग्रामीण विकास योजनाओं के नए आयाम

□ विजय शंकर □

आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 का ग्रामीण विकास पर पड़ने वाले प्रभावों की पड़ताल के पहले हमें यह जान लेना जरुरी है कि यह किन परिस्थितियों में शुरू की जा रही है तथा इसके प्रमुख उद्देश्य और प्राथमिकताएं क्या हैं ?

सातवीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च, 1990 में ही शुरु हो जानी थी, लेकिन कुछ अनिवार्य कारणों, जिनमें जल्दी में सत्ता परिवर्तन भी शामिल है, योजना के दस्तावेज को अन्तिम रुप नहीं दिया जा सका। जब जून 1991 में श्री पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में नई सरकार ने सत्ता संभाली तो 1990-91 तथा 1991-92 को वार्षिक योजनाएं माना गया और 1 अप्रैल, 1992 से आठवीं योजना शुरू करने का फैसला किया गया।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिसम्बर 1991 में अपनी पहली बैठक में आठवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र का अनुमोदन किया। यह दृष्टिकोण पत्र ही आठवीं योजना के अन्तिम दस्तावेज का आधार बनेगा। दरअसल हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत एक ऐसे दौर में हो रही है, जब दुनिया में अनेक बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। इनमें दो शक्ति गुटों के बीच एक लम्बे अरसे से चले आ रहे शीत युद्ध का खात्मा, पूर्वी यूरोप के देशों में परिवर्तन, सोवियत संघ का विघटन, पश्चिम यूरोप में एक साझा बाजार का उदय तथा विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनका देश और विश्व की आर्थिक विकास व्यवस्था पर प्रभाव अवश्यम्भावी है। आठवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में जिन प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा की गई है उनमें इस सदी के अन्त तक लगभग पूर्ण रोजगार का लक्ष्य हासिल करने के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना, विस्फोटक रुप से बढ़ती जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण, सभी को प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना तथा 15-35 के आयुवर्ग में निरक्षरता को पूरी तरह से खत्म करना, सभी गांवों में और समूची आबादी के लिए रोग-प्रतिरोधी टीके लगाने सहित प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराना, सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, सिर पर मैला ढोने की अमानवीय कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त करना, खाद्यान्नों के मोर्चे पर आत्म-निर्भरता, तथा खाद्यान्नों के निर्यात के लिए कृषि का बहु-आयामी विकास और ऊर्जा, परिवहन सिंचाई तथा संचार जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर विशेष रुप से जोर दिया गया है।

ग्रामीण विकास के बजट में कटौती

जाहिर है कि दृष्टिकोण पत्र में उद्देश्यों को लेकर जो खाका खींचा गया है वह काफी आकर्षक है और इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो निःसंदेह गांवों का कायाकल्प हो जाएगा लेकिन सवाल है कि क्या हमारे योजनाकार योजनाएं बनाते समय गांवों को विशेष महत्व देकर उनके लिये पर्याप्त राशि आबंटित करते हैं। योजना बनाते या उसको लागू करते समय ग्रामीण सच्चाइयों और वास्तविकताओं को ध्यान में रखना होगा। आज हमारे गांवों में 77 प्रतिशत लोग रहते हैं इसलिए विकास की सही कसौटी यह होगी कि इस विशाल जनसमुदाय के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो, लेकिन पंचवर्षीय योजनाएं बनाते समय कुल आवंटन का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा ही 77 प्रतिशत ग्रामीण जनता पर खर्च किया जाता है, जबकि इस पर कम से कम 50 प्रतिशत खर्च होना चाहिये। ग्रामीण विकास की स्थिति तो और भी चिन्ताजनक है। वर्ष 1991-92 में ग्रामीण विकास के लिए बजट में 3508 करोड़ रुपये रखा गया था, लेकिन वर्ष 1992-93 के इसे बढ़ाने की बजाय और घटाकर 3100 करोड़ रुपये कर दिया गया। हाल में रुपये के हुए अवमूल्यन को दृष्टि में रखकर देखा जाए तो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में 22 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। इसी तरह चालू वर्ष में कृषि के लिए 1049 करोड़ 75 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं जो देखने में पिछले वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक हैं लेकिन अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए 10 प्रतिशत कम हैं। पशुपालन, डेयरी क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य के मदों में भी कटौती की गई है जिनका ग्रामीण विकास से गहरा सम्बन्ध है। यही वजह है कि जिस रफ्तार से शहरों का विकास हुआ है उसकी तुलना में गांवों का विकास नहीं हुआ। अगर सरकार समग्र ग्रामीण विकास के प्रति सचमुच गंभीर है तो इसके महत्व प्राथमिकता और धनराशि के आबंटन पर पुनर्विचार करना होगा।

आठवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि कृषि विकास का उद्देश्य महज खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना ही नहीं है बल्कि कुछ चुने हुए कृषि उत्पादों का अतिरिक्त उत्पादन करना भी है जिनका हम निर्यात कर सकें। यह

सही है कि हाल के वर्षों में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है लेकिन यह पूरे देश में संतुलित तरीके से नहीं हो सका है। हरित क्रांति का लाभ भी उत्तर और उत्तर-पश्चिम के कुछ ही राज्यों तक सीमित रहा है जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त थीं। इसका देश के दूसरे राज्यों में भी विस्तार करना है। इसका विस्तार उन पूर्वी राज्यों में करना होगा, जहां पर्याप्त वर्षा होती है और भूमि भी ऊपजाऊ है लेकिन आज भी 70 प्रतिशत भूमि असिंचित है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी इस क्षेत्र में, अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है। हमारे यहां तीस लाख हेक्टेयर बंजर भूमि है और पचास लाख हेक्टेयर भूमि पर केवल एक फसल होती है। असिंचित भूमि को सिंचित बनाना तथा एक फसल वाली भूमि को साल में दो फसलें लेने योग्य बनाना है। इससे हम पांच करोड़ ग्रामीण लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इसीलिये आठवीं योजना में सिंचाई क्षमताओं को 40 प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया गया है। हमें इस मामले में एक व्यापक और संतुलित कृषि नीति बनानी होगी। हमारी 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। अतः कृषि को उद्योग का दर्जा देने के संबंधों में, एक अरसे से चली आ रही मांग के गुण-दोषों पर विचार करके सरकार को शीघ्र इस संबंध में फैसला करना चाहिये।

किसानों को उर्वरक तथा कीटनाशक जैसी कृषि लागत की वस्तुएं ऊंचे मूल्यों पर खरीदनी पड़ती हैं, जब कि उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 250 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है और 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मूल्य दे रही है, जब कि बाजार में गेहूं 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा कर ही किसानों के असंतोष को दूर कर सकती है। इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों की समस्या बड़े किसानों से अलग है। हमारे देश में, केवल दस प्रतिशत किसान ही अपनी जरुरत से ज्यादा उत्पादन कर पाते हैं। छोटे और सीमांत किसानों को समर्थन मूल्य में वृद्धि से कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता। उनमें अपने उत्पादों को अधिक दिनों तक रोकने की शक्ति भी नहीं होती। नतीजा यह होता है कि वे आवश्यकताओं के दबाव में शीघ्र ही अपने उत्पादों को बेच देते हैं। इसके बाद इन लोगों को अपनी जरुरत की वस्तुयें खरीदने के लिए उचित दर की दुकानों में, लाइनों में लगना पड़ता है। इसलिये उचित दर की दुकानों से वितरित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्य ऐसे हों, जिससे छोटे और सीमांत किसान तथा खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके। गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा कृषि उत्पादकता की वृद्धि में भूमि सुधारों को प्रमुख कारक माना गया है। जमीन का फिर से वितरण करने संबंधी भूमि सुधार के उपाय काफी संख्या में ग्रामीण भूमिहीनों को भूमि पर आधारित तथा अन्य पूरक आमदनी सुलभ कराने में विशेष रुप से सहायक हो सकते हैं। लेकिन भूमि सुधारों का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। भूमि हदबंदी कानून के अंतर्गत फालतू घोषित की गयी जमीन विभिन्न स्तरों पर मुकदमे के कारण वितरण के लिये उपलब्ध नहीं है। केंन्द्र की तरफ से राज्यों को हिदायत दी गयी है कि वे ऐसे मामलों की समीक्षा करके उनका शीघ्र निपटान करें, ताकि जमीन का वितरण सुचारु रुप से हो सके। अक्तूबर 1991 में, आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में, इस बात पर जोर दिया गया कि मार्च 1992 तक बाकी फालतू भूमि का वितरण कार्य पूरा कर लिया जाय। लेकिन इस कार्य को पूरा करने में, केंद्र और राज्य सरकारों से जिस दृढ़ इच्छा शक्ति की अपेक्षा की गयी थी, उस के अनुसार इस पर कार्रवाई नहीं हो सकी। फालतू भूमि के वितरण के अंतर्गत जमीन के दस्तावेजों में उसको दर्ज करने, भूमि का सीमांकन तथा कमजोर वर्गों के हित में सुरक्षात्मक कानूनी प्रावधानों को लागू करने के साथ-साथ उन पर भूमिहीनों को कब्जा दिलाने का भी कारगर उपाय होना चाहिये।

आठवीं योजना में, रोजगार, जन संख्या नियंत्रण, शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य, पेय जल और आवास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस की पूर्ति के लिये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिये गांव के युवाओं को प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना जैसे कार्यक्रमों को मजबूती से लागू करने का संकल्प किया गया है। बेरोजगारी की समस्या ने ऐसा विकराल रुप धारण कर लिया है, जिस पर गंभीर चिंता स्वाभाविक है। इसीलिये आठवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में, स्पष्ट रुप से कहा गया है कि योजना का प्रयास रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि करने की दिशा में होना चाहिये और सार्थक विकास कार्यों द्वारा आम जनता के कौशल, शक्ति और सृजनात्मक क्षमता को बढ़ावा देकर उसकी सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सकता है।

सबको रोजगार देने का लक्ष्य

औद्योगिक नीति का जोर इस प्रकार होना चाहिये, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सकें, साथ ही उद्योगों

का गांवों में विस्तार हो, लघु उद्योगों का कार्य क्षेत्र बढ़े और निर्यात को बढ़ावा मिले। सरकार ने अगले दस वर्षों में सब को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है जो मौजूदा रफ्तार को देखते हुए कठिन लगता है। हमारे देश में लगभग सवा तीन करोड़ से भी अधिक युवा बेरोजगार हैं। हर साल 50 से 60 लाख युवक और युवतियां रोजगार कार्यालय के रजिस्टरों में अपना नाम दर्ज कराते हैं। इस में केवल दो ढाई लाख बेरोजगारों को ही रोजगार मिल पाता है। दरअसल हम एक ऐसी अव्यावहारिक आर्थिक नीति पर चल रहे हैं, कि हम जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उन से रोजगार के अवसरों के बढ़ने की संभावना बहुत कम है। हम उत्पादन की ऐसी विधियों का प्रयोग करते हैं जो उन देशों के लिये उपयुक्त हैं, जहां श्रमिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। हमारे पास जो विशाल मानव संसाधन हैं, उसका हम सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आगामी दस वर्षों में सबको रोजगार देने का काम एक गंभीर चुनौती है जो दृढ़ इच्छा शक्ति और व्यावहारिक योजनाओं के बिना संभव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिये समय-समय पर विभिन्न योजनायें शुरु की गयीं। इन में जनशक्ति कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना, प्रायोगिक गहन रोजगार कार्यक्रम, काम के बदले अनाज का कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शामिल हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात पहली अप्रैल 1989 में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम नामक दोनों रोजगार कार्यक्रम का विलय करके जवाहर रोजगार योजना नामक एक नया ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरु किया गया था। जवाहर रोजगार योजना का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में, बेरोजगारी और अल्परोजगार वाले लोगों के लिये अतिरिक्त लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने पर विशेष बल दिया गया है।

जवाहर रोजगार योजना

इस में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और मुक्त बंधुआ मजदूरों को तरजीह दी जाती है। इस योजना के तीस प्रतिशत अवसरों को महिलाओं के लिये आरक्षित रखा गया है। प्राप्त आंकडों के अनुसार 1991-92 के लिये केंद्र ने इस योजना के लिये 21 सौ करोड़ रुपये का योगदान किया था। वर्ष 1991-92 में 90 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन करने का लक्ष्य है जबकि वर्ष 1990-91 में, सतासी करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया था। 1989-91 के दो वर्षों में इस योजना पर लगभग 5045 करोड़ रुपये खर्च किये गये। इस योजना पर, केंद्र और राज्यों द्वारा दिये जाने वाले खर्चों का अनुपात 80 और 20 है। राज्य भी अनुदान का अपना पूरा हिस्सा केंद्रीय सहायता जारी होने के एक सप्ताह के भीतर जिला विकास एजेंसियों तथा जिला परिषदों को दे देंगे। इस में राष्ट्रीय स्तर पर कुल संसाधनों की 6 प्रतिशत राशि इंदिरा आवास योजना के लिये निर्धारित की गयी है। कुल संसाधनों की 20 प्रतिशत राशि 10 लाख कुओं की योजना के लिये आबंटित की जाती है। जवाहर रोजगार योजना को लागू करने की पूरी जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है। जिन ग्राम पंचायतों को पूरा करने के लिये 80 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक प्रति वर्ष अनुदान देने का प्रावधान है उन गांवों में आपसी गुटबंदी, विकास कार्यों में रुकावट डालने की प्रवृति तथा भ्रष्टाचार के चलते उतना लाभ नहीं हो पा रहा है, जितनी उम्मीद की गयी थी। इसी तरह गांवों में कमजोर वर्गों के युवाओं के लाभ के लिये एक ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) चलाया गया है। इसे 15 अगस्त 1979 को शुरु किया गया था। इसका उद्देश्य गांवों में 18-35 आयु वर्ग के उन युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करना है, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से आते हैं। इससे यह युवा अपना निजी काम धंधा शुरु कर सकते हैं तथा कुछ हद तक किसी अन्य आर्थिक क्षेत्र में नौकरी भी पा सकते हैं। यह प्रशिक्षण आवश्यकता पर आधारित होता है। यह प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, नेहरु युवक केंद्रों, खादी ग्रामोद्योग बोर्डों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों, विस्तार केंद्रों और स्वयं सेवी एजेंसियों द्वारा संचालित संस्थानों में विशेषज्ञ दस्तकारों द्वारा दिया जाता है। इस में प्रशिक्षण पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संभावित लाभ मिलता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इस कार्यक्रम में कुछ वर्गों के लिये विशेष प्रावधान किया गया है। जैसे प्रशिक्षित किये जाने वाले युवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं की संख्या कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिये तथा प्रशिक्षित किये जाने वाले ग्रामीण युवाओं में, महिलाओं की संख्या 40 प्रतिशत होनी चाहिये। सातवीं योजना के दौरान इस पर 129 करोड़ रुपये खर्च किये गये और 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। 1990-91 में, लगभग 2.4 लाख युवा प्रशिक्षित किये गये। इनमें से

50 युवाओं ने अपना खुद का रोजगार शुरु कर लिया है तथा 1/6 मजदूरी करके जीवकोपार्जन कर रहे हैं। 1991-92 में, एक लाख से अधिक युवकों को प्रशिक्षित किया गया।

ग्रामीण आवास कार्यक्रम

ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के लिये ग्रामीण आवास का कार्यक्रम चलाया गया है। ग्रामीण आवास को सितम्बर 1990 में, कार्य आवंटन नियमावली के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग को सौंप देने के बाद इस पर विशेष बल दिया गया है। जनसंख्या की तेजी से बढ़ती दर तथा गांवों में व्याप्त गरीबी के कारण यह समस्या एक अरसे से गंभीर बनी हुई है। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के अनुमान के अनुसार एक मार्च 1991 को देश में 310 लाख मकानों की कमी थी जब कि अकेले ग्रामीण क्षेत्रों में 206 लाख मकानों की कमी थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की राज्यवार कमी कुल जनसंख्या के घनत्व और सामाजिक आर्थिक स्तर के अनुसार प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। आवास समस्या को हल करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर दो प्रमुख योजनायें चलायी गयी हैं। इन में पहली आवास स्थलों के आबंटन तथा निर्माण सहायता की योजना तथा दूसरी इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप योजना के रुप में शुरू की गयी थी, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मजदूरों तथा अनुसूचित जातियों और जन जातियों के मकान निर्माण संबंधी ममलों को हल करना था। अब यह योजना जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जन जातियों के सबसे गरीब लोगों तथा मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों के लिये मुफ्त मकान मुहैया कराये जाते हैं। गांवों में कमजोर वर्गों को आवास उपलब्ध कराने के लिये इन योजनाओं को शुरू किया गया, लेकिन अशिक्षा, चेतना की कमी और भ्रष्टाचार के कारण गांवों के लोगों को इनका भरपूर फायदा नहीं मिल सका।

स्वच्छ पेयजल

गांवों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हमेशा से एक विकट समस्या रही है। आजादी के 46 वर्षों बाद भी हम देश के समस्त गांवों तक पेयजल पहुंचाने में विफल रहे हैं। 8वीं योजना में अगले वर्षों में सभी समस्या ग्रस्त गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों से सभी ग्रामीण बस्तियों का सर्वेक्षण करने और जलस्रोत, गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी समस्याओं का पता लगाने का अनुरोध किया गया है। सातवीं योजना में लगभग 1.54 लाख समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल की सुविधा प्रदान की गयी और 8365 गांव बकाया रह गये थे। इन में से 3032 गांवों को वर्ष 1990-91 में कवर किया गया था। सरकार ने 2509 समस्या ग्रस्त गांवों को 1991-92 में, और बाकी 2824 गांवों को 1992-93 में पेय जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस दिशा में प्रगति संतोषजनक नहीं हुई है। इसी के साथ 8वीं योजना में स्वच्छता के महत्व को स्वीकार करते हुए ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पर बल दिया गया है। स्वच्छता तथा स्वास्थ्य में परस्पर गहरा संबंध है। अपर्याप्त पेयजल, मानव मल मूत्र का सही ढंग से निपटान न होने तथा ठोस और तरल कूड़ा करकट इधर उधर पड़े रहने से जो सड़ाध और गंदगी फैलती है उससे कई घातक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिये भी इस सिलसिले में प्रावधान किये गये हैं। इन में शौचालयों की सस्ती और आधुनिक प्रणाली को लागू करना तथा इन लोगों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करना जो अभी भी सिर पर मैला ढोने के लिये अभिशप्त है।

महिला और बाल विकास

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं तथा बच्चों के लिये विशेष योजना शुरु की गयी है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे गुजारा करने वाले ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिये उपयुक्त अवसर प्रदान करना है। इसे 1982 में शुरु किया गया था। ग्रामीण महिलाओं के लिये एक अलग कार्यक्रम इस लिये आवश्यक समझा गया कि महिलाओं को विभिन्न बाधाओं के बाद समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो रहे थे। महिलाओं को अपनी परिवार की आय में वृद्धि के लिये तथा बाल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिये उनके लिये छोटे-छोटे ग्रुप बनाने की प्रणाली लागू की गयी। इस योजना के अंतर्गत आने वाली महिलायें ऋण तथा सबसिडी का लाभ उठा सकती हैं। शुरु में 50 चुने हुए जिलों में यह कार्यक्रम चलाया गया था। दिसम्बर 1991 में यह कार्यक्रम देशभर में 297 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। 8वीं योजना के दौरान देश के सभी जिलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किये जाने का प्रस्ताव है। जिलों का चयन करते समय उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनमें महिलायें कम पढ़ी लिखी होती हैं तथा जहां

पर शिशु मृत्यु दर अधिक है। ऐसा इसलिये किया जाता है कि इससे ग्रामीण समाज के सबसे पिछड़े हुए वर्गों को पहले लाभ प्राप्त हो सके। चयन की गयी महिलाओं को ग्रुपों में संगठित किया जाता है। प्रत्येक ग्रुप में 10-15 महिलायें होती हैं। कोई भी आर्थिक कार्यक्रम शुरु करने से पहले महिलाओं की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

शिक्षा और साक्षरता

रोजगार के अवसरों के विस्तार और उनके उपयोग तथा उत्पादकता में वृद्धि पर शिक्षा का गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, साक्षरता और शिक्षा विस्तार के बिना हम ग्रामीण विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक नहीं चला सकते। इसीलिये 8वीं योजना में 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। हाल के वर्षों में केरल, तमिलनाडु के कुछ जिलों तथा पश्चिम बंगाल में शतप्रतिशत अथवा लगभग शतप्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इससे पता चलता है कि देश के सभी राज्यों में अगर हम इस दिशा में सक्रिय और सघन प्रयास करें तो आठवीं योजना के दौरना सभी राज्यों में इस लक्ष्य को हासिल करना असंभव नहीं है।

पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में खास तौर पर महिलाओं बच्चों वृद्धों के लिये सरकार और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विशेष कार्यक्रम चलाने होंगे। जिससे शिक्षित और जागरुक होकर वे वर्ग ग्रामीण विकास के कार्यों में सहभागी बन सकें। गांवों में बड़ी संख्या में लोगों को निरक्षर और अशिक्षित होने के कारण उन्हें पता ही नहीं चलता कि सरकार की तरफ से उनके लिये कौन-कौन सी योजनायें शुरु की गयी हैं और उनका लाभ किस प्रकार से मिल सकता है। अपेक्षित जानकरी न होने के कारण उन्हें लगता है कि जैसे उन पर योजनायें थोप दी गयी हैं। इसका नतीजा यह होता है कि भ्रष्ट और प्रभावशाली लोग इन योजनाओं का लाभ स्वयं हथिया लेते हैं अथवा विशेष कृपापात्र लोगों को दिलवा देते हैं। इस प्रकार जिन लोगों के लिये वह विकास योजनायें शुरु की जाती हैं वे उस के लाभ से वंचित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव ने पद संभालने के बाद अपने प्रथम राष्ट्रीय प्रसारण में कहा था कि गांवों में रहने वाले गरीबों की दशा सुधारने पर सरकार अधिकाधिक ध्यान देगी। इसके लिये प्रशासन को और उत्तरदायी बनाया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विकास पर खर्च किया जा रहा प्रत्येक रुपया उन तक पहुंचे जो इस के लाभ के हकदार हैं।

सभी के लिये स्वास्थ्य

सरकार ने आठवीं योजना के अंत तक 'सभी के लिये स्वास्थ्य' का नारा दिया है। दरअसल किसी भी देश के विकास पर उस के नागरिकों के खराब स्वास्थ्य का प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र गांवों में जन-जन तक चिकित्सा सुविधायें पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में 30 हजार तथा पहाड़ी, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में 20 हजार की आबादी के लिये एक एक प्राथमिक केंद्र खोलने की सरकार की योजना है। ग्रामीण स्वास्थ्य को सस्ती और सुलभ बनाने में परंपरागत वैद्यों, हकीमों तथा जड़ी-बुटि का आज भी अपना एक विशिष्ट महत्व है। इस दिशा में पर्याप्त ध्यान देकर इसे और भी उपयोगी बनाया जा सकता है।

जनसंख्या नियंत्रण

परिवार नियोजन देश के बहुमुखी विकास के लिये आवश्यक है। अगर हम विस्फोटक जनसंख्या पर समय से और प्रभावी नियंत्रण नहीं करेंगे तो विकास की सारी उपलब्धियों को यह निगल जायेगी। इसलिये आठवीं योजना में जनसंख्या पर नियंत्रण के लिये प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगें। देश की जनसंख्या इस समय लगभग 86 करोड़ तक पहुंच गयी है और यह प्रति वर्ष 2.1 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रही है। यदि यही रफ्तार जारी रही तो शताब्दी के अंत तक यह बढ़ कर एक अरब तक हो जायेगी। सरकार ने सन् दो हजार तक जन्मदर में दो दशमलव एकप्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को घटा कर एक प्रतिशत करने का निश्चय किया है। अगर हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकें तो निश्चय ही हमारे विकास पर इस का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की पूरी सफलता तभी हो सकती है जब इन कार्यक्रमों के संचालित करने वाले लोगों पर जावबदेही निश्चित की जाये। अन्यथा इन कार्यक्रमों से हम वे उद्देश्य हासिल नहीं कर सकते जिन के लियें उन्हें शुरु किया गया है। नतीजा यह होगा कि इन कार्यक्रमों और योजनाओं में लगी देश की विपुल संपदा और साधनों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होगा। जब तक हम इस पर कारगर ढंग से नियंत्रण नहीं लगाते तब तक पूर्ण ग्रामीण विकास का स्वप्न साकार नहीं हो सकेगा।

स्टाफ कार्टर न० 19
नार्थ एवेन्यू
नई दिल्ली

आठवीं योजना

स्वालम्बन को उच्च प्राथमिकता

□ जगमोहन माथुर □

आज आप भारत के किसी भी कोने में देखने चले जाएं। विकास की किसी न किसी गतिविधि की झलक अवश्य मिल जाएगी जो बदलते हुए ग्रामीण भारत का प्रतिबिम्ब दर्शाती है। खेतों में मुस्कुराती नई किस्मों की फसलें, ट्यूब वैल से पानी ले जाती हुई सिंचाई नालियाँ हों या बनते हुए पक्के मकान अथवा नई सड़कों के निर्माण में रत मजदूर स्कूलों में पढ़ने जाते बच्चों की कतारें हों अथवा दस्तकारी और छोटे-छोटे उद्योगों धंधों से आमदनी बढ़ाने में जुटा युवा समाज सब एक ही कहानी कहते हैं, वह यही कि ग्राम्य जीवन को नया स्वरूप देने का प्रयास सम्पूर्ण भारत में हो रहा है। हमने अपने देश को गणतंत्र बनाने के तुरंत बाद, 1951 से ही योजनाओं के माध्यम से, देश को विकसित करने और आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। प्रथम योजना से लेकर सातवीं योजना का सफर तय करके अब हम आठवीं योजना के प्रवेशद्वार में अभी अभी प्रविष्ट हुए हैं। 1 अप्रैल से शुरु की गई आठवीं योजना में इस बात का संकल्प किया गया है कि अधिक रोजगार अवसरों के सृजन, जनसंख्या की रोकथाम, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाकर तथा कृषि को विविधता प्रदान कर व स्वावलम्बन का आधार बनाकर देश को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। जिस देश की तीन चौथाई से अधिक जनसंख्या गांवों में रहती हो और जिस देश की अर्थव्यवस्था की धुरी कृषि हो, वहां ग्रामीण क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दिया जाना स्वाभाविक ही है।

रोजगार मूल समस्या

ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से जो लोग थोड़ा बहुत भी परिचित हैं, वे यह भली भांति जानते हैं कि मूल समस्या वहां रहने वाले लोगों की आय बढ़ाना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि है। योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना के लिए तैयार किये गये निर्देश पत्र में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि अगले दस वर्षों की समय सीमा में सभी के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य आवश्यक भी है और उचित भी। आजकल व्याप्त बेरोजगारी की स्थिति और आने वाले वर्षों में रोजगार चाहने वालों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए औसतन हर साल 1 करोड़ रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी अथवा 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से रोजगार वृद्धि आवश्यक होगी। कृषि का भौगोलिक ढंग से तथा फसलवार विविधीकरण, फसलों के लिए व्यर्थ पड़ी भूमि तथा वनों का विकास, गांवों के गैर कृषि क्षेत्र, लघु उद्योग, ग्रामीण संरचना आवास सेवाएं वे क्षेत्र हैं जो रोजगारोन्मुख कार्यनीति के बुनियादी तत्व माने जाने चाहिए। जिनके पास पूरे रोजगार नहीं हैं अथवा जिनकी आमदनी कम है, उन्हें अधिक आय प्राप्त करने के लिए कुशल व सक्षम बनाया जाए। परम्परागत और गैर संगठित क्षेत्र के लिए टेक्नोलाजी को बेहतर तथा ऋण और बाजार सुविधाएं अधिक सुगम बनाना आवश्यक होगा। गावों में रोजगार सृजन करने के लिए जो कार्यक्रम आजकल चलाये जा रहे हैं उनमें प्रमुख हैं - जवाहर रोजगार योजना।

1991-92 में जवाहर योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आबंटित और दी गई राशि :

	आबंटित	दी गई राशि लाख रु.में
आन्ध्र प्रदेश	15332.96	15555.01
अरुणाचल	264.54	27.05
असम	4091.67	3467.48
बिहार	30773.42	28429.78
गोवा	285.82	282.79
गुजरात	6472.57	6008.76
हरियाणा	1541.46	2055.02
हिमाचल	908.22	964.14
जम्मू कश्मीर	1289.21	1992.90
कर्नाटक	9647.76	9321.49
केरल	5116.95	5035.24
मध्यप्रदेश	21122.00	17119.51
महाराष्ट्र	16339.89	12975.66
मणिपुर	339.06	113.08
मेघालय	396.73	489.79

मीजोरम	167.12	182.74
नगालैंड	425.26	578.84
उड़ीसा	10475.94	8360.48
पंजाब	1340.52	1314.42
राजस्थान	10244.22	7580.42
सिक्किम	154.83	269.57
तमिलनाडु	13778.93	12051.53
त्रिपुरा	440.39	474.10
उत्तर प्रदेश	40874.62	35637.61
पं. बंगाल	17429.55	10613.77
अंडमान निकोबार	156.56	52.16
चण्डीगढ़	—	—
दादर व ना हवेली	84.99	78.50
दमन दीव	50.07	4.38
दिल्ली	—	—
लक्षद्वीप	78.49	25.83
पांडिचेरी	153.25	80.36

यह योजना पहले के दो कार्यक्रमों-ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम को मिलाकर 1989-90 में शुरु की गई थी। 1989-91 के दो वर्षों की अवधि में इस पर लगभग 5045 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। 1991-92 में इसके जरिये 90 करोड़ श्रम-दिवसों का काम उपलब्ध कराया गया है। इसके अंतर्गत मजदूरी, राज्य अथवा केंद्र शासित क्षेत्र के न्यूनतम मजदूरी कानून के अंतर्गत दी जाती है। केंद्र व राज्य 80:20 के अनुपात से लाभ उठाते हैं। 1991-92 के लिए केन्द्र ने 2100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। 1992-93 वर्ष के बजट में 2046 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है और 70 करोड़ 70 लाख श्रम-दिवसों के रोजगार सृजन करने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त गांवों में एक और कार्यक्रम 1979 से चल रहा है वह है:— स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम)। इसका उद्देश्य गांवों के गरीब परिवारों के युवाओं को इस प्रकार का कोई धंधा सिखाना है जिससे कि वे या तो अपना खुद का कोई काम-धंधा शुरू कर सकें अथवा कोई मजदूरी कर सकें। ट्रेनिंग लेने वाले लड़के या लड़की को 300 रु० का एक टूल किट दिया जाता है जिसमें उसके औजार आदि होते हैं। प्रशिक्षण के लिए चुनाव करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि 50 प्रतिशत युवा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हों। प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद उन्हें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सबसिडी दिलाई जाती है ताकि वह उस रुपये से आसानी से अपना धंधा कर सकें।

सातवीं योजना के अंतर्गत इस योजना पर कोई 129 करोड़ रुपये खर्च किये गये और लगभग 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। इनमें से 4.6 लाख युवाओं ने अपना खुद का काम-धंधा शुरु कर दिया। 1990-91 में लगभग 2.4 लाख युवाओं ने इसी तरह का प्रशिक्षण लिया और लगभग आधे, अपना काम-धंधा चला रहे हैं। इसी प्रकार 1991-92 में एक लाख से अधिक युवा प्रशिक्षण ले चुके हैं। इस वर्ष 26 करोड़ रुपये का प्रावधान इस काम के लिए रखा गया था। दोनों रोजगार कार्यक्रम आठवीं योजना में भी चलाये जायेंगे।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

गांवों में गरीबी उन्मूलन के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में जो अभियान कुछ वर्षों से देश के सभी 5300 विकास खण्डों में चल रहा है, वह है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य गरीबों को उत्पादक परिसम्पत्ति अथवा साधन उपलब्ध कराकर उन्हें बेहद गरीबी के जीवन से उबारना है। छोटे व मझौले किसानों, कृषि मजदूरों कारीगरों अथवा अन्य लोगों के लिए यह आशा की नयी किरण सिद्ध हुआ है। चूँकि गांवों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश लोग बेहद गरीबी में जी रहे होते हैं, अतः ध्यान रखा जाता है कि इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले लोगों में कम से कम 50 प्रतिशत इन वर्गों के हों। इस कार्यक्रम का व्यय केन्द्र और राज्य आधा आधा उठाते हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सातवीं योजना के दौरान कोई 182 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया और 3316 करोड़ रुपये खर्च किये गये। 1990-91 में 23.71 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में मदद दी गई और इस काम पर 809 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई। आठवीं योजना में इस कार्यक्रम को और जोरदार ढंग से चलाया जाएगा। 1992-93 के बजट में 375 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और 18.84 लाख ग्रामीण परिवारों की मदद की जाएगी।

महिला और बाल विकास

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम को 1982 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंग के रूप में शुरु किया

विज्ञान और टेक्नोलाजी

विकास के सभी मूलभूत क्षेत्रों के लिए विज्ञान व टेक्नोलाजी का प्रयोग करने के वास्ते व्यापक स्तर पर प्रयत्न करना होगा। आठवीं योजना के निर्देश पत्र में कहा गया है कि भूमि, पानी, खनिज, ऊर्जा जैसे बुनियादी साधनों की कमी की, उत्पादकता बढ़ाने वाली नई विधियों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों में वैज्ञानिक और तकनीकी तत्वों का समावेश करना होगा। समाज पर सीधा प्रभाव डालने वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

जहां तक बुनियादी ढांचे का सवाल है, इस योजना काल में सभी प्रकार की सड़कों के सुधार के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को ऐसा बना दिया जाएगा कि वे सभी मौसम में काम आ सकें।

इस योजना के अंत तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की कमी दूर करने का भी भरपूर प्रयास होगा और ऐसे उपाय किये जाएंगे कि बिजली के मामले में स्वावलम्बन बनाये रखा जाए।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आठवीं योजना ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी और गरीबी दूर करने की दिशा में गंभीर प्रयास करेगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि सुविधाएं बढ़ाने तथा सड़कों और बिजली की वर्तमान स्थिति सुधारने के लिए नये उपाय करेगी।

47 मैत्री आपार्टमेन्ट्स,
पश्चिम विहार,
नई दिल्ली 110063

आठवीं योजना

स्वस्थ राष्ट्र : समर्थ राष्ट्र

□ आशा शर्मा □

किसी भी देश में विकास में आयोजन की आवश्यकता एवं सार्थकता पर दो राय नहीं हैं। परिवार हो या देश, सही आयोजन ही सही लक्ष्यों की प्राप्ति का पहला उपक्रम है, उपाय है। इसीलिए स्वाधीनता-प्राप्ति के तुरंत बाद जिस ओर देश-निर्माताओं एवं योजनाकारों का ध्यान गया, वह था सदियों की गरीबी और पिछड़ेपन से यथाशीघ्र मुक्ति पाना ताकि आजादी एवं विकास के लाभ देश के निर्धनातिर्धन- 'दरिद्र नारायण' को मिल सकें और राष्ट्रपिता बापू का सपना साकार किया जा सके।

देश को स्वाधीन हुए 45 वर्ष होने जा रहे हैं और आयोजनबद्ध विकास को चार दशक। देश की विकासयात्रा सात पंचवर्षीय योजनाएं तथा दो वार्षिक योजनाएं पूरी कर और अनिर्णीत अंतराल के एक-दो बरस पूरे करके । अप्रैल, 1992 से आठवीं योजना शुरु कर रही है। इन पंचवर्षीय योजनाओं में सफलता यदि आशानुरुप नहीं मिली तो यह कहना भी उतना ही गलत होगा कि ये प्रयत्न निरर्थक अथवा निष्फल रहे। सफलता की रफ्तार संतोषप्रद नहीं रही, इस पर भी जानकारों का मत अलग-अलग है। परन्तु यह बात तय है कि योजनाओं द्वारा देश को एवं साधन दोनों का मान हुआ। उधर, असफलताओं के कारण खोजने निकलें तो वे भी कई हैं जैसे आर्थिक नीतियों का पूर्णतया सही न होना, लक्ष्यों का अस्पष्ट निर्धारण, कार्य-पूंजी का अभाव तो कभी राजनीतिक संकल्प का, आदि। परन्तु संक्षेप में पूछा जाए तो एक प्रमुख कारण था। सही मानव संसाधनों का अभाव। इसी आशय से मानव संसाधनों की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। परन्तु प्राथमिकताओं के अस्पष्ट होने के कारण और कुछ आर्थिक कठिनाइयों के परिणामस्वरूप बात बनी नहीं। नतीजा उत्पादकता में कमी, मुद्रास्फीति, विदेशी ऋण के कारण बनी भयावह एवं अपमानजनक स्थिति और एक मोहभंग का माहौल। कुल मिलाकर सन् 90 में यही स्थिति थी।

अवरोध के मूल में मानव संसाधनों, जिनका देश में भाग्यवश कभी अभाव नहीं रहा, के महत्व की ओर से उदासीनता तथा उनका सार्थक उपयोग न किया जाना था जिससे यह किंकर्तव्यता की स्थिति उपस्थित हुई। इसीलिए राष्ट्रीय नेतृत्व एवं योजनाकारों ने यह महसूस किया कि अगली योजना (यानी आठवीं) भले थोड़ी देर से आरंभ हो परन्तु इससे पहले यह आवश्यक है कि आर्थिक नीति में अनुभूत अवरोध एवं संस्थागत दोष दूर किए जाएं, दिशा-निर्देश सही एवं सटीक हों, लक्ष्य सही एवं स्पष्ट हों और विकास की मूलभूत इकाई-मानव एवं मानव संसाधन-की भूमिका प्रगतिशील एवं पूर्ण एकात्मकता एवं पूरी भागीदारी की हो तथा इसे विकास-प्रयत्नों एवं नीतियों के केन्द्रस्थान में प्रतिष्ठित किया जाए।

सौभाग्यवश नई सरकार ने सत्ता में आते ही इन दोषों को दूर करने तथा आर्थिक नीतियों में सुधार को अपनी सर्वप्रथम प्राथमिकता करार दिया। नई आर्थिक नीति, उदारीकरण, स्वउद्यमी प्रवृतियों को प्रोत्साहन एवं लाइसेंस-कोटों की गलघोंटू नीति की समाप्ति इसी नई सोच के निर्वाह का प्रमाण हैं। प्रयोजन यह था कि देश में उद्यमशीलता, प्रगतिशीलता की संस्कृति को बल मिले, मानवसंसाधनों का गुणात्मक विकास हो अर्थात् प्रत्येक मनुष्य संपूर्ण विकास-प्रक्रिया का मूल निवेश का पर्याय बन जाए। उसके परिमार्जन के लिए सभी आवश्यक प्रयत्न उपयुक्त पाए गए जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, काम के अवसर आदि।

इस वर्ष अप्रैल से शुरु आठवीं पंचवर्षीय योजना का यही मूल मंत्र है। योजना के दिग्दर्शक पत्र में कहा गया है। यदि मनुष्य के गुणात्मक विकास में ही स्थायी एवं लाभकारी विकास का मर्म छिपा है और इस गुणात्मक विकास की सबसे पहली शर्त है स्वास्थ्य। स्वस्थ राष्ट्र ही स्वस्थ सोच एवं स्पष्ट कार्य योजना को शुरू कर इसे आशानुरुप सम्पन्न कर सकता है। इसीलिए योजना में समाजिक सुरक्षा, अर्थात् स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर देश के विशाल ग्रामीण क्षेत्रों में, के उपलब्ध कराने एवं संबर्द्धित करने पर विशेष बल दिया गया है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर राष्ट्र की कुंजी है और बेहतर राष्ट्र एवं राष्ट्र शक्ति की गतिशील प्रगति दर का सर्वाधिक

निर्भरयोग्य सूचकांक है।

आज तक की प्रगति का लेखा-जोखा

जब देश आजाद हुआ तो शहरों में भी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं नाममात्र की थी, गांवों का तो कहना ही क्या जहां ये न के बराबर थीं। मृत्युदर 13 प्रतिशत से ऊपर थी और औसत आयु केवल 31 वर्ष। महामारी का दानव हर दूसरे साल लाखों को निगल जाता था। यही कारण था कि पंचवर्षीय योजनाओं में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं का जाल बिछाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। पिछले चार दशकों के दौरान योजनाबद्ध विकास के परिणामस्वरूप ही यह संभव हो सका है कि 1 अप्रैल 1990 तक देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उपकेन्द्रों की संख्या 20,536 थी। देश में 1,855 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत थे। साथ ही दूसरे व तीसरे चरण की स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने वास्ते कार्यक्रम चलाए गये जिसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 1990 को देश में अस्पतालों की कुल संख्या 10 हजार से भी ऊपर थी जिनमें 6,02,490 बिस्तर उपलब्ध थे तथापि देश की जनसंख्या, विस्तार तथा उत्तरोत्तर बढ़ते स्वास्थ्य-अपेक्षाओं के परिणामस्वरूप ये सभी आटे में नमक के बराबर ही थे।

तो पिछले चार दशकों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार में काफी काम हुआ, इसमें सन्देह नहीं। रोग विशेष के उन्मूलन की कई योजनाएं हाथ में ली गई जिनमें सफलता भी मिली। इनमें मलेरिया, चेचक, हैजा, गिनीवर्म आदि ऐसी व्याधियां हैं जिनका लगभग सफाया ही किया जा चुका है। मां-बच्चे के स्वास्थ्य में, के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का अंग बनाया गया है। मां-बच्चे के स्वास्थ्य के संदर्भ में परिवार नियोजन के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारी महत्व को दृष्टि में रखते हुए बाल कल्याण एवं परिवार कल्याण को संयुक्त कार्यक्रम बना दिया गया है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा नगरों में परिवार कल्याण सेवाओं के रूप में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जनसंख्या नियंत्रण आज एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी बन गया है तथा देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम औपचारिक स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग भी। सरकार ने माताओं व बच्चों के लिए कई कार्यक्रम आरंभ किए हैं जिनमें उल्लेखनीय है व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम, अतिसारी रोग नियंत्रण, पोषाहार, रक्तल्पता एवं अंधता-निरोधक कार्यक्रम आदि।

पोषाहार एवं पेयजल स्वास्थ्य सुधार योजनाओं की ये दो आधारभूत इकाइयां रही हैं। अतः इन दोनों को पंचवर्षीय योजनाओं में समुचित महत्व दिया जाता रहा है। आठवीं योजना में भी पेयजल तथा स्वच्छता दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। साथ ही चिकित्सीय व पराचिकित्सीय अनुसंधान, खाद्यपदार्थों में मिलावट रोकने और औषध-सुधार आदि में भी उल्लेखनीय कार्य हुआ है। आम आदमी तथा साधनहीन और कमजोर वर्गों के लाभार्थ विशेषरूप से आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी जैसी चिकित्सा प्रणालियों को तथा साथ ही होम्योपैथी को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रमों को तरजीह दी गई है ताकि कम खर्चीली चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सके।

आज का संदर्भ

वर्तमान संदर्भ में एक और विचारणीय बात यह है कि हाल के वर्षों में रोगों एवं व्याधियों का स्वरूप ही बदल रहा है। बदलते हुए जीवनयापन के तरीकों, मूल्यों एवं तदजनित तनावों के कारण नए-नए रोग, जो कि आज तक सामान्य माने जाते थे, अब एक गंभीर समस्या बनकर सामने आ रहे हैं। इनमें प्रमुख हैं कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग आदि। यह सही है कि इन्हें रोकने के प्रयास अभी प्राथमिकता की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हैं, फिर भी जागरूकता एवं सावधानी बढ़ाने के कार्यक्रम उत्तरोत्तर विकसित किए जा रहे हैं क्योंकि मानसिक रोगों के कारण दुर्घटनाओं एवं सामाजिक विषमताओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उधर, एड्स जैसी नामुराद बीमारी आक्टोपस के पंजों की तरह अपना मारक आतंक फैलाती जा रही है।

अतः प्रगति के बावजूद अब भी कई समस्याएं हैं जिनके कारण स्वास्थ्य आयोजनकारों को चिंता है। चार दशकों के भारी पूंजी निवेश, विशेषित कार्यक्रमों एवं कार्मिक तथा विविध कार्यकलाप के होते हुए भी वास्तविकता यह है कि आज भी केवल एक चौथाई ग्रामीण जनता को आधारभूत चिकित्सा सेवाओं का लाभ प्राप्त है, शेष तीन-चौथाई को निजी चिकित्सकों का सहारा लेना पड़ता है जिनमें से अधिकांश पूर्णतया प्रशिक्षित भी नहीं। शहरी जनसंख्या का एक-तिहाई भाग गंदी बस्तियों में रहता है जिसे कोई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं। गांवों में 20 प्रतिशत से भी कम प्रसव प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा कराए जाते हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार कल्याण कार्यक्रमों में भारी निवेश के बावजूद ऐसा लगता नहीं कि शताब्दी के अंत तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति द्वारा निर्धारित 21 प्रति

हजार की जन्मदर तथा प्रति इकाई शुद्ध पुनर्जन्म दर को पाने में सफल हो सकेंगे। कुष्ट रोग, तपेदिक, मलेरिया, अतिसार, रतिजन्य रोग आज भी, सरकारी दावे के बावजूद, भारी संख्या में लोगों की जान ले रहे हैं। 70 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं और 76 प्रतिशत से अधिक 3-4 वर्ष की आयु वाले बच्चे रक्तल्पता का शिकार हैं। जबकि 43.3 प्रतिशत बच्चे विभिन्न कुपोषण के परिणामों से ग्रस्त हैं। दुख की बात तो यह है कि इनमें से बहुतों को बखूबी बचाया जा सकता है पिछले चार दशकों में बनाए गए स्वास्थ्य सेवा आधार ढांचे द्वारा और विशेष अतिरिक्त वित्तीय अथवा कार्मिक निवेश की भी जरूरत नहीं। आठवीं योजना में इसी सोच को आगे बढ़ाने और तदनुरुप प्रयास करने की बात की गई है। 'सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य' का लक्ष्य इसी नई सोच की परिणति है।

'सबके लिए स्वास्थ्य' के लक्ष्य पर चर्चा करने से पूर्व यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि यदि हम इसके प्रति ईमानदार हैं तो आने वाले दशक के दौरान स्वास्थ्य नीतियों, कार्यक्रमों एवं उनके प्रति अपने समग्र दृष्टिकोण का पुनर्वीक्षण करना होगा और सुधारात्मक उपायों, साहसिक पहलों एवं एकनिष्ठ प्रयत्नों की एक समुचित नीतिसम्बद्ध व्यवस्था लागू करनी होगी। कहना न होगा कि ऐसा प्रयास एवं प्रयत्न आज के संदर्भ में अनिवार्य भी है और सर्वथा अभीष्ट भी। आठवीं योजना भी इस दायित्व के प्रति सजग है, यह एक शुभ संकेत है।

'सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य'

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य रखा गया है इसके अंतर्गत ही 'कम सुविधा प्राप्त एवं सुविधा-विहीनों के लिए स्वास्थ्य' का लक्ष्य भी रखा गया है। यही इस विषय में सभी प्रयासों का दिशा-संकेत होगा और सारा विकास तंत्र इसी को साकार एवं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। और इसका आधार होगा सामाजिक इकाइयों एवं संस्थाओं का सहयोग भागीदारी। इसमें परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों का उनके कम खर्चीली होने के कारण अधिकाधिक उपयोग। इसके अतिरिक्त लक्ष्य की प्राप्ति में रोगों के निराकरण, बचाव उपायों एवं स्वास्थ्य-संवर्द्धन पर भी जोर दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवाओं में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के कार्यकालप को संचालित किया जाएगा।

'सबके लिए स्वास्थ्य' लक्ष्य को सार्थक एवं सफल बनाने में कतिपय तत्व एकदम अपरिहार्य एवं बुनियादी हैं। यह हैं : पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता, ये दोनों जितनी संतोषजनक स्तर तक उपलब्ध कराई जा सकेंगी। स्वास्थ्यस्तर विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में, उतना ही श्रेष्ठ होगा। यहां यह भी कथनीय है कि ये दोनों परस्पर आश्रित कार्य-लक्ष्य हैं और बेहतर स्वास्थ्य की बुनियादी जरुरतें हैं। देश के सभी गांवों में कीटाणुरहित एवं हानिकारक खनिज रहित पेयजल और स्वच्छ पर्यावरण करना परम लक्ष्य है। जहां तक पेय जल का प्रश्न है तो स्थिति यह है कि अप्रैल 1985 तक देश में 'कोई स्रोत नहीं' वाले गांवों की संख्या 1 लाख 62 हजार थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनमें से एक लाख से अधिक गांवों को पेयजल की आपूर्ति की गई तथा अन्य कई उपायों को हाथ में लिया गया। अभी भी ऐसे गांवों की काफी तादाद है जिनमें जलापूर्ति अपर्याप्त है या नहीं के बराबर है। वर्तमान इंगितों के अनुसार, 250 व्यक्तियों की जनसंख्या के लिए 1.6 किलोमीटर की दूरी के अंदर नलस्रोत उपलब्ध कराना सरकार की नीति का लक्ष्य रखा गया है। जिसका अर्थ है कि इस दिशा में जोरदार प्रयास करने होंगे। जिन विशेष उपायों को किया जा रहा है उनमें गिनीवर्म, फ्लूराइड, लोहतत्व और खारापन दूर करने आदि के उपाय शामिल हैं। उनके साथ ही ग्रामीण एवं उपनगरीय क्षेत्रों में मैला ढोने की प्रथा को समूल समाप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव की ताजा घोषणा के पश्चात् और तेज किया जा रहा है। इसके लिए शहरी इलाकों में 'फ्लश लैट्रीनों' को अनिवार्य करना, सुलभ शौचालयों का उत्तरोत्तर अधिक उपयोग और मैला ढोने में लगे लोगों को इस कुप्रथा से मुक्त कर वैकल्पिक रोजगार/कार्यों में लगाना सम्मिलित है साथ ही प्रोत्साहन आदि की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।

स्वास्थ्य संबंधी इन बुनियादी उपायों के अतिरिक्त, इस लक्ष्य को सार्थक करने के लिए हमें पूरी आर्थिक व्यवस्था में समानान्तर परिवर्तन करने होंगे जिनका इशारा प्रधानमंत्री कई मंचो से कर चुके हैं। वस्तुतः ये शुरु भी किए जा चुके हैं। इनमें से उल्लेखनीय हैं— जन्मदर को इस शताब्दी के अंत तक 26 प्रति हजार घटाना, बालमृत्यु दर को 30 प्रति हजार घटाना, पूर्व स्कूली बच्चों के लिए पोषण स्तर में सुधार, प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य करना, व्यस्क अनपढ़ता का पूर्ण उन्मूलन, व्यावसायिक शिक्षा का विविधीकरण, 20,000 की जनसंख्या वाले गांवों तथा उपनगरों में सुरक्षित साफ पेयजल, सम्यक् आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड निवासों में कम से कम

एक बिजली कनेक्शन देना और चुने हुए गांवों में सम्पूर्ण गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम को शत प्रतिशत सफलता के लक्ष्य से संचालित करना आदि।

यह स्पष्ट है कि हमारी जनसंख्या और इसकी सामाजिक एवं भौगोलिक विषमताओं को देखते हुए कोई सरकारी या एकमुश्त कार्यक्रम लक्षित तिथि तक सफल नहीं हो सकता जब तक इसे जन-सहयोग न मिलेगा। अत: इसमें सन्देह नहीं कि 'सबके लिए स्वास्थ्य' लक्ष्य के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, शहरी चिकित्सा सेवा और जनशक्ति आदि सभी अंगों को सुदृढ़ करना, उन्हें नई प्रेरणा शक्ति से पुनर्प्रेषित करना होगा। इसके लिए विभिन्नस्तरों पर बकाया काम पूरा करने के साथ-साथ लक्ष्य की समय-सारणी को भी ध्यान में रखकर अतिरिक्त इच्छाशक्ति जुटानी होगी। सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों की स्थापना का बकाया काम शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रणाली के आधार स्तंभ को जनोपयोग के लिए प्रस्तुत करना होगा ताकि इन पर व्यय किए गए भारी संसाधनों का एवज जनता को मिल सके। केन्द्र और राज्य में विशेषतया एवं मध्यवर्ती चिकित्सा केन्द्रों को लेकर जो असमनताएं एवं दुरूहताएं हैं, उन्हें अफसरशाही की बजाय लोकसेवा एवं राष्ट्रीय भावना से हल करके एक व्यवहारिक पर्यावरण को प्रशस्त करना होगा। इससे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में रत जनशक्ति का समुचित एवं योजनाबद्ध उपयोग सुनिश्चित होगा। इससे एक और सभी जगह डाक्टरों व पराचिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता निश्चित होगी वहां दूसरी ओर विशेषज्ञ जनशक्ति का अपव्यय तथा बहिर्गमन भी रोका जा सकेगा। विशेषज्ञता एवं अतिविशेषज्ञता की दौड़ पर भी काफी हद तक अंकुश लग सकेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली के बेहतर संगठन द्वारा शहरी गंदी बस्तियों में, जहां लोग नारकीय स्थिति में जीवनयापन करते हैं, एक नई पर्यावरण व्यवस्था का रास्ता खुल सकेगा। यह मुद्दा अंतिम दशक की कार्यसूची का महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे शहरों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए ध्यान में रखना अत्यावश्यक है।

जनस्वास्थ्य का कोई कार्यक्रम कोरी सरकारी आयोजना एवं प्रयास से ही सफल नहीं हो सकता। इसके लिए सामुदायिक भागीदारी तथा संस्थागत (स्वैच्छित एवं वैकल्पिक) सहयोग की भूमिका बड़े महत्व की है। स्वास्थ्य के लिए एक जागरूक एवं स्वस्थ जीवनशैली के प्रचार का कार्यक्रम बनाने में आम जनता को आगे आना होगा और इनमें निजी क्षेत्र की संस्थाएं व संगठनों को आगे आना होगा। पाश्चात्य देशों के अनुभव से हम देख सकते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाना और जागरुकता इस कार्य की दुरुहता को काफी हद तक सहज बना सकता है। अत: जनसहयोग गैर सरकारी संगठनों को भी 'सबके लिए स्वास्थ्य' लक्ष्य में सशक्त भूमिका निभानी होगी। यह संतोष का विषय है कि आठवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में इन संभावनाओं को स्वीकारा तथा स्पष्ट इंगित किया गया है और राष्ट्रीय विकास के समग्र कार्यक्रम में बेहतर स्वास्थ्य की भूमिका को मूलभूत माना गया है।

स्वास्थ्य के महत्व के बारे में इस नई सोच, जिसका सूचक आठवीं योजना प्रपत्र के रूप में हम देख रहे हैं, निश्चय ही, बेहतर स्वास्थ्य स्तर को प्राप्त करने में सफल होगी। राष्ट्र के समक्ष, वस्तुत: इसका कोई विकल्प नहीं क्योंकि स्वस्थ राष्ट्र ही समर्थ राष्ट्र और बेहतर भविष्य की गारंटी है।

फ्लैट 37 सी, पाकेट बी,
गंगोत्री इन्क्लेव,
नई दिल्ली-110019

आठवीं योजना

ग्रामीण विकास में निजी क्षेत्रों की भूमिका

□ डा० शशि प्रकाश शर्मा □

पिछले एक वर्ष के दौरान आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का बिखराव, पूर्वी यूरोप में विचारधारा में अन्तर, पश्चिमी यूरोप में संयुक्त बाजार की उत्पत्ति आदि प्रमुख घटनायें घटित हुई हैं। इन घटनाओं का अन्तर्राष्टीय सम्बन्धों और विश्व अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसी के साथ-साथ विकासशील देशों की आर्थिक नीतियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुये हैं। जैसे घरेलू व विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, अर्थव्यवस्था के मूल ढांचे में परिवर्तन आदि। विश्व में होने वाले इन परिवर्तनों तथा देश में उत्पन्न वित्तीय संकट के कारण भारत की आर्थिक नीतियों में दूरगामी परिवर्तन हो रहे हैं।

बजट और व्यापार शेष के बढ़ते घाटे के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट ने सरकार की आर्थिक नीतियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने के लिये विदेशी पूँजी को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा आयात शुल्कों में भारी कमी की गई है। बजट घाटे को सीमित रखने के लिये सरकार को व्यय पर अंकुश लगाना पड़ा है जिसके फलस्वरूप सरकार द्वारा उत्पादक कार्यों पर किये जाने वाले वास्तविक व्यय में कमी आई है। इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार निजी क्षेत्र को निवेश करने के लिये प्रोत्साहित कर रही है तथा घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को गति देने में गंभीरता से विचार कर रही है। इन बदली हुई आर्थिक नीतियों से यह आभास होता है कि सरकार विकास का प्रमुख दायित्व निजी क्षेत्र को सौंपना चाहती है। उद्योग के क्षेत्र में सरकार ने आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त किया है तथा नीतियों को अधिक उदार बनाया है। एम.आर.टी.आर. एक्ट को समाप्त किया जाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्योगों के क्षेत्रों में अपनायी गई इन नीतियों को क्या कृषि विकास के लिये अपनाया जा सकता है ? दूसरे शब्दों में क्या ग्रामीण विकास को निजी क्षेत्र के भरोसे पर छोड़ा जा सकता है।

इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं क्या हैं तथा इन समस्याओं के समाधान के लिये अपनाए गए उपाय कितने कारगर हैं तथा ग्रामीण विकास में निजी क्षेत्र क्या भूमिका निभा सकती है ?

भारत की 77 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है जिनमें से एक तिहाई जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करती है। ग्रामीण विकास का अहम् मकसद ग्रामीण इलाकों से गरीबी को समाप्त करना है। गांवों में गरीबी का प्रमुख कारण बेकारी है। गांवों में पूरे समय काम नहीं मिलता है तथा आय भी बहुत कम प्राप्त होती है। गांवों में बेकारी व गरीबी दूर करने के लिये सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किये हैं जिनमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना आदि प्रमुख हैं। कुछ कार्यक्रम क्षेत्र विशेष, समाज के पिछड़े वर्गों के लिये भी शुरू किये गये हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास, ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार के लिये प्रशिक्षण (ट्राइसेम) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम आदि।

जहां तक प्रथम प्रकार के कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, इन्हें एक साथ पूरे देश में लागू किया गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्तूबर 1990 को हुई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन छोटे व सीमान्त किसानों कृषि व गैर कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों व दस्तकारों, अनुसूचित जाति व जन जातियों तथा उन सब अन्य लोगों को लाभ पहुंचाने की बात कही गयी है जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। यह तर्क दिया गया है कि यह सब गरीब इसलिए हैं क्योंकि इनके पास श्रम के अलावा कोई अन्य सम्पत्ति नहीं है व न ही कोई अन्य कौशल है इसलिये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से नई उत्पादन परिसम्पत्तियों के निर्माण की व्यवस्था हो, ताकि यह अपनी आय में वृद्धि कर सकें। इसके अंतर्गत सिंचाई के साधनों की व्यवस्था, कृषि के उपकरणों की व्यवस्था, बीज व उर्वरक तथा लघु उद्योगों व हस्तशिल्पों के लिये उपकरण तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। प्रारम्भ से ही इस कार्यक्रम को देश के प्रत्येक विकास खण्ड में लागू किया गया। छठी योजना में इस कार्यक्रम पर लक्ष्य से अधिक धनराशि खर्च की गयी। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सातवीं पंचवर्षीय

योजना में भी लक्ष्य से अधिक धन राशि खर्च की गयी। जिसके फलस्वरूप लगभग दो-करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचा। 1991-92 वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम पर लक्ष्य से काफी कम धन राशि (लगभग) 68% खर्च की गयी जिसके फलस्वरूप हम लक्ष्य से कम ही परिवारों की सहायता कर पाये। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कुछ त्रुटियां रही हैं। परन्तु इस सत्य को नहीं झुठलाया जा सकता कि इसके फलस्वरूप अनुसूचित जातियों व जनजातियों के परिवारों को लक्ष्यों से अधिक फायदा पहुंचा है।

ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिये सरकार ने ग्रामीण श्रम शक्ति कार्यक्रम (Rural manpower programme), क्रैश स्कीम फार रूरल एम्पलायमेंट (CSRE) पायलट इन्टेनसिव रूरल एम्पलायमेंट प्रोग्राम (PIREP), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना (RLEGP), आदि कार्यक्रम शुरू किये। अप्रैल 1989 में सरकार ने एन.आर.ई.पी. और आर.एल.ई.जी.पी. कार्यक्रमों को मिलाकर एक नया ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरु किया जिसे जवाहर रोजगार योजना का नाम दिया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के बेरोजगार और अल्प रोजगार स्त्री व पुरुष को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करना तथा गरीब लोगों के लिये ऐसा आर्थिक ढांचा तैयार करना है जिसमें उन्हें प्रत्यक्ष व लम्बे समय तक काम मिल सके तथा उनके सामान्य जीवन स्तर में भी सुधार हो। इस योजना के लिये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और स्वतंत्र हुये बंधुआ मजदूरों को चुना गया। इस कार्यक्रम के द्वारा पैदा होने वाले रोजगार अवसरों का 30 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं के लिये आरक्षित किया गया। जवाहर रोजगार कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता ऐसे लोगों को सीधे रोजगार के अवसर प्रदान करना है जो समाज के निम्न व गरीब वर्ग से आते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा श्रमिकों तथा मजदूरों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाते हैं। ठेकेदारों के मध्यस्थों को कार्य कराने के लिये शामिल नहीं किया जाता। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम व जवाहर रोजगार योजना दोनों का मकसद ग्रामीण इलाकों की गरीबी कम करना है। लेकिन दोनों में एक प्रमुख अन्तर है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जहां स्व-रोजगार के माध्यम से आय अर्जित करने पर जोर दिया जाता है। वहां जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इन दोनों कार्यक्रमों का ग्रामीण विकास की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिछले वर्ष के दौरान इन दोनों ही कार्यक्रमों पर लक्ष्य से कम धनराशि व्यय की गयी तथा उपलब्धि भी लक्ष्य से कम रही।

भारत में कृषि का विकास ही ग्रामीण विकास का प्रमुख आधार है। कृषि विकास अन्य कारकों के अलावा संस्थागत व तकनीकी कारकों पर निर्भर करता है। भारत में भू-सुधारों के माध्यम से कृषि के संस्थागत ढांचों को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है जिससे भूमि का और अधिक समान वितरण करके गरीबी को कम किया जाये तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा जाये। भूमि ही एक ऐसी परिसम्पत्ति है जो ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को स्थायी तौर पर आय व रोजगार के अवसर प्रदान कर सकती है।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये भू-सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत मध्यस्थों के उन्मूलन संबंधी कानून बनाये गये, काश्तकारी सुधार किये गये, जोत की उच्चतम सीमा का निर्धारण, चकबन्दी आदि को लागू किया गया तथा भूमि सम्बन्धी रिकार्ड पूरे किये गये।

भारत को स्वतंत्र हुये 40 वर्षों से अधिक हो चुके हैं। परन्तु भू-सुधार कार्यक्रमों का पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इसका सबसे प्रमुख कारण भू-सुधार कानूनों में कमियां, राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव तथा प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता रही है।

भू-सुधार कानून के अन्तर्गत ही काश्त की जो परिभाषा ली गयी थी वह दोषपूर्ण थी। जिसके फलस्वरूप बहुत बड़े पैमाने पर काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया। इसी प्रकार जोतों की सीमाबन्दी के कानून से बचने के लिए जमींदारों ने काफी बड़ी भूमि अपने परिवार के सदस्यों के नाम कर दी। कुछ राज्यों में बटाई के आधार पर खेती करने वालों को काश्तकार का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके कारण इनके अधिकारों को किसी भी प्रकार से संरक्षित नहीं किया जा सका। हमारे देश में भूमि सम्बन्धी रिकार्ड में नवीनतम जानकारी उपलब्ध न हो पाने के कारण भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। इन रिकार्डों के अभाव में काश्तकार विशेष की वास्तविक वैधानिक स्थिति क्या है। इन सबके अतिरिक्त भारत के विभिन्न राज्यों में तथा एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की उच्चतम सीमा में काफी अन्तर रहे हैं तथा इनमें समय-समय पर परिवर्तन किये जाते रहे हैं। जिसके कारण सीमाबन्दी कानूनों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। इसके फलस्वरूप सरकार को बहुत कम मात्रा में अतिरिक्त भूमि

प्राप्त हो सकी है। भूमि हस्तान्तरण में अनियमितता, प्रशासनिक लापरवाही व भ्रष्टाचार के कारण घोषित इस अल्प अतिरिक्त भूमि का वितरण भूमिहीन श्रमिकों के बीच नहीं किया जा सका है। केरल और पश्चिमी बंगाल जैसे दो राज्यों को छोड़कर पूरे देश में वस्तु स्थिति लगभग एक जैसी है। कृषि विकास के लिये यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ वातावरण का विकास हो। यह तभी सम्भव है जब हम भूमि सुधारों का कड़ाई से क्रियान्वयन करें। अतः अब समय आ गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधारों को पूरी तरह से लागू करने के लिये सही व कारगर कदम उठाये जायें।

कृषि विकास को प्रभावित करने वाले अन्य मुख्य कारक कृषि क्षेत्र में अपनाये जाने वाले तकनीकी परिवर्तन हैं। भारत में तकनीकी परिवर्तन नयी कृषि युक्ति के अन्तर्गत आते हैं। नयी कृषि युक्ति जिसे प्रायः हरित क्रान्ति के नाम से जाना जाता है, के कारण देश में खाद्यान्नों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। खाद्यानों का 1965-66 में वार्षिक औसत उत्पादन 8 करोड़ 10 लाख टन था जो 1990-91 में 17 करोड़ 20 लाख टन हो गया। नयी कृषि युक्ति के कार्यक्रम को केवल पांच फसलों— गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्का के लिये अपनाया गया अखाद्य फसलों को नई युक्ति से बाहर रखा गया जहां तक खाद्यान्नों के उत्पादन का सम्बन्ध है गेहूं और चावल के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। गेहूं व चावल का 1965-66 में वार्षिक औसत उत्पादन क्रमशः 1 करोड़ 11 लाख टन तथा 3 करोड़ 51 लाख टन था जो 1990-91 में बढ़कर 5 करोड़ 45 लाख टन तथा 7 करोड़ 46 लाख टन हो गया। जहां तक मोटे अनाजों— ज्वार, बाजरा तथा मक्का का प्रश्न है इनके उत्पादन में धीमी गति से वृद्धि हुई है। ज्वार, बाजरा व मक्का का 1965-66 में औसत उत्पादन क्रमशः 88 लाख टन, 39 लाख टन और 46 लाख टन था जो 1990-91 में बढ़कर 1 करोड़ 19 लाख टन, 91 लाख टन तथा 69 लाख टन हो गया। जहां तक दालों के उत्पादन का सम्बंध है, यह लगभग स्थिर ही रहा है। 1965-66 में इनका औसत उत्पादन 1 करोड़ 11 लाख टन था जो 1990-91 में बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख टन हो गया। दालों के उत्पादन में बहुत धीमी गति से वृद्धि तथा जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के कारण दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो 1961 में 69 ग्राम थी, 1990-91 में मात्र 36.5 रह गई है। दालों की उपलब्धि में कमी एक चिन्ता का विषय है क्योंकि गरीब के लिए दालें प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

तिलहनों के क्षेत्र में भी निष्पत्ति निराशाजनक रही है। तिलहनों का औसत वार्षिक उत्पादन 1965-66 में 1 करोड़ 73 लाख टन था जो 1990-91 में बढ़कर 1 करोड़ 84 लाख टन हो गया है। हालांकि तिलहनों का उत्पादन दुगने से अधिक बढ़ा है परन्तु यह घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहा है, जिसके फलस्वरुप लगभग प्रत्येक वर्ष हमें बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों का आयात करना पड़ा है।

कुल मिलाकर खाद्यान्नों के उत्पादन में हाल के वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है तथापि देश के सामने कठिन स्थिति बनी हुई है। भारत की जनसंख्या के इस शताब्दी के अंत तक 100 करोड़ तक पहुंच जाने की आशा है। इस जनसंख्या को 22 करोड़ टन खाद्यान्नों की आवश्यकता पड़ेगी। इस मांग को पूरा करने के लिए हमें वर्तमान दशक में खाद्यान्नों का उत्पादन 5 करोड़ टन से बढ़ाना होगा वरना हम घरेलू मांग को पूरा न कर पायेंगे।

बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्नों विशेषकर दालों और तिलहनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि चालू पंचवर्षीय योजना में नयी कृषि युक्ति का नए इलाकों में प्रसार किया जाये। नयी कृषि का प्रभाव केवल कुछ खाद्यान्नों व कुछ इलाकों तक ही सीमित रहा है। उदाहरण के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब में गेहूं की उपज तेजी से बढ़ी है तथा हाल के वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल व बिहार में चावल की पैदावार बढ़ी है। इस नयी कृषि युक्ति का प्रभाव सिंचित इलाकों में अधिक पड़ा है। एक अनुमान के अनुसार सिंचित इलाकों में नयी युक्ति अपनाने से गेहूं की उपज में तीन गुना तक वृद्धि हुई है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि चालू पंचवर्षीय योजना में दालों व तिलहनों सहित अन्य फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए नयी कृषि युक्ति का और अधिक प्रसार किया जाये।

कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति को देखने से यह पता चलता है कि नई कृषि युक्ति का प्रभाव सिंचाई वाले इलाकों तक सीमित रहा है। हमारे देश में 30 प्रतिशत भूमि ही ऐसी है जहां सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हैं। 70 प्रतिशत भूमि पानी के लिए वर्षा पर ही निर्भर है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके कृषि उपज को बढ़ाया जा सकता है परन्तु सिंचाई की बढ़ती लागत के कारण देश के सभी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है। फिर भी

सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के प्रयास जारी रखने चाहिए। इसके साथ-साथ नयी किस्म के ऐसे बीज तैयार करने चाहिए जिन्हें पानी की कम आवश्यकता हो। राजस्थान, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में शुष्क खेती को अपनाकर पैदावार को काफी बढ़ाया जा सकता है।

नयी कृषि युक्ति को बड़े किसानों ने बड़े उत्साह से अपनाया है। चूंकि यह युक्ति परम्परागत तकनीक की तुलना में महंगी पड़ती है इसलिये छोटे किसान इससे लाभ ज्यादा लाभ नहीं उठा पाये हैं। बड़े किसानों की निवेश करने व जोखिम वहन करने की क्षमता अधिक होती है इसलिये सरकार से मिलने वाली सेवाओं का फायदा मुख्य रूप से इसी वर्ग को हुआ है। अतः इस वर्ग को चाहिये कि वह सरकार को इन सेवाओं के उपयोग के बदले में कुछ भुगतान करे। इसके लिए सरकार एक निश्चित आय से अधिक आय वाले किसानों की आय पर आय कर लगाये। ऐसा केवल दृढ़ राजनैतिक इच्छा से ही संभव है। ऐसा करने से सरकार को जो धनराशि प्राप्त होगी उसका उपयोग ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों पर किया जा सकता है।

ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तरह आय की असमानतायें बढ़ी हैं। छोटे व बड़े किसानों के बीच खाई और बढ़ी है। खेतिहर मजदूर व भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति में और गिरावट आयी है। जरुरी चीजों की कीमतें बढ़ने के कारण इनकी वास्तविक मजदूरी में कमी हुई है। अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन गरीब ग्रामीणों के लिए ही होना चाहिए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी योजना है जिसमें सरकार वस्तुओं को खरीदकर उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती है ताकि भूमिहीन श्रमिक व खेतिहर मजदूर मंहगाई की मार से बच सकें। वास्तव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ज्यादातर लाभ शहर के लोगों को ही मिला है। प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव ने ठीक ही कहा है कि सार्वजनिक वितरण की मौजूदा प्रणाली शहरी ज्यादा है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस प्रणाली का ग्रामीण इलाकों में विस्तार किया जाये तथा इसे प्रभावी रुप से क्रियान्वित किया जाए ताकि अधिक से अधिक गरीब लोगों को जरुरी वस्तुएं उचित दामों पर मिल सकें। संसाधनों की कमी को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ही शामिल करना चाहिए। वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वह निर्धनतम व्यक्तियों को सस्ती दर पर आवश्यक चीजें उपलब्ध कराये।

बदलती हुई आर्थिक स्थिति में तथा विकास की उच्च दर प्राप्त करने से सरकार अब निजी क्षेत्र पर ज्यादा निर्भर होती जा रही है। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है तथा सरकार की भूमिका गौण हो गई है। जहां तक कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध है सरकार को ही अग्रणी भूमिका निभानी पड़ेगी। वास्तव में कृषि विकास के लिए अनुकूल ढांचा तथा स्वस्थ वातावरण सरकार ही बना सकती है, निजी क्षेत्र नहीं। इसके लिए भूमि सुधारों का कड़ाई से क्रियान्वयन तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को जारी रखना आवश्यक है क्योंकि समाज के कमजोर वर्ग को सरकार ही सहारा दे सकती है निजी क्षेत्र नहीं।

प्रवक्ता अर्थशास्त्र,
श्यामलाल कालेज, शाहदरा
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

आठवीं योजना

विषमताएं दूर करनी होंगी

□ बलराज मेहता □

श्री नरसिंह राव के नेतृत्व में सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समायोजन का कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में उद्योग और विदेश व्यापार पर तो काफी जोर दिया गया है, लेकिन कृषि को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास की नयी नीति बनाने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार की नीति निर्धारित करने वालों के बीच कृषि नीति के कम-से-कम चार मसौदे बांटे गये हैं लेकिन उनके आधार पर तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त, समन्वित तथा एक रूप नीतिपत्र तैयार नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कृषि और ग्रामीण विकास की नीति बनाने, आपसी हितों के टकराने की नौबत आ सकती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कृषि और ग्रामीण विकास नीति की विषय-वस्तु तथा दिशा समग्र विकास नीति के ढांचे के अनुरूप होनी चाहिए। लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के उद्देश्य, महत्वपूर्ण क्षेत्रों और इसके व्यापक आयामों के बारे में योजना आयोग ने जो दृष्टिकोण पत्र तैयार किया है उसमें सरकारी तौर से निगाह डालने से ही यह बात साफ हो जाती है कि इसमें समस्या को ठीक से नहीं समझा गया है। ऐसा लगता है कि सरकारी नीति निर्माताओं ने अर्थव्यवस्था में संरचात्मक समायोजन के कार्यक्रम के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास किया है। लेकिन ग्रामीण विकास की समस्याओं को टालना ही ज्यादा व्यावहारिक और युक्तिसंगत प्रतीत होता लगता है। यही वजह है कि दृष्टिकोण पत्र में ग्रामीण विकास की योजनाओं के ठोस प्रस्तावों की बजाय इस संबंध में सरकार के इरादे का जिक्र कभी-कभी किया गया है।

दृष्टिकोण पत्र में व्यावसायिक दृष्टि से यानी मुनाफा कमाने का लक्ष्य रखकर खेती करने पर जोर दिया गया है। इस तरह देश के सिर्फ दस प्रतिशत किसानों पर सारा दारोमदार छोड़ दिया गया है। दृष्टिकोण पत्र के अनुसार ये किसान शुरु में घरेलू बाजार के लिए उत्पादन कर सकते हैं और बाद में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर यही हकीकत है तो ग्रामीण क्षेत्र की वह बहुसंख्यक आबादी कृषि और ग्रामीण विकास के दायरे के बाहर आ जाती है जो केवल अपनी गुजर-बसर ही कर पाती है। यह भी एक विडम्बना है कि कृषि उपज के लिए समर्थन मूल्य यह कह कर बढ़ाये जा रहे हैं कि ये कृषि मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखकर बढ़ाए जा रहे हैं और इनसे मुद्रास्फीति तथा उत्पादन लागत में बढ़ोतरी का असर समाप्त हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि कृषि मजदूरों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है उसका भुगतान तो किया ही नहीं जाता। यही नहीं उपज की उत्पादन लागत निर्धारित करते समय जमीन के मालिक और उसके परिवार के सदस्यों के योगदान को बढ़ाचढ़ाकर आंका जाता है। किसानों को लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय, ऐसा लगता है कि योजना बनाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने, भूमि सुधार, जनसंख्या नियंत्रण और मानव संसाधन विकास जैसी मोटी-मोटी आवश्यकताओं को पूरा करके ही संतुष्ट बैठ गये हैं। खेतिहर मजदूरों के लिए उपयुक्त मजदूरी का सवाल पूरी तरह नजर अंदाज कर दिया गया है।

सत्तर और अस्सी के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था पर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की व्यापक कमी तथा मुद्रास्फीति का बहुत बुरा असर पड़ा है। जमीन तथा अन्य सम्पत्ति के मालिकों को अपना मुनाफा और आमदनी बढ़ाने की होड़ तथा इसमें सरकारी नीतियों के सहयोग से ऐसा हुआ है। जमीन या पूँजी के मालिकों ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक ताकत का उपयोग कामगारों के शोषण के तरीके ढूंढने में किया है। देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे में गहरी जड़ें जमाए बैठे निहित स्वार्थों वाले तत्वों ने उत्पादन बढ़ाने के नाम पर हमेशा अधिक समर्थन मूल्य दिये जाने की मांग की है और उनकी मांग को पूरा भी किया जाता रहा है। ऐसा करते समय न तो उत्पादन और उत्पादकता के स्तर का ध्यान रखा गया है और न ही उत्पादन में काम आने वाली वस्तुओं की रियायती दरों का यह सिर्फ कुछ गिनी-चुनी फसलों या कुछ ही कृषि पदार्थों के संदर्भ में नहीं हुआ है बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन में भी यही बाते हुई हैं। एक ओर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च वर्ग के लोगों में अपना मुनाफा ज्यादा-से-ज्यादा करने की होड़ लगी है वहीं दूसरी ओर आमदनी और उपभोग के स्तर पर उच्च और

निम्न वर्ग के बीच खाई बढ़ती जा रही है। उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के अनुरूप अपनी मजदूरी में बढ़ोतरी करने की कामगारों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। संगठित क्षेत्र के उद्योगों के श्रमिकों, सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों और अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन करने वाले करीब 10 प्रतिशत समृद्ध किसानों के वर्ग को छोड़कर अन्य किसी को भी उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि का पूरा फायदा नहीं मिला है। यह धारणा गलत है कि बिक्री के लिए उत्पादन करने वाले किसानों और उद्योगपतियों को बाजार में बेची जाने वाली अपनी वस्तुओं के लिए लाभप्रद दाम मिल जाएं तो मजदूरी के बदले में अपना श्रम बेचने वाले शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के कामगारों को इसका फायदा मिलने लगेगा। यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसका फायदा उद्योग और कृषि के क्षेत्र के कुछ स्वार्थी लोग विकास का सारा भार समाज के कमजोर वर्ग पर डाल देते हैं और खुद भरपूर मुनाफा कमाते हैं। अगर आर्थिक विकास की प्रक्रिया को सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ और आर्थिक दृष्टि से मजबूत आधार पर कायम करना है तो हमें यह रोकना होगा।

तिरुपति में कांग्रेस आई के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है कि अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक समायोजन का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उससे "समाज में असमानता की खाई और गहरी हो सकती है।" इससे निपटने के लिए उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाने का आग्रह किया है जिसमें समाज के सबसे निचले तबके को सरकार से सीधे फायदा मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भारत के अधिकांश गरीबों को जो देश की कुल आबादी का करीब 50 प्रतिशत है, आर्थिक विकास की मुख्यधारा से अलग-थलग करके गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत शामिल कर दिया जाएगा। 1960 के दशक के मध्य से ही कृषि के क्षेत्र में विकास की जो नीतियां अपनायी गयी हैं, उनमें संस्थागत सुधार की बजाय टेक्नोलाजी को बेहतर बनाने पर ज्यादा जोर दिया जाता रहा है। साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी मुनाफा कमाने का लक्ष्य रखकर उत्पादन करने के सिद्धान्त पर जोर दिया जा रहा है। नतीजा आज कृषि के क्षेत्र में आधुनिकतम सामग्री, जैसे उर्वरक तथा श्रम की बचत करने वाली मशीनों के उपयोग और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। ये सब बातें अब निजी तौर पर भी की जाने लगी हैं। आज उत्पादन उपज को बाजार में बेचने के लिए हो रहा है जिसपर सरकार कई तरह की रियायतें भी दे रही है। हालांकि बाजार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर खेती करने के सिद्धान्त को भारत के कृषक वर्ग के छोटे से हिस्से ने ही अपनाया है लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसने हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के निहित स्वार्थों वाले तत्वों के बीच नयी सांठ गांठ को और मजबूत करने का प्रयास किया है। इस सांठ गांठ से न सिर्फ कामगारों का शोषण बढ़ रहा है बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों तथा धर्मों के लोगों के बीच खाइयां गहरी होती जा रही हैं और शहर तथा गांव के बीच अन्तर भी बढ़ रहा है। संरचनात्मक सुधार की जो नीतियां अब अपनायी जा रही हैं उनमें स्थिति और भी गंभीर हो जाने की आशंका है। सरकार के योजनाकारों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व की इस समस्या पर उचित ध्यान नहीं दिया है।

भारतीय समाज तथा अर्थव्यवस्था में सामाजिक-आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध हो जाने से गतिशीलता पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पिछले चार दशकों में जमीन संबंधी कानूनों में व्यापक सुधार न होने तथा औद्योगीकरण के विस्तार में असफलता के कारण आर्थिक असमानताएं बढ़ी हैं और सामाजिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में तो यह बात विशेष रूप से दिखाई दी है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से राष्ट्रीय आय के करीब 35 प्रतिशत के बराबर आमदनी होती है जबकि देश की 70 प्रतिशत आबादी अपना गुजर बसर इसी क्षेत्र से करती है। इस तरह कृषि क्षेत्र में जो लोग फालतू हो जाते हैं उनका बड़ी बेरहमी से शोषण किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के ये खेतिहर मजदूर, काश्तकार और कारीगर बड़े किसानों तथा शहरी क्षेत्र के उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों के शोषण का शिकार बनते हैं। अर्थव्यवस्था में जो थोड़ी-बहुत बचत होती है उसको लेने के लिए जिस तरह की होड़ पैदा हो रही है वह शुभ संकेत नहीं है। इससे समाज में भारी तनाव पैदा हो रहा है और इसके खतरनाक राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। देश की प्रबुद्ध तथा जिम्मेदार सामाजिक राजनीतिक ताकतों को इस सचाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिये।

जहां तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सवाल है साठ के दशक मध्य में हमें काफी कड़वा अनुभव हुआ था। अमरीका से पी.एल. 480 के तहत आने वाले गेहूं की सप्लाई को लेकर हमारे नीति-निर्माताओं और योजना बनाने वालों ने एक सबक सीखा। उनको महसूस हुआ कि देश के लिए खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य-सुरक्षा बहुत जरूरी है। खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता का मतलब

यह नहीं है कि बाहर से अनाज का आयात बंद कर दिया जाए। इसका अभिप्राय है देश के ऐसे लाखों गरीबों और शोषितों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना जिनकी क्रयशक्ति या तो बहुत ही कम है या फिर लगभग शून्य है। पिछले दो दशकों में देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की भरसक कोशिश की गयी है। जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज हमें अनाज का आयात नहीं करना पड़ता। निस्संदेह यह देशवासियों, विशेष रूप से हमारे किसानों की बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अपर्याप्त क्रय शक्ति वाले लाखों लोगों को अब भी खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है। उन्हें अब भी भूख और कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में खाद्य-सुरक्षा का लक्ष्य सही अर्थों में अब भी पूरा नहीं किया जा सका है। चिंता की बात तो यह है कि अब तक हमने आंशिक खाद्य-सुरक्षा का जो लक्ष्य कुछ हद तक पा लिया था वह भी अब हाथ से निकलता प्रतीत होता है। हमारी आंशिक खाद्य सुरक्षा की एक विशेषता यह है कि इसमें आयात कम करने के साथ-साथ खाद्यान्न की सप्लाई के लिए व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाई गई है। किसानों की आवश्यकता से अधिक जो अनाज मंडियों में पहुंचता है वह निर्धारित मूल्य पर सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद लिया जाता है। इससे दूर-दराज के इलाकों सहित समूचे देश में एकसमान कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने में मदद मिली है। इससे औद्योगिक इलाकों तथा शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी उचित दाम पर खाद्यान्न मुहैया कराया जा सका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न की कीमतों में उतार-चढ़ाव रोकने में भी मदद मिली है। इससे अनाज की बाजार में आपूर्ति में उतार-चढ़ाव से कीमतों पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सका है। भारतीय कृषि की इन महत्वपूर्ण विशेषताओं को बनाए रखा जाना चाहिए। इस समय बाजार शक्तियों को खुला छोड़ने को जिस तरह से प्राथमिकता दी जा रही है उसका प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इस संदर्भ में सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि आठवीं योजना के दिशानिर्देश पत्र में योजना बनाने वालों ने कृषि उपज, विशेष रूप से खाद्यान्न के निर्यात पर जोर दिया है। एक और बड़ी बात यह है कि अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने वाले किसानों से पर्याप्त मात्रा में अनाज खरीदने के लिए प्रयास तेज करने के बजाय सरकार ने जो नीति बनायी है उसमें सरकारी खरीद में ढील देने की बात कही गयी है। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने और अनाज की कीमतों पर दबाव कम करने के लिए खाद्यान्न के आयात तक का जिक्र है। अगर ऐसा हुआ तो सरकार अनाज मंडियों में व्यापारियों और धनी किसानों की सांठ गांठ से होने वाली जोड़ तोड़ की मूकदर्शक बन कर रह जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों की अमरीका यात्रा के बावजूद अमरीका भारत को बाजार दर पर भी गेहूं देने के बारे में राजी नहीं हुआ है, रियायती दर पर गेहूं प्राप्त करना तो काफी दूर की बात है। अमरीका ने बाजार दरों पर भी भारत को गेहूं बेचने में रूचि नहीं दिखायी है। इससे भारत में संरचनात्मक समायोजन के प्रति उत्साह दिखाने वाले स्तब्ध रह गये लगते हैं। इससे सरकार को कुछ कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इन कदमों के तहत इस साल गेहूं की सरकारी खरीद बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय प्रतिबंध तथा व्यापारियों के लिए खरीद की सीमा निर्धारित कर दी गयी है। लेकिन इन सब उपायों के बावजूद गेहूं की सरकारी खरीद में गिरावट आयी है और दूसरी ओर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बात भी कही जा रही है। आठवीं योजना बनाने वालों ने खाद्यान्न बाजार में अनाज की सप्लाई उच्च आयवर्ग की महंगी मंडियों की ओर बढ़ाने के लिए की जा रही जोड़-तोड़, सरकारी खरीद के प्रयासों को विफल करने की व्यापारियों और धनी किसानों की साजिश और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन के नाम पर सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाने जैसी बातों का कोई ध्यान नहीं रखा है। वे तो बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार संरचनात्मक समायोजन करते रहे हैं। सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाने का फायदा तो सिर्फ बिक्री के लिए उत्पादन करने वाले बड़े किसानों और व्यापारियों को ही मिल पाया है। यह बड़ी विचित्र बात है कि खाद्यान्न सहित सभी कृषि उत्पादनों का निर्यात तर्कसंगत और आवश्यक बताया जा रहा है। इसके लिए यह कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बैठाने के लिए ऐसा करना जरुरी है। यह धारणा कि कृषि क्षेत्र को सही महत्व मिलना चाहिए जो उद्योग और सेवा क्षेत्र को मिलता है, वर्तमान संदर्भ में सही नहीं है। विश्व बाजार के साथ भारतीय कृषि के समन्वय तथा कृषि उत्पादों के आयात-निर्यात पर प्रतिबंधों को समाप्त करने का विचार पूरी तरह से गलत सोच का नतीजा है। इसके बड़े घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। आठवीं योजना बनाने वाले सरकारी विशेषज्ञों ने अनाज तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात पर बल दिया है। यह खाद्यान्न भंडारों के रोजगार और आमदनी बढ़ाने के काम के लिए अनाज, कार्यक्रम में उपयोग करने के विस्तार में एकदम उल्टा है। काम के लिए अनाज कार्यक्रम ग्रामीण विकास

के लिए काफी प्रासंगिक है लेकिन आठवीं योजना के दिशानिर्देश पत्र में इसका जिक्र तक नहीं हुआ है।

उपयुक्त भूमि सुधारों की आवश्यकता का सरसरी तौर पर जिक्र करते हुए योजनाकारों ने खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को वाजिब मजदूरी दिलाने तथा मजदूरी को लेकर मालिकों के साथ बातचीत करने की क्षमता में सुधार के महत्वपूर्ण मसले पर टालमटोल वाला रवैया अपनाया है। योजनाकारों ने 'उपयुक्त' शब्द को पारिभाषित भी नहीं किया है। हाल के वर्षों में सरकारी नीतियों में जमींदारों और पूंजीपतियों के मुनाफे को बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जाता रहा है। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने की बात भी कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि न्यूनतम मजदूरी कानूनों से कामगारों को उचित मजदूरी मिल सकेगी। लेकिन ये कानून तभी कारगर साबित होंगे जब मजदूरी की दरें आम तौर से दी जाने वाली दरों से अधिक हों और इन पर कड़ाई से अमल किया जाए। तथ्य तो यह है कि न्यूनतम मजदूरी कानून के तहत जो दरें निर्धारित की जाती हैं वे आम तौर पर मजदूरी की आम दरों से भी नीची होती हैं। उद्योग और कृषि के क्षेत्र में अधिकांश कामगारों को बहुत ही कम मजदूरी मिलती है। ये मजदूरी मुनाफे और उत्पादकता के स्तर के अनुरूप नहीं होती। संगठित उद्योग के क्षेत्र में जहां मजदूर संगठित हैं मजदूरी की दरें उचित कही जा सकती हैं लेकिन उनकी संख्या देश की कुल श्रम शक्ति का सिर्फ दस प्रतिशत है। कृषि, लघु उद्योगों, असंगठित क्षेत्र के उद्योगों और सेवा क्षेत्र के उद्योगों को अपनी रोजी-रोटी के लिए भारी मेहनत करनी पड़ती है। खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों की स्थिति भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। इधर ग्रामीण क्षेत्रों के कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए चलाए जाने वाले आंदोलनों में बड़ा बदलाव आया है। आजादी से पहले भारत के किसान आंदोलन में समूचा कृषक समुदाय शामिल था। 1950 के दशक में जमींदारी प्रथा की समाप्ति और हरित क्रांति के प्रसार के बाद खेतिहर मजदूरों के बाद खेतिहर मजदूरों और काश्तकारों के आंदोलन ने कुछ जोर पकड़ा है। इस आन्दोलन को न केवल जमींदारी प्रथा के बचे-खुचे प्रभाव से इन मजदूरों को बचाना है, बल्कि सम्पन्न किसानों के शोषण से भी उनकी रक्षा करनी है। इस हालत में जातिवाद की भूमिका पर भी नजर रखना जरूरी है।

यही बात शहरी क्षेत्र के असंगठित उद्योगों के कामगारों पर थोड़ा-बहुत अंतर के साथ लागू होती है। उनके आन्दोलनों ने संगठित क्षेत्र के मजदूर आंदोलनों में अपनी अलग पहचान बना ली है। योजना आयोग ने आठवीं योजना के दिशानिर्देश पत्र को तैयार करते समय इन सब तथ्यों को नजर अंदाज किया है। इसका ही यह नतीजा है कि वह ऐसी नीतियां और उपाय सुझाने में नाकाम रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के आम लोगों को विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। आयोग ने ग्रामीण विकास की जिस नीति का प्रस्ताव किया है उससे देहात में आर्थिक गतिविधियों और विकास का सामाजिक आधार और संकुचित हो जाएगा।

अनुवादः राजेन्द्र उपाध्याय
डी-1/65
लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

“हमारे देश में आर्थिक विकास के लिए किसी बाहरी ढांचे को नहीं अपनाया जा सकता। हमारे यहां अनेक विभिन्नतायें हैं और समानतायें भी । हमारे पास प्रचुर संसाधन हैं, और कुछ चीजों का अभाव भी । हमारे पास ऐसे समर्थ कामगार हैं, जो उचित प्रोत्साहन मिलने पर मिट्टी को सोने में बदल सकते हैं लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है । हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है । इसके साथ ही लोगों की मांगें भी बढ़ती जा रही हैं। हम अपने किसानों, मजदूरों और दूसरे लोगों को सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं । इसके लिये हमें कृषि और उद्योग में पूंजी लगानी है और उत्पादन बढ़ाना है । आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये हमें अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना होगा और उसे गति देने के लिये अनुसंधान और विकास पर ध्यान देना होगा । साथ ही हमें गरीब लोगों के जीवन स्तर को सुधारने, अल्प रोजगार तथा बेरोजगार लोगों को काम मुहैया कराने तथा देश की समृद्धि का सभी लोगों को समान लाभ पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करना है । हम इन समस्याओं से विचलित नहीं होंगे । प्रतिकूलता अगर हमारे सामने चुनौती बन कर आयी है तो उससे हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिली है । अब तक हमने जिस सामूहिक संकल्प और धैर्य के साथ सफलता प्राप्त की है, उसी के बल पर हम और आगे बढ़ेंगे । हमें अपने विकास की गति को तेज करना है । इसके लिए निरंतर प्रयास जारी रखने होंगे । पिछले 5 वर्षों में, विकास की हमारी दर लगभग चार प्रतिशत थी, इसे सातवीं योजना के दौरान 6 प्रतिशत तक पहुंचाना होगा ।”

— इंदिरा गांधी

(नई दिल्ली में 30 अगस्त, 1980 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में दिए गए उनके भाषण का अंश)

आर.एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : (डी (डी एल) 12057/92
पूर्व भुगतान के बिना डी.पी.एस.ओ. दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D (DL) 12057/92
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at DPSO, Delhi-54

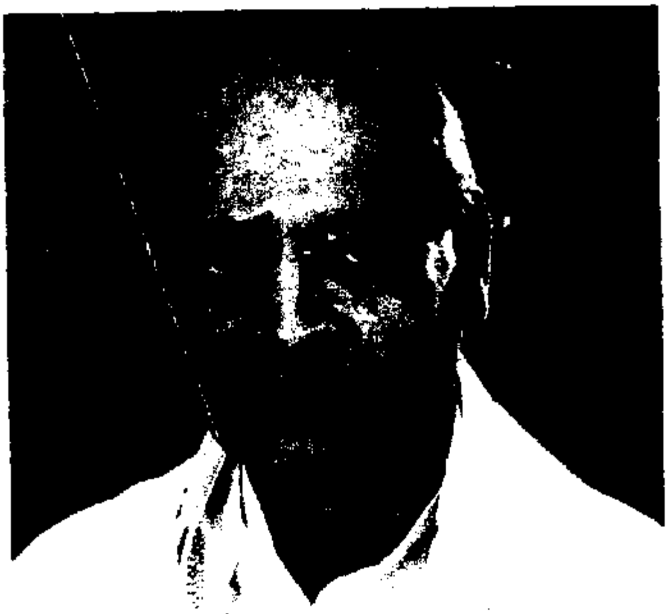

"योजना बनाने के काम में राष्ट्रहित के कुछ बुनियादी पहलुओं को ध्यान में रखने का मैं मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करता हूं । आयोजन की प्रक्रिया को केंद्र की ओर से लादी गई या सौंपी गई नहीं मानना चाहिए । यह तो वह प्रक्रिया है जिसमें केन्द्र और राज्य समान रूप से भागीदार हैं । राष्ट्रीय प्राथमिकताएं मिल कर निर्धारित की जानी चाहिए । ग्राम स्तर पर लोगों को प्रभावी और लाभकारी ढंग से इस प्रक्रिया में शामिल करने के लिए भी मिलकर प्रयास किए जाने चाहिए और इस दिशा में बड़ी पहल सरकार की ओर से होनी चाहिए । संसाधनों को बढाने के लिए भी यही तरीका अपनाना होगा । हमें मिलकर संसाधन जुटाने के नए स्रोतों का पता लगाना होगा जिन्हें अभी तक नहीं खोजा जा सका है । केन्द्र और राज्य को एक अन्य क्षेत्र में भी सहयोग करना है और वह है विभिन्न राज्यों में विदेशी सहायता से चल रही परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना ।"

— पी.वी. नरसिंह राव

प्रधानमंत्री

(नई दिल्ली में 23 दिसम्बर, 1991 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की 43वीं बैठक में दिए गए उनके भाषण का अंश)

डा. श्याम सिंह शशि, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
वीरेन्द्रा प्रिंटर्स, हरध्यान सिंह रोड, करोल बाग
नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित